खान भारती

भारतीय खान ब्यूरो

हिंदी पखवाड़ा-2016

उद्घाटन समारोह की झलकियाँ

खान भारती

सितंबर 2016

भारतीय खान ब्यूरो
नागपुर

भा.खा.ब्यूरो मुद्रणालय में मुद्रित 126/250/Sep. 2016

संरक्षक

आर. के. सिन्हा
महानियंत्रक

प्रधान संपादक

डॉ. पी. के. जैन
अधीक्षण खनन भूविज्ञानी एवं राजभाषा अधिकारी

संपादक

प्रमोद एस. सांगोले
उप–निदेशक (राजभाषा)

संपादन सहयोग

राजीव कुलश्रेष्ठ
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

मिताली चटर्जी
हिंदी अनुवादक

असीम कुमार
हिंदी अनुवादक

संजय आर. डोंगरे
हिंदी अनुवादक

साज - सज्जा एवं टंकण सहयोग

जगदीश अहरवार, आशुलिपिक ग्रेड– I

प्रदीप कुमार सिन्हा, हिंदी टंकक

प्रकाशन अनुभाग द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

ए. के. सिंह
मुख्य संपादक

एम. सुमेश
वरिष्ठ संपादक

बी. एल. यादव
सहायक संपादक

पी. एल. मसराम
व.त.स. (प्रका.)

ए. पी. मिश्रा
क.त.स. (प्रका.)

संरक्षक की कलम से...

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय अपनी राजभाषा गृह–पत्रिका "खान भारती" का प्रकाशन करने जा रहा है। राजभाषा नीति के अनुपालन तथा हिंदी के प्रचार – प्रसार में हिंदी में प्रकाशित पत्रिकाएं सहायक सिद्ध होती हैं। पत्रिका के माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी अनुभूतियाँ अभिव्यक्त करने का समुचित अवसर मिलता है।

भाषा, देश और समाज की जीवंतता की पहचान होती है। इस अर्थ में हिंदी हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है और संविधान द्वारा राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित है। अतः हिंदी के प्रति हमारा दायित्व एक नागरिक के नाते राष्ट्रभाषा के लिए तथा एक सरकारी कार्मिक के नाते राजभाषा के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदी में कामकाज की दिशा में हमारी जागरूकता तथा कार्य निपुणता बढ़ाने के काम में हिंदी गृह–पत्रिका "खान भारती" की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी।

मुझे उम्मीद है कि "खान भारती" के इस अंक में रोचक रचनाओं एवं ज्ञानवर्द्धक जानकारी का समावेश किया गया होगा। मैं पत्रिका से जुडे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा "खान भारती" के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

27/1/16

(आर.के. सिन्हा)
महानियंत्रक

प्रधान संपादक की कलम से...

खनिज एवं खनन के सर्वांगीण संपोषित विकास, जिसमें उचित मूल्य की प्राप्ति के लिए खनिजों की नीलामी, विवेक के साथ संवितरण और संभावित व्यवधान का समाधान, खनन क्षेत्र में प्रभावित व्यक्तियों के विकास के लिए धन की उपलब्धता खनिज गवेषण को बढ़ावा देने हेतु नीति, निजी क्षेत्र की भागीदारी को सरल करना, अवैध खनन रोकने हेतु कड़े प्रावधान और डिजिटल तकनीकी का उपयोग आदि को ध्यान में रखते हुए मूल नीतिगत बदलाव एम.एम.डी.आर. अधिनियम में संशोधिन को अधिसूचित कर किया गया । इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय खान ब्यूरो की भूमिका का बदलता स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है ।

राजभाषा नीति के अनुरूप हिंदी के प्रचार और प्रसार में गृह पत्रिका विभाग के कर्मचारियों की प्रतिभा को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है । भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक महोदय के प्रेरणा स्वरूप 'खान भारती' के वर्षों बाद पुनः प्रकाशन को यथार्थ रूप दिया गया है ।

आज इंटरनेट, फेसबुक, व्हाटसएप, ट्विटर के युग में साहित्य के प्रकाशन एवं पठन पाठन से आम नागरिक विशेषकर युवाओं की रूचि कम होती जा रही है । परिवर्तन जीवन का प्राकृतिक नियम है । इसे स्वीकारना, इसका स्वागत करना, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने जैसा है ।

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर एक अनुसंधान के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यदि आप अपने मस्तिष्क को चुस्त दुरूस्त रखना चाहते हैं तो हिंदी का प्रयोग कीजिए ।

भारतीय खान ब्यूरो के कार्मिकों की नई सोच उनके जोश और उत्साह तथा महानियंत्रक महोदय एवं खान मंत्रालय का कुशल नेतृत्व खान क्षेत्र के संपोषित विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सार्थक कदम होगा । 'खान भारती' का बहुप्रतिक्षित यह अंक सभी पाठकों को एक माला के रूप में जोड़कर नई दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के साथ चुनौतियों को पार करने में पथ – प्रदर्शक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है ।

डॉ. पी.के. जैन
अधी.खनन भूविज्ञानी एवं
राजभाषा अधिकारी

संपादकीय

भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय, नागपुर की गृह पत्रिका 'खान भारती' का वर्तमान अंक सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है । काफी लम्बे अंतराल के बाद इस अंक के प्रति स्वागोतोत्सुकता देखकर हिंदी के प्रति आपके लगाव की सुखानुभूति हुई।

हर देश के लिए अपनी भाषा राष्ट्रीयता का मानदण्ड होती है । आजादी के बीस साल बाद राजभाषा अधिनियम लागू होने के समय अंग्रेजी परस्ती की मानसिकता भारतीय जन मानस के दिलों दिमाग पर पूरी तरह छायी हुई थी । सरकारी काम काज में जनता की भाषा का स्थान कल्पनातीत था । फिर, विश्व हिंदी सम्मेलन से हिंदी की संवैधानिक प्रतिष्ठा को सार्थक बनाने की पहल हुई और आज करीब चालीस वर्षों के पश्चात् सरकारी काम काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की अधिमान्यता स्वीकार की जाने लगी है । इस उपलब्धि के श्रेय के विभिन्न प्रामाणिक प्रयासों में विभागीय गृह पत्रिका की अहम भूमिका भी उल्लेखनीय है ।

राजभाषा हिंदी के प्रति हम सरकारी कार्मिकों का दायित्व कुछ और अधिक है । अतः हमें सजग रहना होगा कि अपनी इस राष्ट्रीय जिम्मेदारी में कहीं हम पीछे तो नहीं ? कहीं हम राजभाषा हिंदी में काम काज के प्रति लापरवाह व उदासीन तो नहीं सिद्ध हो रहे हैं ? यही कर्तव्यबोध इस विभागीय गृह पत्रिका के प्रकाशन का प्रमुख प्रयोजन है, ताकि हिंदी की विभिन्न विधाओं में हमारी अभिव्यक्ति अधिक मुखरित हो और हम हिंदी में काम काज के प्रति पूरी सक्षमता से सक्रिय हो सकें ।

'खान भारती' के इस अंक को मूर्त रूप देने में हमारे माननीय महानियंत्रक महोदय श्री आर. के. सिन्हा का संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़ा संबल है । हम उनके प्रति तहे दिल से आभारी हैं । हमारे राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन ने हमारा हौसला बढ़ाया और हर कदम पर अपना मार्गदर्शन और सहयोग देकर हमारी कठिनाइयाँ सुलझायीं । अपने संपादक मंडल के प्रति भी आभार व्यक्त करना अपना बौद्धिक धर्म समझता हूँ जिन्होंने पत्रिका के लेखों के चयन, संपादन एवं प्रूफशोधन कार्य में विशेष योगदान दिया । पत्रिका के उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए भारतीय खान ब्यूरो मुद्रणालय के प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूँ।

प्रकाशन को स्वाभाविक और सुग्राह्य बनाने की हर संभव कोशिश की गई है । हम चाहते हैं कि राजभाषा नीति, नियमों एवं अधिनियमों इत्यादि के दबाव से मुक्त होकर हमारी राजभाषा हिंदी अपनी सरल और सुग्राह्य प्रकृति के कारण हमारे स्वाभाविक आचार विचार और अभिव्यक्ति में आत्मसात हो जाए । पत्रिका में प्रस्तुत संपूर्ण रचनाएं विविध, मनोरंजक, ज्ञानवर्द्धक और अपने आप में व्यापक हैं । आशा है यह अंक आपको अवश्य पसंद आएगा । अतः 'खान भारती' का यह अंक अपने आत्मीय पाठकों के कर कमलों में समर्पित करता हूँ और उनकी सूक्ष्म समीक्षा एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा भी करता हूँ ।

धन्यवाद ।

प्रमोद एस. सांगोले
उप–निदेशक (राजभाषा)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	रचना का शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	सरस्वती वंदना	
आलेख		
2	राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम	1
3	भारतीय खान ब्यूरो : एक विहंगम दृष्टि	3
4	पर्यावरण संरक्षण : एक पुरातन दृष्टि	5
5	राजभाषा से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान	6
6	विदर्भ दर्शन	8
7	हिंदी के प्रमुख यूरोपीय सेवक	11
8	भारत में आयोजित दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन में सहभागिता का मेरा सुखद स्मरणीय अनुभव	13
9	रेकी – एक परिचय	15
10	टिवी चैनल एक आईने में	16
11	बहू नहीं बेटी	17
12	कुंडलिनी शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार	18
13	देवनागरी लिपि कुछ रोचक तथ्य	20
14	असफलता को बनाये, सफलता प्राप्त करने की सीढी	21
15	व्यवसाय जगत और हिंदी	23
कहानी / जानकारियाँ / व्यंग्य		
16	बुद्धिजीवी	25
17	जादू	27
18	राजभाषा प्रश्नोत्तरी	28
19	जब से क्यों नहीं कहा	29
20	एक भैंस की व्यथा कथा (व्यंग कविता)	30
21	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जाँच बिंदु	31
22	कार्यालयीन कार्य हिंदी में ही क्यों ?	32
23	हिंदी में कार्य कैसे शुरू करें ?	32
24	राजभाषा संबंधी जानकारी	33
25	वस्त्रदान (बोध कथा)	34
26	नजर का कांटा (ज्ञानकथा)	34
27	वाणी पर संयम (बोध कथा)	34
28	ज्ञान की कोई सीमा नहीं (लघुकथा)	35

क्रमांक	रचना का शीर्षक	पृष्ठ संख्या
कविता / गजल / मुक्तक		
29	सोचा देखूँ दर्पण आज	35
30	तेरे जीवन की चादर में	35
31	क्या खूब कहा है किसी ने	36
32	दो गजलें	36
33	ग्रीष्म, सावन और शिशिर	37
34	कौन करे आज के युग में ?	37
35	जीवन–एक अनुभूति	38
36	मनहर मुक्तक	38
37	अंतर परिवर्तन	38
38	लोग निराले	39
39	एक सुंदर विचार	39
40	क्या भूलूँ, क्या याद करूँ	40
41	कवि और सेठ	41
42	जिन्दगी	41
43	राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हें नमन	42
44	जीवन – संदेश	42
45	जागो माँ –जागो माँ	43
46	फलसफा–ए–जिंदगी	43
47	तीन लाइनें	44
समाचार दर्पण		
48	भा.खा.ब्यूरो में 'खनिज दिवस' का आयोजन	44
49	बंगलुरू क्षेत्रीय कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सम्मान	44
50	हिंदी कार्यशाला का आयोजन	45
51	राजभाषा की राह में बढ़ते कदम	46
52	भारतीय खान ब्यूरो में हिंदी पखवाड़ा – 2015 का आयोजन	47
53	राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन	48
54	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 2015–16...	50
55	भारतीय खान ब्यूरो के प्रकाशन (संग्रह)	51
56	खान और खनिज (विकास तथा विनियमन)	52
57	भूकंप और आपदा प्रबंधन	56
58	नानी–दादी से सुनी कहानी	59
59	एच.आई.वी / एड्स से प्रभावित व्यक्तियों...	62

सरस्वती वंदना

नव गीत दे, नव छंद दें।
नव सृजन दे, माँ शारदे ॥

नव कल्पना के पंख दे।
नव राग दे, माँ शारदे ॥

हे श्वेत धवला धारिणी।
हे श्वेत कमल विराजिनी ॥

संगीत के सुर दे हमें।
कुछ गीत के गुण दे हमें ॥

नव प्रकृति, नित नव-धुन सृजन।
नव तान दे, माँ शारदे, नव गीत दे....

हो सकल जग सुर-ताल में।
हों मस्त सब हर हाल में ॥

यह मन हमारा है भ्रमित।
इस मन को कुछ सद्ज्ञान दे ॥

तम को मिटा, आलोक ला।
वरदान दे, माँ शारदे ॥ नव गीत दे

हिंसक पशु मानव बना।
हर आदमी दानव बना ॥

वेदों में है जो, ज्ञान दे।
नव मंत्र दे, कल्याण दे ॥

समृद्धि दे, सद्बुद्धि दे।
धन - धान्य दे, माँ शारदे ॥ नव गीत दे...

राजीव कुलश्रेष्ठ
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम

राजभाषा अधिनियम

राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में पारित किया गया और वर्ष 1967 में इसमें कुछ संशोधन किए गए । आज यह राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 कहलाता है । यह अधिनियम सारे भारत पर लागू है । लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे ।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार निम्नलिखित 14 कागजात के लिए हिंदी और अंग्रेजी, दोनों का प्रयोग अनिवार्य है :

(1) संकल्प (2) सामान्य आदेश (3) नियम (4) अधिसूचना (5) प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (6) प्रेस विज्ञप्ति (7) संसद के किसी सदन के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (8) सरकारी कागज पत्र (9) संविदा (10) करार (11) अनुज्ञप्ति (12) अनुज्ञापत्र (13) टेण्डर नोटिस (14) टेण्डर फार्म

राजभाषा नियम 1976 एवं राजभाषा (संशोधन) नियम 1987

राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा (8) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए। राजभाषा नियम 1976 का संशोधन वर्ष 1987में किया गया। इस संशोधन के बाद बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी केंद्र सरकार के कार्यालय की परिभाषा में शामिल कर लिया गया । यह नियम तमिलनाडु राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर लागू है ।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को क, ख एवं ग तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । यह वर्गीकरण निम्नानुसार है : –

'क' क्षेत्र: बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उततराखंड राज्य एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ।

'ख' क्षेत्र: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ।

'ग' क्षेत्र: जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश राज्य तथा लक्ष्यद्वीप समूह, पुडुचेरी, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ।

राजभाषा नियम 1976 के प्रमुख प्रावधान

नियम (1) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'क' क्षेत्र के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिंदी में होंगे ।

यदि किसी खास मामले में ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा ।

नियम (2): केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र के किसी राज्य या संघ क्षेत्र के प्रशासकों को पत्रादि सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे । यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा । इस क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति विशेष को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी, किसी भी भाषा में हो सकते हैं ।

नियम (3): केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ग' क्षेत्र के किसी राज्य या संघ क्षेत्र के प्रशासकों को पत्रआदि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे । अगर ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा ।

नियम (4): केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग से दूसरे विभाग के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है ।

नियम (5): हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर – हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएंगे । हिंदी में लिखे या हिंदी में हस्ताक्षरित किए गए आवेदनों या अभिवेदनों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाएंगे ।

नियम (6): हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग – राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी ।

नियम (7): आवेदन, अभ्यावेदन आदि – केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है ।

नियम (8): केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना – केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में टिप्पणी या मसौदा लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी लिखें ।

नियम (9): हिंदी में प्रवीणता – किसी कर्मचारी के बारे में यह

समझा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है; यदि

(क) उसने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो ।

अथवा

(ख) स्नातक में या स्नातक समतुल्य या उससे उच्च किसी परीक्षा में हिंदी उसका एक वैकल्पिक विषय था ।

अथवा

(ग) वह यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है ।

नियम (10) हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान – किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है; यदि

(क) उसने मैट्रिक परीक्षा या उससे उच्च परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो ।

अथवा

(ख) वह यह घोषित करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

नियम (11) मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि – केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों से संबंधित मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में द्विभाषिक रूप से तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे । सभी फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, स्टेशनरी की अन्य मदें भी हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में होंगे तथा प्रत्येक मामले में हिंदी पहले और अंग्रेजी बाद में होगी ।

नियम (12) अनुपालन का उत्तरदायित्व – प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह

अथवा

(क) यह सुनिश्चत करे कि राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन किया जाता है; और

(ख) इसके लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच पड़ताल की व्यवस्था करे ।

राष्ट्रपति के राजभाषा संबंधी आदेश

राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद माननीय राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किए गए

(1) राष्ट्रपति का आदेश 1952

- अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग ।
- भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त देवनागरी स्वरूप का राजकीय प्रयोजनों हेतु प्रयोग ।

(2) राष्ट्रपति का आदेश 1955

- प्रशासनिक रिपोर्ट आदि के लिए हिंदी का प्रयोग ।
- जनता के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी का प्रयोग ।
- सरकारी संकल्प, विधायी अधिनियम आदि के लिए हिंदी का प्रयोग ।

(3) राष्ट्रपति का आदेश 1960

- संसदीय राजभाषा समिति का गठन ।

भारतीय खान ब्यूरो : एक विहंगम दृष्टि

प्रमोद एस. सांगोले
उप निदेशक (राजभाषा)

भारतीय खान ब्यूरो खान मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है । यह देश के खनिज संसाधनों व खनिजों के संरक्षण तथा पर्यावरण की सुरक्षा के साथ खनन के वैज्ञानिक विकास जैसे कार्य में सतत लगा हुआ एक जागरूक संस्थान है । यह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों से संबंधित विनियामक कार्यों को संपादित करने के साथ खनिज संरक्षण और विकास नियमावली 1988, खनिज रियायत नियमावली 1960 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और इनके तहत बनाए गए नियमों को लागू करने का विनियामक कार्य करता है । यह वैज्ञानिक पहलुओं से अनुसंधान उन्मुख अध्ययन, भूवैज्ञानिक अध्ययन, अयस्क सज्जीकरण और पर्यावरण अध्ययन जैसे महती कार्य भी करता है ।

लक्ष्य :

1. भारतीय खनिज क्षेत्र के प्रभावी विनियमन के लिए दीर्घकालिक लाभ की वृद्धि सुनिश्चित करना ।
2. राज्य नियामक एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना और खनिज उद्योगों को गुणवत्ता वाली तकनीकी सहायता प्रदान करना।
3. खान और खनिज पर डाटा बैंक के रूप में कार्य करने के लिए खनिज सूचना का प्रसार करना।

दृष्टिकोण :

राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 ने विविध खनिज विकास कार्यक्रमों की योजना बनाई है और देश में धारणीय खनिज विकास की प्राप्ति हेतु रोड मैप उपलब्ध कराने के लिए ढांचागत रणनीति बनाई है । तदनुसार परिकल्पित दृष्टिकोण है कि : "भारतीय खान ब्यूरो राष्ट्रीय तकनीकी नियामक के रूप में खनिज उद्योग के धारणी विकास के लिए ढांचागत प्रारूप का निर्वहन तथा खानों और खनिजों के आँकड़ों के भंडारण के रूप में कार्य करता रहेगा ।"

उद्देश्य :

1. राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्रों के विनियमन हेतु दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं और डिजाईन प्रणाली पर राष्ट्रीय तकनीकी नियामक का कार्य करना ।
2. राज्य स्तर के नियामक तंत्र के सुधार के लिए सुविधा के रूप में कार्य करना तथा इस क्षेत्र में वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन के लिए मानकों का पालन और पैरामीटर सुनिश्चित करना।
3. खनिज क्षेत्र के विकास के लिए सज्जीकरण की तकनीक में दक्षता के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना ।
4. स्वचालन और मशीनीकरण के अग्रदूत के रूप में परामर्श सेवाओं और प्रशिक्षण सुविधा के माध्यम से खनन और संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का प्रसार करना ।
5. खनिज कराधान और विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से खनिज क्षेत्र के मामलों में सरकार के सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना ।
6. आई.टी. आधारित सूचना प्रणाली के विकास क्रम में देश में खानों और खनिजों के डाटा बैंक के राष्ट्रीय भंडार की भूमिका निभाना ।
7. विनिमय और विमर्श कार्यक्रमों के माध्यम से संवादमूलक आधार को व्यापक बनाना और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता, कौशल और विशेषज्ञता का निर्माण करना ।

कार्यों का वर्तमान चार्टर :

1. देश में उपलब्ध खानों और खनिजों के अन्वेषण एवं पूर्वेक्षण पर सभी जानकारी एक डाटा बेस में एकत्रित करना और उनके प्रसारण एवं प्रकाशन करने हेतु आवश्यक कदम उठाना ।
2. खनिज क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय तकनीकी नियामक के रूप में कार्य करना ।
3. राज्य सरकारों के मार्गदर्शन हेतु नियमों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को निर्धारित करना ।
4. केंद्र स्तर एवं राज्य स्तर पर नियामक के रूप में कार्य प्रणाली की क्षमता का विकास करना ।
5. केंद्र, राज्य, खनिज उद्योग, अनुसंधान,शैक्षिक संस्थानों और सभी हितधारकों के बीच समन्वय के संस्थागत तंत्र स्थापित करना।

6. खनन उद्योग के लिए व्यावहारिक प्रासंगिकता के सभी पहलुओं पर अनुसंधान को बढ़ावा देना ।
7. तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करना ।
8. खनिज क्षेत्र के नियमन और विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाओं में भाग लेना ।
9. खनन और खनिज से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना ।
10. भूविज्ञान, खनन लाभकारी खनिज और पर्यावरण के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को तलाशना और उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करना ।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ और कार्य:

1. विनियामक कार्य :
   (1) खनन योजना तैयार करने के लिए योग्य व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना ।
   (2) खनन योजना और स्कीम से संबंधित निरीक्षण एवं स्वीकृति ।
   (3) एम.सी.डी.आर. 1988 के सांवधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।
      (1) भूमिगत खदानों में स्टोपिंग हेतु निरीक्षण एवं अनुमति प्रदान करना ।
      (2) खनन प्रचालन के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करना ।
      (3) राज्यवार, खनिजवार और माहवार रॉयल्टी की यथामूल्य आधार पर गणना करना ।
      (4) खान बंद करने की योजना से संबंधित निरीक्षण, स्वीकृति एवं तत्संबंधी निगरानी कार्य ।
      (5) अवैध खनन गतिविधियाँ रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना ।
      (6) अपतटीय क्षेत्रों में खनिज रियायतों की मंजूरी तथा इसके क्रियाकलापों का परिवीक्षण ।
   (4) विकास कार्य :
      (1) खनिज प्रक्रमण में अनुसंधान और विकास कार्य ।
      (2) सूचना समर्थन और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना ।
      (3) अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे यू.एन.एफ.सी. के अनुरूप राष्ट्रीय खनिज सूची तैयार करना ।
      (4) प्रमुख खनिजों से संबंधित सांख्यिकीय आँकड़ों का संग्रह, प्रसंस्करण और भंडारण ।
      (5) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण द्वारा कौशल क्षमता का विकास ।

भारतीय खान ब्यूरो का संगठनात्मक ढाँचा :

भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर (महाराष्ट्र) में स्थित है । इसके तीन आँचलिक कार्यालय अजमेर, बंगलुरू और नागपुर में है । इसके अतिरिक्त देहरादून, अजमेर, उदयपुर, राँची, जबलपुर गोवा, भुवनेश्वर, नागपुर, बंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद व कोलकाता में 2 क्षेत्रीय कार्यालय तथा नेल्लोर और गौहाटी में दो उप क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं । इसके अलावा नागपुर, अजमेर व बंगलुरू में ब्यूरो के खनिज प्रसंस्करण प्रभाग हैं । पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोलकाता में एक क्ले प्रयोगशाला स्थापित की गई है । साथ ही रायपुर, गाँधीनगर में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की प्रक्रिया जारी है ।

भारतीय खान ब्यूरो की उपलब्धियाँ :

1. वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन तथा संरक्षण और खान पर्यावरण के लिए खानों का निरीक्षण ।
2. खनिज परिष्करण अध्ययन के अंतर्गत निम्न श्रेणी अयस्क का उपयोग और पर्यावरणीय नमूनों का रासायनिक विश्लेषण ।
3. तकनीकी सुधार तथा आधुनिकीकरण ।
4. खनन व खनिज से संबंधित आँकड़ों का संग्रह, प्रसार व प्रसंस्करण ।
5. खनन टेनेमेन्ट प्रणाली ।

भारतीय खान ब्यूरो के प्रभाग :

1. खनिज विकास एवं विनियमन विभाग ।
2. खनिज प्रसंस्करण विभाग ।
3. तकनीकी परामर्श, खनन अनुसंधान और प्रकाशन प्रभाग ।
4. खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग ।
5. खनन एवं खनिज सांख्यिकी प्रभाग ।
6. योजना एवं समन्वय प्रभाग।

पर्यावरण संरक्षण : एक पुरातन दृष्टि

असीम कुमार
हिन्दी अनुवादक

वर्तमान सदी में मानव जाति के समक्ष सबसे प्रमुख समस्या पर्यावरण संरक्षण की है । इस समस्या की भयावहता की झलक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर होने वाले सम्मेलनों में मिलती रहती है । इसका मुख्य कारण है प्रकृति से हमारी बढ़ती दूरी, अनियंत्रित रूप से फैलता उपभोक्तावाद और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की प्रवृति। इन प्रवृत्तियों पर काबू पाए बिना पर्यावरण संरक्षण की बातें बेमानी हैं । समस्या का निदान 'प्राचीन भारतीय' जीवन शैली में निहित है ।

प्राचीनकाल में हमारी जीवन शैली प्रकृति से तारतम्य मिलाते हुए चलती थी । भारतीय सभ्यता संस्कृति में अनेक पर्व त्यौहार भरे पड़े हैं जिनकी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने अपने देश की जलवायु, मौसम और फसलों के अनुरूप की थी । जीवन में वृक्ष की महत्ता बताने के लिये संतों ने लोकगीतों एवं भजनों के माध्यम से जन–जन में संदेश पहुँचाया तथा जन चेतना बनाने के लिए इसे धर्म से भी जोड़ा । हमारे यहाँ तुलसी, आँवले, पीपल और वट वृक्ष पूजे जाते हैं । धर्म के पश्चात भारतीय चिकित्सा पद्धति ने भी नीम, आंवले, पीपल, तुलसी, जटामशी आदि की भूरि–भूरि प्रशंसा की है ।

जब हम अपने पौराणिक एवं धार्मिक ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि धर्म कर्म के अलावा इनमें जीवन शैली, वनस्पतियों का विस्तृत वर्णन, जल, जंगल, जमीन, कृषि और आर्थिक संबंधों की भी विस्तार से चर्चा की गई है । पेड़ पौधों एवं जीव जन्तुओं के साथ हमारा संबंध कैसा हो, इसकी विस्तृत विवेचना विभिन्न पुराणों में की गई है । 'अग्नि पुराण' और 'मत्स्य पुराण ' में विभिन्न उपयोगी पेड़ों के काटने पर दिए जाने वाले आर्थिक दण्ड का स्पष्ट जिक्र है । 'वामन पुराण' में जंगल और उपवन की देखभाल के लिए बाकायदा क्षेत्रपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है । 'ब्रह्म–पुराण में रोगी, पेड़ पौधों की देखभाल हेतु ' वृक्ष वैद्य ' की नियुक्ति का वर्णन है । 'यु–पुराण' में स्पष्ट निर्देश है कि बिना सोचे समझे वनों को काटने से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है ।

आधुनिक काल में औद्योगीकरण से पहले हमारे देशवासियों को समृद्ध वन संपदा एवं विविध प्रकार के फूलों फलों के पौधों से निःसृत सुगंधित प्राणदायी वायु प्राप्त थी। 'ऋग्वेद' में वृक्षों को परमात्मा के विभिन्न गुणों का प्रतीक माना गया है। 'अथर्ववेद' ने तो वृक्ष की महिमा गान करते हुए इसे मनुष्य के पापों का नाश करने वाला बताया है :–

" अग्निबूमोवनस्पतिनोषधीरूतवीरूधः
इन्द्रवृहस्पतिसूर्यतेनोमुंचन्त्वहंसः । "

अर्थात् हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, हम वन देवता की शरण में जाते हैं । वृक्षों, पौधों, वनस्पतियों की शरण में जाते हैं। हम इन्द्र, वृहस्पति और सूर्य की शरण में जाते हैं, ये सब हमें पाप से छुड़ायें ।

पुराणों एवं अन्य धार्मिक ग्रन्थों के अलावा राजा महाराजाओं के जमाने में भी पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाता था । सम्राट अशोक और शेरशाह सूरी के योगदान को कौन भुला सकता है ? संरक्षण की इसी परम्परा को आगे बढ़ाया राजस्थान के विश्नोई समाज ने। मूक, अंचल, और कुल्हाड़ी के सामने असहाय वृक्षों को बचाने के लिये राजस्थान के खेजडली ग्राम में 363 लोगों का हँसते–हँसते कुर्बान हो जाना पूरे विश्व में एक बेमिसाल घटना है। वस्तुतः विश्नोई समाज वन्य और वन जीवों की सुरक्षा के प्रतीक बन चुके हैं ।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान अतीत की अपनी जीवन शैली में ढूंढें। पर्यावरण को जीवन का अभिन्न अंग मानकर अपनी क्षमता के अनुसार हम वन सम्वर्द्धन हेतु वृक्षारोपन आदि का कार्य करें। अपनी सुविधा एवं श्रद्धा के अनुरूप अशोक, पीपल, नीम, बेल, पलाश, महुआ, आम, जामुन, नारियल, तुलसी आदि वृक्ष लगाने का हर संभव प्रयास हमें करना चाहिए । हमें अपनी पुरानी परंपरा को महज पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है । अपनी नाभी में अवस्थित कस्तूरी की खुशबू से बेखबर समस्याओं के निदान हेतु यत्र–तत्र कस्तूरी को ढूंढने की बजाय हम अतीत के अपने जीवन शैली में ही इसे ढूंढे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को इस परम्परा को विश्वस्तर पर फैलाने का जो संकल्प दोहराया था, इस भावना को हमें समझने की जरूरत है ।

राजभाषा से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

1. अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनगारी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है ।
2. अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है । इस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया । इस अधिनियम में 1967 में संशोधन किया गया ।
3. अनुच्छेद 120 : संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा भाग 17 में किसी बात के रहते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा ।
4. अनुच्छेद 210 : संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा भाग 17 में किसी बात के रहते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा ।
5. अनुच्छेद 344 : राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति खंड माननीय राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 10 वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेंगे जो एक अध्यक्ष तथा आठवीं सूची में विनिर्दष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको माननीय राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे ।
6. अनुच्छेद 345 : राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के प्रारूप में अंगीकार कर सकेगा ।
7. अनुच्छेद 346 : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच की राजभाषा होगी ।
8. अनुच्छेद 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर माननीय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो वह विर्निदिष्ट करें, शासकीय मान्यता दी जाए ।
9. अनुच्छेद 348 : उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा खण्ड जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक
   (क) उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी ।
   (ख) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी

   आदेशों, नियमों, विनियमों और उपबंधों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे ।
10. अनुच्छेद 349 : भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348(1) में उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने का कोई विधेयक या संशोधन संसद में माननीय राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा ।
11. अनुच्छेद 350 : व्यथा के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थित, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हक होगा ।

12. अनुच्छेद 350(क) : प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधायें

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा ।

13. अनुच्छेद 350(ख) : भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी खण्ड भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे माननीय राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे ।

14. अनुच्छेद 351 : हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि करे ।

संविधान की आठवीं अनुसूची

संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ हैं : –

(1) असमिया (2) बंगला (3) बोडो (4) डोगरी (5) गुजराती (6) हिंदी (7) कन्नड़ (8) कश्मीरी (9) कोंकणी (10) मैथिली (11) मलयालम (12) मणिपुरी (13) मराठी (14) नेपाली (15) उड़िया (16) पंजाबी (17) संस्कृत (18) संथाली (19) सिंधी (20) तमिल (21) तेलुगू (22) उर्दू

विदर्भ दर्शन

संजय आर. डोंगरे
हिंदी अनुवादक

व्यस्त जीवन की एकरसता से बाहर आकर शरीर और मन दोनों में नवस्फूर्ती के संचार हेतु केवल एक या दो दिनों का समय निकालकर पर्यटन के लिए अत्यंत सुगम और उपयुक्त है हमारे अपने विदर्भ के पर्यटन स्थल जहाँ एक ओर हिल स्टेशन है तो दूसरी ओर पक्षी अभ्यारण्य भी हैं । कहीं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है तो साथ ही पवित्र धार्मिक स्थान भी । ऐतिहासिक महत्व के किलों के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रिसोर्टस भी ।

आपका बजट, आपके पास उपलब्ध समय तथा आपकी रूचि के आधार पर "विदर्भ दर्शन" का कार्यक्रम बनाएं और भरपूर आनंद उठाएं ।

नागपुर जिले के पर्यटन स्थल :

1. आदासा : सूची का शुभारंभ श्री गणेश जी के स्थान से ही करते हैं नागपुर से केवल 42 कि.मी. दूरी पर कलमेश्वर रोड से जाने पर पहाड़ी पर विघ्नहर्ता श्री गणेश का सुंदर एवं प्राचीन मंदिर स्थित है । जो पूरे परिवार के साथ देखने योग्य है ।
2. रामटेक : नागपुर से कामठी रोड, मनसर होते हुए केवल 48 कि.मी. की दूरी पर स्थित है पहाड़ी पर भव्य श्री रामजी का मंदिर, कालीदास स्मारक, अंबाला तालाब, शांतिनाथ जैन मंदिर एवं समीप ही नागार्जुन पहाड़ी पर बौद्ध मंदिर / विहार देखने योग्य है । पहाड़ी पर ही एम.टी.डी.सी. तथा अन्य कई होटलों में रूकने की व्यवस्था है । रात्रि में वहाँ से रामटेक गांव का दृश्य अप्रतिम दिखता है ।
3. नगरधन : नागपुर से मनसर होते हुए रामटेक के पहले ही दाहिनी ओर के रास्ते पर 52 कि.मी. पर स्थित है वाकाटक राजाओं द्वारा निर्मित किले के अवशेष 3 मंजिल की बावड़ी तथा काली माता का मंदिर अत्यंत दर्शनीय है ।
4. ड्रैगन पैलेस : नागपुर से कामठी रोड होते हुए केवल 15 कि.मी की दूरी पर स्थित है । जापान की ओकावा मैडम तथा कुंभारे परिवार की ओर से यह निर्मित किया गया है । वाकई यह बहुत सुंदर भगवान बुद्ध का विहार है यहाँ आपको वास्तव में शांति महसुस होगी, क्योंकि यहाँ का वातावरण तथा उक्त पैलेस की बनावट ही ऐसी है विशेषत: रविार को यहाँ पर विशेष रौनक होती है, यहाँ पर एक बार जरूर जाकर देखिए ।
5. खिंडसी जलक्रीडा केंद्र : नागपुर से कामठी रोड पर रामटेक होते हुए केवल 56 कि.मी. की दूरी पर यह जलक्रीडा केंद्र है वास्तव में नागपुर जिले में यही एक जलक्रीडा केंद्र है । जहाँ पर आप मुक्त मन से जलक्रीडा का आनंद ले सकते हैं, छुट्टियों के दिनों में युवा वर्ग तथा परिवार यहाँ पर आकर अपना समय व्यतीत करते हैं ।
6. नवेगाँव खैरी : नागपुर से मनसर से थोड़ा पहले आमडी फाटा से बायीं ओर पार सिवनी के रास्ते पर 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर पेंच बांध, नवोदय विद्यालय तोतलाडोह नहर है तथा यहाँ का वन वैभव अत्यंत दर्शनीय है ।
7. छोटा महादेव : नागपुर से मनसर के पूर्व आमडी फाटा एवं पारसिवनी के रास्ते पर 52 कि.मी. की दूरी पर घोगरा स्थित पेंच नदी के किनारे पर स्वयं महादेव का मंदिर अत्यंत सुंदर एवं दर्शनीय है । शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ जबरदस्त मेला लगता है, ये परिवार के देखने योग्य है ।
8. कुंवारा भीमसेन : नागपुर से मनसर के पूर्व आमडी फाटा से नवेगांव खैरी के रास्ते पर ही 64 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यह भी पेंच नदी के किनारे पर स्थित है । ये आदिवासी लोगों का मंदिर है । यहाँ पर हर साल भव्य मेला लगता है तथा महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के आदिवासी बांधवों की यह पवित्र यात्रा स्थली है तथा एक पर्यटन स्थल भी है ।
9. मोरफाटा : नागपुर से 65 कि.मी. की दूरी पर मनसर और पवनी के आगे सिवनी जबलपुर रोड पर ही यह स्थान स्थित है । यहाँ पर एक सूफी संत की मजार है तथा यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर शेर भी दर्शन लेने उक्त मजार पर आते हैं ।
10. तोतलाडोह जलाशय (डैम) तथा विद्युत परियोजना : नागपुर से कामठी रोड होते हुए यह स्थान 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । पंच नदी पर बांध तथा विद्युत परियोजना वाकई दर्शनीय है । यहाँ पर रूकने तथा भोजन की सुंदर व्यवस्था है ।

11. अंबाखोरी : नागपुर से मनसर के आगे के कुल 75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पेंच नदी में स्नान का आनंद तथा आसपास के वन प्रदेश में उन्मुक्त विचरण का भी आनंद उठाया जा सकता है ।

12. धापेवाड़ा : नागपुर से काटोल रोड पर कलमेश्वर के रास्ते पर यह स्थान 36 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । चंद्रभागा नदी के तट पर विट्ठल भगवान का सुंदर मंदिर है । इसे विदर्भ का पंढरपुर भी कहा जाता है । यहाँ पर हर वर्ष आषाढ़ी एकादशी में मेला लगता है ।

13. खेकड़ावाला जलाशय : नागपुर से कोराडी रोड पर खापा बडेगांव रेंज में 55 कि.मी. की दूरी पर स्थित वन वैभव के मध्य जलाशय है। साथ ही वन के मध्य में प्राचीन गुफा में महादेव का मंदिर दर्शनीय है। वन भ्रमण के लिए यह उपयुक्त स्थान है। हर रविवार को यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आते हैं ।

14. वाकी दरगाह : नागपुर से 35 कि.मी. की दूरी पर कोराडी रोड पर यह दरगाह है । यहाँ पर सभी धर्मों के लोग दर्शन करने आते हैं । पास ही में कन्हान नदी है जहाँ पर युवा वर्ग के लोग सैर करने आते हैं तथा पास में ही हारका वाटर पार्क है जहाँ पर परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ सैर करने आते हैं । यहाँ पर हर मार्च माह में उर्स लगता है ।

15. दीक्षाभूमि : यह स्थल नागपुर शहर के बीचोबीच स्थित है । यहाँ पर डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर जी ने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी । तब से यह पवित्र स्थल माना जाता है । यहाँ पर हर साल धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को मेला लगता है । यहाँ का स्मारक देखने लायक है तथा हजारों लोग इसे देखने के लिए रोज आते हैं । इन स्थानों के अलावा भी नागपुर जिले में सीताबर्डी किला, अंबाझरी तालाब, गाँधीसागर तालाब, फुटाला तालाब, कोराडी देवी का मंदिर, टेकड़ी मंदिर, नागपुर रेलवे स्टेशन, विमानतल, हाईकोर्ट, विधान भवन, ताजबाग आदि स्थान हैं, जो देखने लायक हैं ।

वर्धा जिले के पर्यटन स्थल

1. बोर वन प्राणी अभ्यारण्य एवं जलाशय : नागपुर से वर्धा रोड पर कुल 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित बाघ अभ्यारण्य तथा बौद्ध मंदिर काफी दर्शनीय है ।

2. पवनार आश्रम : नागपुर से वर्धा रोड पर केवल 80 कि.मी. की दूरी पर भूदान नेता और महात्मा गाँधी के मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे का आश्रम है जो वाकई देखने लायक है ।

3. सेवाग्राम : नागपुर से केवल 88 कि.मी. की दूरी पर वर्धा रोड के रास्ते पर स्थित है । यह राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की कार्यस्थली रहा है । यहाँ ज्ञान मंदिर, बापू कुटी भी दर्शनीय है । इसके अतिरिक्त वर्धा जिले में लोअर कन्ना जलाशय, धाम जलाश, आष्टी, आर्वी तथा देवली में भी काफी दर्शनीय स्थल है ।

4. महाकाली बाँध/जलाशय : यह भी नागपुर से केवल 101 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यह अमरावती रोड स्थित है तथा यहाँ पर काली माता का मंदिर है जो काफी सुंदर है । पास में ही महाकाली जलाशय है, जो देखने लायक है, यहाँ पर हर रोज हजारों लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने या घूमने आते हैं । यहाँ पर आप वाकई नैसर्गिक आनंद उठा सकते हैं ।

भंडारा जिले के पर्यटन स्थल

1. नवेगाँव जलाशय तथा पक्षी उद्यान : नागपुर से भंडारा रोड पर साकोली तहसील से होते हुए करीबन 140 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर काफी पुराना जलाशय बना हुआ है उसी प्रकार यहाँ विभिन्न पशु तथा पक्षी देखने हेतु उपयुक्त स्थान है । यहाँ पर रूकने की सुविधा भी उपलब्ध है ।

2. नागझिरा अभयारण्य : नागपुर से भंडारा रोड पर साकोली होते हुए 135 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के वन्य पशु देखने के लिए मिलेंगे परंतु वन्य पशु देखने के लिए प्रातः या संध्या का समय उपयुक्त है । यहाँ पर भी आपको रहने के लिए टेंट हाऊस, सर्किट हाऊस तथा अन्य संस्था के भी बंगले उपलब्ध है ।

3. अंभोरा : भंडारा रोड पर नागपुर से करीब 60 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यहाँ पर शिव मंदिर, चैतन्यस्वामी का भी मंदिर है जो वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है । यहाँ काफी लोग पूजा पाठ करने तथा पिकनिक मनाने आते हैं ।

4. इटियाडोह बांध : नागपुर से साकोली होते हार नवेगांव बांध के आगे 170 कि.मी. की दूरी पर गाढवी नदी पर सुंदर बांध है । यहाँ पर समीप ही तिब्बती शरणार्थीयों का शिविर भी

दर्शनीय है । इसके अतिरिक्त भंडारा जिले में भिवगढ़ किला, अंबागढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, सलिकसा गोंदिया, सिवनी बांध उसी प्रकार तुमसर तथा पवनी में भी सुंदर दर्शनीय स्थान है ।

गढ़चिरौली तथा चंद्रपुर जिले के पर्यटन स्थल

1. मार्कंडा : नागपुर से गढ़चिरौली होते हुए करीब 220 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों की शिल्पकलों के सदृश्य बनाए गए उक्त मांडकेश्वर मंदिर का शिल्प वाकई दर्शनीय है । यहाँ का शिव मंदिर अप्रतिम है ।
2. भामरागढ़ : यह भी गढ़चिरौली जिले में स्थित है यहाँ पर तीन नदियों का संगम है । यहाँ पर विनागोंडा वाटरफॉल है, जो काफी सुंदर है । यहाँ की हरियाली देखने लायक है । बहुत से लोग यहाँ पर वाटरफॉल देखने आते हैं ।
3. बैरागढ़ किला : यह गोंड राजा द्वारा बनवाया गया था । यह भी देखने योग्य है यहाँ पर बहुत से लावडी दिखाई देगी जो कि वहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करती है ।
4. चपराला गाँव तथा अभयारण्य : यह भी चार्मोशी तहसील में आता है । यह वर्धा तथा बैनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है । इसे प्रशांत धाम भी कहा जाता है । यहाँ का नैसर्गिक दृश्य काफी सुंदर है तथा यहाँ पर बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जयंती के अवसर पर काफी बड़ा मेला लगता है । महाकाली टेंपल – यह मंदिर चंद्रपुर जिले की शान है यह नागपुर से 160 कि.मी. पर स्थित है यह मंदिर वाकई बहुत सुंदर है यहाँ पर हर साल अप्रैल माह में मेला लगता है जो देखने लायक होता है । यहाँ पर दो मूर्तियाँ हैं एक ऊपर में स्थित है तथा दूसरी गर्भगृह में है । हर मंगलवार को यहाँ पर विशेष पूजा होती है । सभी को एक बार सपरिवार इस मंदिर को जरूर देखना चाहिए ।
5. जैन मंदिर : यह नागपुर से करीबन 160 कि.मी. की दूरी पर भद्रावती में प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है । इसकी कला वाकई बहुत सुंदर है । इसे भी एक बार जरूर देखना चाहिए ।
6. ताडोबा अभयारण्य : पूरे महाराष्ट्र में तथा विदर्भ में यह सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है । यह नागपुर से चिमुर के रास्ते पर 205 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यह वन्य प्राणी दर्शन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है । यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, सांभर, बायसन नीलगाय, सियार जंगली सुअर आदि वन्य प्राणी दिखने की अच्छी संभावनाएं हैं ।
7. आनंदवन आश्रम : यह आश्रम बाबा आमटे जी द्वारा बनाया गया है । यह बरोरा में स्थित है । यहाँ पर आपको कुष्ठ रोगी पुनर्वसन केंद्र दिखाई देगा । जो भी कुष्ठ रोगी हैं उनका यहाँ पर ईलाज किया जाता है, तथा उनसे सेवा भी ली जाती है । यहाँ पर गरीब तथा निराधार लोगों को भी सहारा दिया जाता है । इस आश्रम में हर तरह के कार्य किए जाते हैं तथा वहाँ के रोगियों द्वारा विभिन्न प्रकार के गृह उद्योग भी किए जाते हैं । मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपका वाकई मानवता दिखाई देगी तथा सही मायने में समाजसेवा करते हैं । इसलिए सभी विद्यार्थी वर्ग तथा हर परिवार को कभी न कभी इस आश्रम को भेंट देना चाहिए ।

हिंदी के प्रमुख यूरोपीय सेवक

असीम कुमार
हिंदी अनुवादक

भारत प्रायः आठ सौ वर्षों तक विदेशी शासन के तले पीड़ित और त्रस्त था । कुतुबुद्दीन ऐबक से माउंटबेटन तक की लंबी अवधि में भारत के राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन में अनेक उथल–पुथल और हलचल के समय आए और भाषा तथा साहित्य के स्वरूप और प्रवृतियों पर विजातीय प्रभाव से अनेक परिवर्तन हुए । हिंदी पराधीन भारत में ही उभरी, पनपी तथा फली–फूली और उसका श्रेष्ठ साहित्य इस दीर्घ संघर्ष तथा संक्रांतिकाल में ही रचा गया । यूरोप के सौदागर आए तो थे अहिंदी क्षेत्रों – कोचीन, सूरत, बंबई, गोवा, मद्रास और बंगाल में, किंतु उन्होंने पाया कि हिंदुस्तानी या हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिससे उनका सब जगह काम चल सकता है । यूरोपीय विद्वानों ने हिंदी का भी व्यवहारिक दृष्टि से अध्ययन अनुशीलन आरंभ किया तथा हिंदी व्याकरण और कोशादि बनाने और हिंदी गद्य के पोषण संवर्धन में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही । हिंदी के प्रमुख यूरोपीय विद्वानों में चार्ल्स विलकिंस, डॉ. गिलक्रिस्ट, हेनरी थॉमस, कोलब्रुक, कैप्टन रोबक, हेनरी माय इलियट, गार्सा द तासी, ब्रियान हाटन हागसन, डॉ. मोनियर विलियम, जॉन साहेब, जॉन क्रिश्चियन, जॉन बीम्स, जॉन ब्लॉख, ग्राउज, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रेवरेंड टी. ग्राहम वेली, डॉ. हार्नले, फ्रेडरिक पिनकाट, डॉ. एल.पी. तेस्सितोरी, ए.पी. बरान्निकोव, सेवास्तिवा रोदल्फ दालगादी, एफ.ए.की., डॉ. एल. डी. बार्नेट, ए.बी.शेरिफ तथा डॉ. कामिल बुल्के के नाम प्रमुख है ।

उक्त यूरोपीय विद्वानों ने हिंदी के विकास और संवर्धन में अपनी अमूल्य सेवाएं दी, खासकर डॉ. गिलक्रिस्ट, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और डॉ. कमिल बुल्के का हिंदी के प्रति समर्पण भाव तो अविस्मरणीय है । डॉ. गिलक्रिस्ट ओरियंटल सेमिनरी (फोर्ट विलियम कॉलेज) में हिंदुस्तानी भाषा के प्रथम प्रोफेसर थे । गिलक्रिस्ट का व्याकरण और कोश उनकी सुदृढ़ कीर्ति स्तम्भ है । उनके पूर्व हिंदुस्तानी भाषा का कोई व्याकरण, जिसे कोई भारतीय ने लिखा हो, नहीं मिलता है । गिलक्रिस्ट ने माना है कि हिंदुस्तानी नाम नया है, भारतीयों का रखा हुआ नहीं है, और यहाँ वाले प्रायः इसे 'हिंदी' नाम से ही जानते हैं। पर चूँकि इस नाम के अंतर्गत हिंदी, हिंदुई और हिंदवी सबको समाहित करने की सुविधा है, अतः स्वयं उन्हें 'हिंदुस्तानी' नाम पसंद था। गिलक्रिस्ट के साथ हिंदुस्तानी के अनुशीलन का एक नया युग आरंभ होता है । खड़ी बोली के लेखक लल्लू जी और सदल मिश्र से पुस्तकें लिखवाने का श्रेय भी उन्हें जाता है ।

जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1871 में भारत आए और नौकरी के आरंभ से ही उन्होंने अपने अध्ययन का मुख्य विषय भारतीय आर्य भाषाओं को चुना । उन्होंने संस्कृत – प्राकृत के साथ ही हिंदी भाषा के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया । ग्रियर्सन के अनेक ग्रंथों में अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ तीन हैं 'भारत का भाषा सर्वेक्षण', 'हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास' और 'वर्नाक्यूलर लिटरेचर' । इन तीनों ही पुस्तकों का संबंध हिंदी से है । ग्रियर्सन ने तुलसीदास की रचनाओं के संबंध में जो शोधपूर्ण निबंध लिखे, उन्हीं के आधार पर हिंदी में परवर्ती काल में तुलसी विषयक शोध अग्रसर हुआ । ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम जायसी के पद्मावत काव्य की भाषा और विषय के महत्व का बोध कराया । उन्होंने विद्यापति के जीवन के संबंध में प्रकाश डालने के बाद उनके काव्य की संक्षिप्त समीक्षा भी की । ग्रियर्सन ने पं. सुधाकर द्विवेदी के सहयोग से पद्मावत, मानस और बिहारी सतसई (लाख चन्द्रिका) का सुसंपादित पाठ प्रकाशित कर इस दिशा में भी अग्रणी काम किया । वे हिंदी की तद्भव – निष्ठ शैली के समर्थक थे । हिंदी और बोलियों की अपनी शब्दावली की क्षमता में उन्हें पूर्ण विश्वास था । ग्रियर्सन को 1898 ई. में भारत का भाषा सर्वेक्षण कराने का कार्य मिला । ऐसा कार्य इतने बड़े देश के लिए कभी हुआ ही नहीं था ।

ग्रियर्सन के पश्चात् डॉ. कामिल बुल्के ने हिंदी की अथक सेवाएं की । वे 1935 में भारत आए और अध्यापन कार्य प्रारंभ किया । उसी समय वे हिंदी और संस्कृत पढ़ने में प्रवृत हुए । उन्होंने 'रामचरित मानस' का जिस मनोयोग और निष्ठा के साथ अध्ययन किया, वह प्रशंसनीय है । डॉ. बुल्के संस्कृतनिष्ठ हिंदी के प्रबल समर्थक थे । उनके अनुसार, 'उर्दू' को छोड़कर प्रायः सभी

भारतीय भाषाऐं संस्कृत से निकली हैं, अतः हिंदी में संस्कृत के अधिकाधिक शब्दों का प्रयोग करने से ही हिंदी अहिंदी भाषियों द्वारा समझी जा सकती है । 3 अप्रैल 1966 को राँची में साहित्य संगम के वार्षिकोत्सव के अवसर पर डॉ. बुल्के ने जोरदार शब्दों में कहा, अंग्रेजी भारत में नौकरानी की तरह रह सकती है, बहूरानी की तरह नहीं । बहूरानी तो हिंदी ही हो सकती है।" उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में 'मुक्तिदाता', 'राम कथा', 'नील पक्षी' तथा 'अंग्रेजी – हिंदी कोश है ।

इसके अलावा जॉर्ज हेडले प्रथम व्यक्ति थें जिन्होंने 1772 ई. में 'मूरभाषा का व्याकरण' नाम से हिंदुस्तानी का पहला व्याकरण लंदन से छपाया था । तत्पश्चात चार्ल्स विल्किंस ने पहले–पहल भारत में नागरी टाईप बनाया और इसे बनाने की विधि पंचानन को सिखाई । कोशकार जॉन फरगुसन भी हिंदी के सेवक थे । उनका कोश 'ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तान लैंग्वेज' लंदन से 1773 ई. में प्रकाशित हुआ था । इस प्रकार से यूरोपीय विद्वानों ने हिंदी भाषा और साहित्य को जानने सीखने के क्रम में अथक परिश्रम किया तथा 'व्याकरण' कोश आदि रचने की पद्धति में नवीन मार्ग दिखाया । हिंदी गद्य को तो निश्चित रूप देने और उसे एक साँचे में ढालने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही । आज जब हम पराधीनता पाश से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं तो हमें पूर्वाग्रह या दुराग्रह को छोड़कर हिंदी के विकास में यूरोपियनों के योगदान का पुनर्मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए ।

भारत में आयोजित दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन में सहभागिता का मेरा सुखद स्मरणीय अनुभव

डॉ. पी. के. जैन
अधीक्षण भूविज्ञानी एवं राजभाषा अधिकारी,
भारतीय खान ब्यूरो

विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा 1973 में की गई थी। इसी अनुरूप प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10–12 जनवरी 1975 को नागपुर में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के तत्वावधान में आयोजित किया गया था । आचार्य विनोबा भावे के शुभाशीर्वाद तथा केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि के सहयोग से यह सम्मेलन नागपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में सफलतापूर्वक आयोजित किये जाने का वर्णन पढ़ने में आता है । इस सम्मेलन के अनेक उद्देश्यों में से तात्कालीन वैश्विक परिस्थिति में हिंदी को मानव एवं राष्ट्र सेवा का साधन बनाना तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी को अधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाकर विश्वभाषा के रूप में स्थापित करना प्रमुख था ।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने हिंदी भाषा की अंतर्निहित शक्ति से प्रेरित होकर अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे राष्ट्र संवाद की भाषा बनाया था । हिंदी भाषी तथा अन्य भाषा भाषी सेनानियों को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी के सामर्थ्य और शक्ति का भरपूर उपयोग एक संपर्क भाषा के रूप में किया गया । इसी पृष्ठभूमि में हिंदी को भावनात्मक धरातल से उठाकर एक ठोस एवं व्यापक स्वरूप प्रदान करने एवं यह रेखांकित करने कि हिंदी केवल साहित्य की भाषा न होकर आधुनिक ज्ञान विज्ञान को अंगीकार करके अग्रसर होने में एक सक्षम भाषा है, के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की संकल्पना पूर्व में की गई थी जिसका मूर्तरूप 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में सविस्तार वर्णित किया गया है ।

तब से लेकर अन्य नौ विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जा चुके हैं अभी तक आयोजित विभिन्न विश्व हिन्दी सम्मेलनों का स्थान, तिथि, वर्ष एवं विषय तालिका में दिया गया है :

क्र.सं.	विश्व हिन्दी सम्मेलन	स्थान, देश	तिथि व वर्ष	विषय
1	पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन	नागपुर, भारत	10–12 जनवरी 1975	वसुधैव कुटुम्बकम्
2	दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन	पोर्ट लुई, मॉरीशस	28–30 अगस्त 1976	वसुधैव कुटुम्बकम्
3	तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन	नई दिल्ली, भारत	28–30 अक्टूबर 1983	वसुधैव कुटुम्बकम्
4	चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन	पोर्ट लुई, मॉरीशस	02–04 दिसंबर 1993	वसुधैव कुटुम्बकम्
5	पांचवां विश्व हिंदी सम्मेलन	पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो	04–08 अप्रैल 1996	अप्रवासी भारतीय और हिंदी
6	छठा विश्व हिंदी सम्मेलन	लंदन, यू. के.	14–18 सितंबर 1999	हिंदी और भावी पीढ़ी
7	सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन	पारामारिबो, सूरीनाम	06–09 जून 2003	विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां
8	आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन	न्यूयार्क, अमेरिका	13–15 जूलाई 2007	विश्व मंच पर हिंदी
9	नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन	जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका	22–24 सितंबर 2012	भाषा की अस्मिता और हिंदी का वैश्विक संदर्भ
10	दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन	भोपाल, भारत	10–12 सितंबर 2015	हिंदी जगत / विस्तार एवं संभावनाएं

इन सम्मेलनों ने हमेशा से ही हिंदी स्नेही व्यक्तियों, साहित्यकारों, विद्वानों, राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों आदि को बहुसंख्या में शामिल होने हेतु आकर्षित किया है ।

दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की भागीदारी के साथ 10–12 सितंबर, 2015 तक भोपाल शहर के लाल परेड मैदान में वैभव एवं भव्यतापूर्वक आयोजित किया गया और मुझे भी सपत्नी इस सम्मेलन में भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अतिथि प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने का सुखद अवसर प्रदान हुआ। इस सम्मेलन को भारत में आयोजित करने का निर्णय सितंबर 2012 में दक्षिण अफ्रीका के जोहांसबर्ग शहर में आयोजित नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन के अवसर पर लिया गया था ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस विश्व हिंदी सम्मेलन का भोपाल में उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में हिंदी के लिए ज्यादा आंदोलन उन लोगों ने चलाया जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश राज्य मंत्री जनरल श्री वी. के. सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महामहीम केशरीनाथ त्रिपाठी, गोवा की राज्यपाल महामहीम श्रीमती मृदुला सिंहा, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, मॉरीशस की शिक्षा मंत्री श्रीमती लीला देवी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रमुखता से उपस्थित थे। उद्घाटन में तत्कालीन केन्द्रीय इस्पात व खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी शामिल हुए।

दसवें सम्मेलन में समकालीन मुद्दों और विषयों पर विचार–विमर्श किया गया। विभिन्न समानांतर सत्रों के विषय, गिरमिटिया देशों में हिंदी, विदेशों में हिंदी शिक्षण, विदेशियों के लिए भारत में हिंदी की सुविधा, अन्य भाषा भाषी राज्यों में हिंदी, विदेश नीति में प्रौद्योगिकी में हिंदी, विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाएं, बाल साहित्य में हिंदी, हिंदी पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता, देश और विदेश में प्रकाशन समस्याएं एवं समाधान आदि थे ।

अनूठे एवं भाषा केन्द्रित भाव वैचारिक महाकुंभ, दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन 12 सितम्बर, 2015 दादा माखनलाल चतुर्वेदी नगर लाल परेड मैदान, भोपाल में सउल्लास संपन्न हुआ। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, विदेश राज्य मंत्री श्री वी. के. सिंह, गोवा की राज्यपाल महामहीम श्रीमती मृदुला सिंहा, मॉरीशस की शिक्षा मंत्री श्रीमती लीला देवी आदि अनेक गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर तीन दिनों तक चले अलग–अलग सत्रों में की गई अनुशंसाओं की प्रस्तुति की गई तथा हिंदी के अनेक मनीषियों को विश्व हिंदी सम्मान से अलंकृत किया गया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका 'गंगानांचल' के विशेष अंक, सम्मेलन की स्मारिका, समारोह के शुभंकर पर विशेष डाक टिकट, साहित्यकारों पर केन्द्रित कैलेन्डर, माखनलाल चतुर्वेदी पर प्रकाशन का लोकार्पण इस सम्मेलन में किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश जनजातीय संग्राहलय में 'धरोहर' उत्सव का आयोजन, देश विदेश के मेहमानों को प्रदेश की परंपरा और संस्कृति से रूबरू कराने के लिए आयोजित किया गया। सम्मेलन स्थल के डॉ. मोटूरि सत्यनारायण कक्ष में सम्मेलन के मुख्य विषय पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में हिंदी के विस्तार और विकास यात्रा एवं भविष्य की संभावनाओं को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित किया गया। साथ ही संचार एवं प्रौद्योगिकी और विज्ञान में हिंदी का प्रयोग को अधिक बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विभिन्न संस्थाओं जैसे गूगल, सीडैक, भारत कोश, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इत्यादि की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया था। साथ ही "मध्य प्रदेश, शब्द वैभव" शीर्षक से एक अन्य प्रदर्शनी मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा सोमदत्त बखौरी प्रदर्शनी कक्ष में म.प्र. के हिंदी परिदृश्य में उसके गौरवशाली इतिहास और हिंदी साहित्य में अनुपम योगदान को भी अत्यंत रोचक रूप में दर्शाया गया। शाम को मैत्रेयी पहाड़ी की नृत्य नाटिका: अथ हिंदी कथा के माध्यम से हिंदी की विकास यात्रा की मनोहारी प्रस्तुति की गई। अगला 11 वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरीशस में आयोजित किया जाएगा इसकी घोषणा के साथ दुनिया के कोने–कोने से आए करीब 39 देशों के प्रतिनिधि का इस हिंदी के महाकुंभ का सुखद अनुभव मेरे जीवन के स्मरण पटल पर हमेशा के लिए उद्धित रहेगा।

रेकी - एक परिचय

अक्षत यान्निक
कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

रेकी मास्टर /टीचर होने के नाते मैं पाठकों को रेकी की इस संक्षिप्त जानकारी से अवगत कराना चाहता हूँ ताकि भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित हो सकें ।

आज संसार में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं। इनमे सबसे सरल है रेकी । रे का अर्थ है सर्वव्यापी, जो पूरे ब्रह्मांड मे हर जगह है । की का अर्थ है ऊर्जा । तो रेकी का अर्थ हुआ वह ऊर्जा जो हर जगह है । हमारा शरीर सात चक्रों के घूमते रहने के कारण ही क्रियान्वित रहता है । यह सात चक्र हमारे शरीर मे सदैव ही घूमते रहते हैं जिसके कारण हमारा शरीर सुचारु रूप से कार्य करता रहता है। जब भी इन सात चक्रों मे से किसी एक चक्र मे कोई गड़बड़ी होती है, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है । इसलिए निरंतर ऊर्जावान बने रहने के लिए और शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है की ये सात चक्र सही तरीके से कार्य करते रहें । रेकी इन्हीं सात चक्रों के संतुलन को बनाए रखने मे सक्षम है ।

हमारे आस पास जो ऊर्जा है उसे अपने अंदर प्रवाहित करने के लिए सहस्रार चक्र (जो की हमारे सिर के मध्य भाग मे स्थित है) के मार्ग का खुलना आवश्यक है। यह कार्य एक रेकी मास्टर ही कर सकता है। जब इस चक्र का मार्ग खुल जाता है, तब रेकी सहज रूप से सहस्रार चक्र से होते हुए पूरे शरीर मे बहने लगती है। और तो और, यही ऊर्जा दूसरे व्यक्तियों में भी प्रवाहित की जा सकती है जिससे उनके रोगों का उपचार हो सके। रेकी को स्पर्श चिकित्सा कहा जाता है । रेकी का स्मरण करके जब रोगी के शरीर पर हाथ रखा जाता है तब रेकी उसे मिलने लगती है । इस चिकित्सा तकनीक से न केवल शारीरिक, अपितु मानसिक रोगों का उपचार भी संभव है ।

जिस व्यक्ति को रेकी मास्टर द्वारा रेकी की डिग्री मिली होती है, उसे हम रेकी चैनल कहते हैं, क्योंकि उसका शरीर एक चैनल मात्र है जिसके द्वारा रेकी रोगी तक पहुँचती है । रेकी को सामान्यतः तीन डिग्रियों मे बांटा गया है । ये डिग्रियाँ अन्य डिग्रियों की तरह पढ़ाई करके अथवा कोई परीक्षा पास करके नहीं ली जाती । ये तो एक रेकी मास्टर द्वारा सहज ही आपको प्राप्त हो जाती है । जिस क्रिया से एक सामान्य मनुष्य 'रेकी चैनल' मे परिवर्तित होता है उसको शक्तिपात कहते हैं । रेकी मास्टर द्वारा शक्तिपात करने पर रेकी जीवनभर आपके पास रहती है । हाँ, यह अवश्य है की जो जितना अभ्यास करता है, उसकी रेकी को महसूस करने की शक्ति अधिक होती है । रेकी किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति सीख सकते हैं और इसका प्रयोग जानवरों और पेड़ पौधों पर भी उत्तम होता है । केवल स्पर्श करने से अगर किसी रोग को ठीक किया जा सके, तो इससे सहज उपचार प्रक्रिया और क्या होगी। रेकी से स्वयं का इलाज भी संभव है ।

टीवी चैनल एक आईने में

पप्पू गुप्ता
कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
एम.एम.एस. प्रभाग

साहित्य समाज का आईना है और इस आईने को जन–जन तक पहुँचाते हैं, हमारे टीवी चैनल लेकिन इस आईने पर धूल जम जाये तो समाज को साहित्य के मूलभूत तत्वो से वंचित किया जा सकता हैं । कुछ ऐसे ही स्थिति में है हमारे टीवी चैनल ।

टेलिविजन जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जो मौजूदा दौर में हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा हैं । दैनिक जीवन में भी टेलिविजन ने छोटे–छोटे फैसले लेने शुरू कर दिये हैं । आज के दौर में आदमी कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, किस साबुन से नहाये और कौन सा अंडरवियर पहनें इसका निर्णय भी टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन कर रहे हैं । इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लोग तंबाकू उत्पाद का प्रचार कर रहे हैं ।

टीवी चैनलों के जरिए संस्कृति के पक्ष और विपक्ष दोनों में नए मानक स्थापित हो रहे हैं । टीवी चैनलों द्वारा परोसे जा रहे कार्यक्रमों की इस अफरा–तफरी में एक ऐसी उपभोक्तावादी पॉप संस्कृति पैदा हो रही है जिसमे तमाम सामाजिक मर्यादाओं को टूटते हुए देखा जा सकता हैं । आज का युवा पुराने साहित्यिक व संस्कारिक गीतों को छोड़कर उत्तेजक गीतों पर थिरकने लगा है तमाम मर्यादायों, सामाजिक पारिवारिक और नैतिकताओं को तोड़कर फिल्में प्रसारित हो रही है जो समाज में बढ़ते आपराधिक मामले जैसे बलात्कार, एसिड अटैक, आतंकवाद जैसी घटनाओं के लिए कही न कही जिम्मेदार हैं । ऐसे में अब निजी चैनलों से ज्यादा दूरदर्शन व आकाशवाणी पर ही उम्मीद है कि कंटेंट में कमी लाये बिना आज के परिवेश में विकास करे और अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझे तथा बाजारवाद के साथ–साथ अपने मूलभूत तत्वों को सहेजे रहे ।

1982 में पूर्णचंद्र जोशी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि टेलीविजन किसी देश का चेहरा होता है इसके माध्यम से हमें किसी देश का परिचय मिलता हैं । दूरदर्शन और आकाशवाणी पर वही प्रसारित होना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति का पता चलता हैं । दूरदर्शन हमेशा से ऐसा ही रहा है, इसके कार्यक्रम लंबे समय तक भारतीय संस्कृति का आईना बने हुए हैं, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जैसे ही उदारीकरण का दरवाजे खोले, दूरदर्शन का बुनियादी चरित्र ही बदल गया । देश में निजी चैनलों की बाढ़ सी आ गयी, निजी चैनलों ने विदेशी चैनलों के तर्ज पर कार्यक्रम बनाकर परोसने शुरू किए तो मनोरंजन का पूरा परिदृश्य ही बदल गया ।

भारतीय प्रसारण संघ ने चैनलों के लिए दिशा – निर्देश जारी करने व कार्यक्रमों से जुड़े सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए जून 2011 में बीसीसीसी (ब्रॉडकास्ट कंटटेंट कम्पलेंट काउंसिल) का गठन किया । यह काउंसिल न केवल दर्शकों से मिलने वाली शिकायतों की बल्कि गैर सरकारी संगठनों व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं की भी समीक्षा करेगी ।

सरकारी व निजी टीवी चैनलों की अच्छी बुरी प्रसारण सामग्री ने आज हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा है । ये सामग्री हमारी पूरी सोच को बदल रही है, जिससे हमें फायदा भी हो रहा है और नुकसान भी । लगभग सभी टीवी चैनल एक बड़ी व्यापारिक प्रतियोगिता में फंसे हुए हैं । एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इन चैनलों में से अधिकतर ने स्वयं को बे–लगाम कर दिया हैं । जिस घोड़े पर कोई सवार न हो और लगाम भी न कसी हो तो सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि वह घोड़ा क्या न कर गुजरेगा ।

बहू नहीं बेटी

स्नेहलता सोमानी
पत्नी श्री एम. के. सोमानी, आर. एम. जी, जी.एम.एम.एम. सेल

एक बेटी अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर शादी के बाद जब नये घर में बहू के रूप में प्रवेश करती है तो उसके मन में डर बना रहता है कि ससुराल में उसके साथ किस तरह का व्यवहार होगा । क्योंकि आमतौर पर सास–बहू का रिश्ता या ननद–भाभी का रिश्ता एक दूसरे को शंका की नजर से देखा जाता है । किसी तरह से बहू को एवं उसके परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश होती है ।

लेकिन जिस प्रकार किसी पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाने पर ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उसी प्रकार बहू को नये घर में अपनेपन का माहौल देने की जरूरत होती है तभी वो ससुराल को भी अपना घर समझेगी और सबका आदर सम्मान करेगी। अतः आवश्यकता इस बात की है कि बहू को बेटी समझ कर उसे नये माहौल को समझने में मदद करनी चाहिये । जिस प्रकार बेटी कोई गलती करती है और उसे समझाया जाता है उसी प्रकार बहू को भी उसकी गलती पर प्रेम से समझायें और बहू को नये घर में ढलने का मौका देना चाहिये। सास को चाहिए कि बहू को माँ की तरह समझाये और बातचीत कर बहू के विचारों को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए।

मेरा भी एक बेटा है और उसके लिये बहू लानी है लेकिन मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगी।

कुंडलिनी शक्ति एवं आत्मसाक्षात्कार

प्रवीण डी. गजभिये
अवर श्रेणी लिपिक

गत वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री जी के आह्वन पर समूचे विश्व में योग के प्रति जागरूकता आयी है । लोगों को योग से होने वाले फायदों के संबंध में जानकारी होने लगी है, परंतु शारीरिक योग के साथ आत्मिक उन्नति भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा ही समझें । इसी संबंध में सहज योग पद्धति से कुंडलिनी जागरण एवं आत्मसाक्षात्कार के बारे में संक्षिप्त लेख प्रस्तुत है ।

5 मई, 1970 इस युग का सबसे महान दिन था । इसी दिन श्री माताजी निर्मलादेवी द्वारा विश्व का सहस्त्रार नारगोल (गुजरात) में खोलकर आत्मसाक्षात्कार के विधि को सामान्य जन के लिए सरल बना दिया । इसलिए इसे सहजयोग कहा जाता है । सहज का दूसरा अर्थ होता है सह मतलब साथ में ज यानी जन्मा हुआ मतलब साथ में जन्मा हुआ । कुंडलिनी शक्ति मानव के जन्म के साथ ही उसके रीढ़ की हड्डी में कुंडल रूप में सुप्त अवस्था में स्थित रहती है । यह मानव के जीवन का एक तरह का रिकॉर्डर होता है इसके ही आधार पर मनुष्य अपना जन्म पाता है, परंतु यह शक्ति हर जन्म से इस ताक में रहती है कि कोई साक्षात्कारी व्यक्ति इसका जागरण कर उक्त मनुष्य को महा मानव बनाए जिससे उसका इस धरा पर आने का औचित्य पूर्ण हो जाए ।

भृगमुनि द्वारा रचित 14 हजार वर्ष पुराने महान नाड़ीग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आधुनिक युग के इस दौर में एक शक्ति इस धरा पर जन्म लेगी और वह सामूहिक आत्मसाक्षात्कार का कार्य करेगी । इस कथन को सत्य करते हुए 21 मार्च, 1923 को दोपहर 12:00 बजे श्री माताजी निर्मला देवी का जन्म मध्य–प्रदेश स्थित छिन्दवाडा में हुआ था । आज 120 से भी ज्यादा देशों के लाखों लोगों द्वारा अपना आत्मसाक्षात्कार कराकर उनका लौकिक जीवन तो सुधारा ही साथ ही वे अपने अलौकिक जीवन के महत्व को भी पूर्ण कर सके ।

हम देखते हैं कि आज मनुष्य त्रस्त होकर एवं समस्याओं को सुलझाने हेतु ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है । ऐसे वक्त में सहजयोग द्वारा कुंडलिनी जागरण कर जीवन को सुखमय बनाने का समय आ गया है ।

सहजयोग द्वारा कुंडलिनी जागरण प्रणाली को सुनने से प्रतीत होता है कि यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया होगी, परंतु ऐसा नहीं है । श्री माताजी निर्मला देवी की अनुकंपा से यह प्रक्रिया बड़े ही सहजता से घटित होती है । इस प्रक्रिया के घटित होने के बाद इंसान में जो बदलाव आता है वह देखने लायक होता है । मुख्य बात यह है कि इस अवस्था को प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है, यह निःशुल्क है । यह एक मल्टी डायमेंशनल चीज है इसका असर हर व्यक्ति के उम्र के मुताबिक अलग–अलग देखने में आता हे । जैसे छोटे बच्चों में इसके जागृति के बाद हम देख सकते हैं कि उनके व्यवहार में पूर्णतः बदलाव दिखाई देता है, बच्चे सेल्फ डिसीप्लीन्ड हो जाते हैं । वे इतने समझदार हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है या क्या नहीं करना स्वतः ही समझ में आ जाता है । जागृति के पश्चात बच्चों के परीक्षा परिणामों में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि होते हुए देखी गई है ।

15 से 30 वर्ग की आयु के बच्चे जागृति लेते हैं तो उनके जो मुख्य प्रश्न होते हैं जैसे उच्च पढ़ाई, कैरीअर, नौकरी, शादी – ब्याह या आज के अंधाधुंध जीवन शैली के कारण भावनात्मक क्षय होना इन सभी विषयों को सहजता से सुलझते हुए देखा गया है । आज के कम्पटीशन के जगत में विद्यार्थी व्यक्तित्व के विकास के लिए हजारों रूपये खर्च करते हैं । परंतु सहज जागृति के पश्चात उनके अंतरजात गुण अपने आप ही उभर आते हैं एवं विद्यार्थी आत्मविश्वासी हो जाते हैं । आज सहजयोगी बच्चे आई. आई. टी. एवं अन्य परीक्षा पास कर नई नामी संस्थानों में कार्यरत हैं । 30 से 50 वर्ग के आयु के लोगों की जागृति के बाद यह देखा गया है कि उनके समुख जो भी कठिनतम परिस्थितियाँ जैसे ऑफिस की समस्याएँ बिजनेस की समस्याएँ या अन्य पारिवारिक निर्वाण को बिना किसी टेंशन से सुलझते हुए देखा गया है एवं वे अपना हर्षोल्लास से जी रहे हैं । उनके जीवन में बोरियत नाम की कोई चीज नहीं है । वृद्ध लोगों को होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्त होते हुए देखा गया है । वे आनंदमय एवं खुशहाल जीवन जी रहे हैं । यदि जागृति के पश्चात किसान खेती एवं पशुपालन सहज पद्धति से करते हैं तो उनके फसल में कई गुणा वृद्धि होते हुए देखी गई है तथा पशु के दुग्ध उत्पादन एवं गुणवत्ता में भी कई गुणा वृद्धि होते हुए देखी गई है ।

इस जागृति का सबसे अहम लाभ यह है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक खोज में भटक रहा है उसे जागृति के पश्चात अपना सही ठिकाना मिल जाता है ओर वह इसी जीवन में इसकी अनुभुति प्राप्त करता है । क्योंकि यह वही समय है जिसके बारे में हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई थी कि ऐसा समय आएगा जिस समय मनुष्य अपने प्रकाश को स्वयं ही अनुभव करेगा । उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाएगी । पिछले 46 वर्षों से 20 से अधिक देशों के लाखों लोगों ने आत्मा के प्रकाश का अनुभव कर अपने आपको धन्य किया है ।

इसके वैज्ञानिक तौर पर निम्न रूप से जान सकते हैं । मनुष्य के शरीर में सात प्रमुख ऊर्जा केंद्र अर्थात चक्र होते हैं जिन्हें चिकित्सा विज्ञान में प्लेक्सेस कहा जाता है । इन ऊर्जा केंद्रों को चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवनोपयोगी ऊर्जा इन बिंदुओं पर गोल–गोल घूमती रहती है। ये शरीर के जिस भाग में स्थित होते हैं उस क्षेत्र के सारे अवयवों को नियंत्रित करते हैं, जैसे :–

चक्र या सूक्ष्म शक्ति केंद्र	शरीर के भाग का नियंत्रण
मूलाधार चक्र	रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से थोड़ा सा नीचे
स्वाधिष्ठान चक्र	पेट के नीचे का हिस्सा
भवसागर चक्र	नाभिक के चारों ओर और पेट
अनहद चक्र	हृदय और फेफड़ों का क्षेत्र
विशुद्धि चक्र	गला
आज्ञा चक्र	माथा
सहस्त्राचार चक्र	तालु भाग

आत्मसाक्षात्कार के बाद कुंडलिनी शक्ति इन सभी चक्रों को पाल्वित करती है । इन्हें संतुलन प्रदान कर मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ मिलता है । इसी तरह मानव शरीर चलाने के लिए तीन मुख्य नाड़ियाँ जिन्हें चिकित्सा विज्ञान में सिंफथेटिक एवं पैरा सिंफथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, कारक होती है ।

1. इड़ा नाड़ी (लेफ्ट सिंफथेटिक नर्वस सिस्टम) : यह हमारी बाँयी अनुकंपी नाड़ी है जो इच्छाओं, भावनाओं, आदतों तथा भूतकाल को नियंत्रित करती है और हमें खतरों से बचाती है।
2. पिंगला नाड़ी (राईट सिंफथेटिक नर्वस सिस्टम): यह हमारी दायीं अनुकंपी नाड़ी है जो हमारे विचारों, कार्यों, योजनाओं तथा भविष्य को नियंत्रित करती है । यह हमारा जीवन चलाने के लिए उत्तरदायी है ।

सुषुम्ना नाड़ी (पैरा सिंफथेटिक नर्वस सिस्टम): यह हमारे मध्य में रीढ़ की हड्डी के साथ परा अनुकंपी नाड़ी है, जो हमारे सांस, हृदयगति आदि स्वचालित कार्य को नियंत्रित करती है । आत्मसाक्षात्कार के बाद यह नाड़ी हमारी इड़ाव पिंगला में संतुलन प्रदान कर हमें अतिशय आलस्य और अति कर्म से बचाती है ।

देवनागरी लिपि कुछ रोचक तथ्य (संग्रह)

1. देवनागरी लिपि विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में सर्वाधिक व्यवस्थित लिपि है ।
2. संसार की किसी भी भाषा को देवनागरी में रूपांतरित किया जा सकता है ।
3. देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक पूर्ण लिपि है ।
4. देश में देवनागरी लिपि को जानने वालों की संख्या सबसे अधिक है ।
5. देवनागरी लिपि पूर्णतया वैज्ञानिक लिपि है ।
6. देवनागरी लिपि भारत में प्रयुक्त सभी लिपियों में सबसे सरल है ।
7. ऐसा माना जाता है कि देवनागरी नाम काशी नगर के नाम पर दिया गया है क्योंकि काशी को संस्कृत में देवनगर भी कहते हैं ।
8. देवनागरी में जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है ।
9. देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही लिखित रूप स्वीकार किया गया है ।
10. देवनागरी लिपि में विश्व की सभी भाषाओं की ध्वनियों को शुद्धतम रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ।
11. देवनागरी लिपि विश्व भर की भाषाओं के लिए संपर्क लिपि बनने की क्षमता रखती है ।
12. कम्प्यूटर के लिए देवनागरी लिपि आदर्श लिपि सिद्ध हो चुकी है ।
13. आशुलिपि के आविष्कारक आईजैक पिटमैन के अनुसार विश्व की सर्वाधिक पूर्ण लिपि देवनागरी ही है ।
14. डॉ. आईजैक टेलर ने देवनागरी में लिखी वर्णमाला को सबसे सुंदर, सबल, सरल और सटीक माना है ।
15. राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी कहा था कि विश्व की सभी लिपियों में देवनागरी ही सर्वोत्तम है ।
16. अन्य भारतीय लिपियों के मुकाबले देवनागरी लिपि ही राष्ट्रलिपि होने के लिए सर्वथा उपयुक्त है ।

असफलता को बनाएं सफलता प्राप्त करने की सीढ़ी

सुनील कुमार शर्मा
सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)

मनुष्य कोई भी कार्य सफल होने के लिए करता है, किंतु जब उस कार्य का परिणाम असफलता के रूप मे प्राप्त होता है तो मनुष्य दुखी और हताश हो जाता है । परंतु उसी असफलता का विश्लेषण करके पुनः नए सिरे से कार्य किया जाए तो निश्चित ही सफलता मिलती है । महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन ने भी अपनी कविता में कहा है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम । जो व्यक्ति जीवन में असफलता मिलने पर निराश होकर प्रयास करना ही छोड़ देता है वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता । सफल वह नहीं, जो कभी हारा न हो बल्कि सफल वह है, जो हारकर भी उठ खड़ा हुआ हो, आज हम किसी भी सफल एवं यशस्वी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है कि वह जीवन में कभी असफल नहीं हुआ होगा । परंतु वास्तविक स्थिति इससे कहीं भिन्न है । आज ऐसे जो भी व्यक्ति सफलता के शिखर पर है, निश्चित ही जीवन में कभी न कभी असफल अवश्य हुआ है, परंतु ऐसे महान व्यक्तियों ने जीवन में उस असफलता के मोड़ पर हार नहीं मानी और असफलता का विश्लेषण करके निरंतर प्रयास करते रहे और परिणामस्वरूप सफलता उनके कदम चूमने लगी । ऐसे कई उदाहरण हैं, जिन्हें आज हम सफलता का आदर्श मानते हैं, परंतु उनके जीवन को खंगालें तो पाते हैं कि उन्होंने भी असफलता का सामना किया है । आइए जानते हैं, कुछ ऐसे ही सफल व्यक्तियों के बारे में....

अमिताभ बच्चनः

एक व्यक्ति जिसे रेडियो समाचार उद्घोषक के साक्षात्कार से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी आवाज उन्हें अच्छी नहीं लगी और कहा गया कि वह कभी प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकता । वह व्यक्ति है अमिताभ बच्चन, जो आज अपनी आवाज के कारण बॉलीवुड के महानायक हैं ।

हेनरी फोर्डः

आज हेनरी फोर्ड जो विश्व के अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कम्पनी के मालिक हैं । सफल बनने से पहले फोर्ड पाँच अन्य व्यवसाय करने मे असफल हुए थे। कोई और होता तो पाँच बार अलग अलग व्यवसाय में असफल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता । लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज वे एक बिलेनियर कम्पनी के मालिक हैं ।

डॉ ए. पी. जे. अब्दुल कलामः

एक छोटा बच्चा, जो अपने सात भाई बहनों मे पाँचवें नम्बर पर था, बचपन मे बच्चा अपनी पढ़ाई की फीस भरने के लिए सुबह–सुबह अखबार बाँटा करता था । लेकिन विज्ञान के प्रति उसके सपने बड़े थे । जब उसने पहला रॉकेट बनाया तो वह असफल हो गया । पहली मिसाइल बनाई तो वह भी सफल नहीं हो पाई । लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उस बच्चे का नाम है – डॉ ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ।

अल्बर्ट आइंस्टीनः

एक बच्चा स्कूल से निकाला गया, क्योंकि लोग उसे मंदबुद्धि समझते थे । वह गणित के आसान से सवाल भी हल नहीं कर पाता था और कहा गया कि वह जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता । उसकी माँ ने उसे घर पर ही शिक्षा दी और वो इंसान एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। उस मंदबुद्धि बच्चे का नाम है : अल्बर्ट आइंस्टीन।

कैलाश कटकर:

एक व्यक्ति जो न तो पढ़ाई मे बहुत अच्छे थे और न ही कोई बहुत अच्छा हुनर उनके अंदर था । 1980 मे सीनियर सैकेंडरी स्कूल पास करने के बाद उन्हें परिवार की दयनीय स्थिति होने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा । घर की आर्थिक मदद करने के लिए वे स्कूल के समय में ही नौकरी करने लगे थे । कुछ पैसा बचाकर उन्होंने व्यापार शुरु करने की सोची । जो किसी जमाने मे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, आज वो एक मिलिनियर एंटीवाईरस कम्पनी Quick Heal Technologies के CEO हैं । उस व्यक्ति का नाम है: कैलाश कटकर ।

सोइकिरो होंडा:

एक 22 साल का लड़का जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश कर रहा था। उसे अनेकों बड़ी कम्पनियों ने नौकरी पर रखने से मना कर दिया । यहाँ तक कि टोयोटो मोटर्स (Toyoto Motors) जैसी बड़ी कम्पनी ने भी नौकरी पर रखने से मना कर दिया । लेकिन उस लड़के ने अपनी लगन के दम पर अपना ऑटोमोबाइल का काम शुरु किया । एक दिन इस लड़के ने अपनी स्वयं की कम्पनी होंडा मोटर कॉर्पोरेशन (Honda Motor Corporation) की स्थापना की और टोयोटो मोटर जैसी बड़ी कम्पनी को बाजार मे पछाड़ दिया, जिसने किसी जमाने में उसे नौकरी देने से मना कर दिया था । उसने यह सिद्ध किया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है । उस लड़के का नाम है: सोइकिरो होंडा

इरा सिंघल:

एक लड़की जिसे अपनी विकलांगता के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नही मानी । उसने सिद्ध किया कि जिन लोगों के हौसलें बुलंद होते हैं वे कठिनाइयों से नहीं डरते और सफलता उन्हें मिलती ही है । संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा–2014 (UPSC Civil Service Examination–2014) में उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था । उसने लोगों को सिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है । उस विकलांग लड़की का नाम है इरा सिंघल ।

यदि हम हाथी का उदाहरण लें तो जब हाथी का बच्चा छोटा होता है, उसे पतली एवं कमजोर रस्सी से बांधा जाता है । हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता । लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली एवं कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह रस्सी को तोड़ता नहीं, बंधा रहता है, क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है, तो वह बार–बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता । हाथी का बच्चा बड़ा होने के बाद भी यही समझता है कि वह रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता । इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है ।

जीवन में असफलता कुछ भी नहीं । वह तो सफलता प्राप्त करने की एक सीढ़ी है । असफलता मिलने पर हम गलत धारणाएं बना लेते हैं । इसी कारण हमें कई कार्य असंभव लगते हैं, जबकि असफलता मिलने पर यदि हम उसका विश्लेषण करके पुनः सफलता का प्रयास पूरे मन से करें तो निश्चित ही सफलता मिलती है ।

व्यवसाय जगत और हिंदी

विनय कुमार सक्सेना
वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक

"अर्थव्यवस्था में भाषा का महत्व स्तर की भाँति है, जो व्यवसाय को संवादहीनता से बचाती है । बिना संवाद के व्यवसाय की कल्पना असंभव है ।" (प्रबंधन थ्योरी)

व्यवसाय जगत का किसी भी अर्थव्यवस्था में प्राण संप्रेषित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है । व्यवसाय जगत को आवाज देने में उस स्थान विशेष की भाषा का, जो उस व्यवसाय में प्रचलित है, का महत्व सर्वविदित है । इस परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा को उन्नति का आधार बताते हुए लिखा है कि

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल ।
दैनिक भाषा ज्ञान के, मिटै न हिये को सूल ।।"

भारत देश के संबंध में निज भाषा के रूप में हिंदी प्रतिष्ठित है और निश्चय ही भारतीय व्यवसाय जगत में संवाद की महत्वपूर्ण कड़ी है । भारतीय व्यवसाय जगत में जहाँ हिंदी का व्यावहारिक रूप में एक बड़े वर्ग में प्रचलन है वहीं दूसरी ओर अहिंदी प्रदेशों में भी पच्चास प्रतिशत से अधिक जनता इसका व्यवहार करती है । व्यवसाय जगत में हिंदी यही नहीं रूकती अपितु देश से बाहर जैसे मॉरीशस में पैंसठ प्रतिशत, सूरीनाम में तीस प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका में पैंतीस प्रतिशत, फीजी में पचपन प्रतिशत, गुआना में चालीस प्रतिशत एवं नेपाल में चालीस प्रतिशत आदि देशों में इसका प्रचलन है । यही कारण है कि सन् 2001 के आँकड़ों के अनुसार चीन की मंदारिन भाषा के पश्चात् विश्व में दूसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है । विश्व पंचांग 2001 के अनुसार विश्व में इस भाषा का प्रयोग 366 मिलियन लोगों द्वारा किया जाता है । उपरोक्त आँकड़े जहाँ एक ओर हिंदी के प्रचलन को इंगित करते हैं वहीं दूसरी ओर व्यवसाय जगत के लिए इसकी उपयुक्तता को दर्शाते हैं ।

वर्तमान संदर्भ में व्यवसाय जगत और हिंदी

हर भाषा की अपनी रवानगी, एक खासियत होती है, जिसमें स्थान विशेष के लोगों को अपनी जिंदगी की धड़कन सुनाई देती है जो निश्चय ही व्यवसाय जगत के जन मानस में प्राण भर देती है । व्यवसाय जगत में हिंदी के प्रचलन को यदि देखना है तो विभिन्न क्षेत्रों की ओर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि हिंदी व्यवसाय जगत में कैसे पैठ बना रही है । उदाहरणार्थ नागपुर जैसे विविध भाषा–भाषी क्षेत्र में शॉपिंग सेंटर का नाम 'अपना भंडार', 'अपना बाजार', शो रूम के नाम 'खानदान', 'परिधान' है तो रेस्टोरेंट के नाम 'अभिनंदन', 'ठाठ बाट' हैं जो इस बात के परिचायक हैं कि हिंदी में व्यवसाय जगत रूचि ले रहा है और उसे विश्वास हो चुका है कि निज भाषा से दूरी व्यवसाय के लिए शुभ नहीं है । इसी प्रकार राजधानी दिल्ली में सभी राज्यों के एम्पोरियम के नामों की बानगी देखिए–आम्रपाली (बिहार), मृगनयनी (मध्य प्रदेश), मंजूषा (पश्चिम बंगाल), गुर्जरी (गुजरात), फुलकारी (पंजाब), गंगोत्री (उत्तर प्रदेश), लेपाक्षी (आन्ध्र प्रदेश), त्रिमूर्ति (महाराष्ट्र) आदि । उपरोक्त हिंदी भाषायी शब्द व्यवसाय जगत में हिंदी को प्रतिष्ठित करने के सर्वोत्तम उदाहरण माने जा सकते हैं ।

भारतीय व्यवसाय जगत में हिंदी को प्रभावित करने वाले कारक

भारतीय व्यवसाय जगत में हिंदी का वही स्थान है जो मानव जगत में विचार अभिव्यक्ति के लिए भाषा का होता है। भारत एक मिली–जुली संस्कृति के सागर की भाँति है जिसमें विभिन्न संस्कृति के साथ आचार–विचार, भाषा आदि में भी विविधता है। अतः व्यवसाय जगत में हिंदी को प्रतिष्ठित करने में आने वाली व्यावहारिक समस्याएं अथवा प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं

1. हिंदी में आधुनिक तकनीकी साहित्य का अभाव ।
2. व्यवसाय जगत का विदेशी भाषा के प्रति अंध मोह ।
3. भारत में विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों में हिंदी की उपेक्षा ।
4. हिंदी भाषा में व्यावसायिक शिक्षा का अभाव ।
5. हिंदी भाषा का आधुनिक संदेश/संचार माध्यम में दोयम दर्जे में रहना।
6. विश्व में व्यवसाय जगत में हिंदी का पर्याप्त प्रचलन न होना ।
7. सरकारी संस्थाओं का हिंदी भाषा के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण का पाया जाना ।
8. व्यवसाय जगत में कम्प्यूटर का प्रचलन हिंदी भाषा में ना होना ।

उपरोक्त कारक व्यवसाय जगत में हिंदी के प्रचलन को प्रभावित करते हैं । पर यह केवल संक्रमण काल की गति है। नवीन आशाएं हैं। जहाँ समस्याएं हैं, वहाँ समाधान भी हैं। जरूरत है उच्च इच्छा शक्ति एवं धैर्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की, जो हिंदी को व्यवसाय जगत में स्थायित्व दे ।

व्यवसाय जगत में हिंदी को प्रतिष्ठान करने के उपाय नकारात्मक सोच और हीनता की भावना से उपर उठकर देखें तो व्यवसाय जगत में हिंदी का योगदान उल्लेखनीय है । इसका महत्व कम करके नहीं आंका जाना चाहिए । फिर भी अहम सवाल पूर्व में उल्लेखित कारकों के रूप में सामने खड़े हैं । इतनी प्रगति के बावजूद हिंदी व्यवसाय जगत में प्रतिष्ठित करने के उपाय क्या है ? सकारात्मक दृष्टिकोण से वे उपाय ये हो सकते हैं :–

1. व्यावसायिक एवं तकनीकी ज्ञान हिंदी में उपलब्ध हो : वर्तमान में आधुनिक व्यावसायिक ज्ञान व तकनीकी ज्ञान को हिंदी माध्यम में जन मानस में प्रसारित कर हिंदी प्रसार को बढ़ाया जा सकता है ।
2. हिंदी को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़कर विदेशी भाषा से मुक्ति : जन मानस में हिंदी को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बनाकर विदेशी भाषा के मोह से दूर कर प्रतिष्ठित किया जा सकता है ।
3. विश्व व्यवसाय जगत में हिंदी प्रचलन में वृद्धि करना : वे देश जहाँ हिंदी का प्रचलन काफी है जैसे – मॉरीशस, फीजी, नेपाल, गुआना आदि देशों में व्यावसायिक रूप से हिंदी के प्रचलन में वृद्धि कर हिंदी को प्रतिष्ठित किया जा सकता है।
4. संचार माध्यमों की सहायता से : वर्तमान में व्यवसाय जगत को विश्वास हो चला है कि जन मानस तक पहुँचने के लिए हिंदी भाषा उपयुक्त है । परिणामस्वरूप विदेशी कंपनियाँ भी हिंदी में विज्ञापन देने के लिए बाध्य हैं । आज भी मीडिया जगत में हिंदी चैनल सर्वोपरि हैं जो हिंदी को व्यवसाय जगत में प्रतिष्ठित कर रहे हैं ।
5. कम्प्यूटर शिक्षा को हिंदी माध्यम में अपनाकर : आज व्यवसाय जगत में कम्प्यूटर ज्ञान गति का पर्याय माना जाता है । अतः उसका ज्ञान हिंदी सॉफ्टवेअर के माध्यम से जन मानस तक पहुँचाया जा सकता है । अब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी हिंदी सॉफ्टवेअर विकसित करने को बाध्य हैं जो व्यवसाय जगत में हिंदी के महत्व को प्रतिष्ठित करने का परिचायक है ।
6. आधुनिक सूचना प्राप्ति इंटरनेट माध्यम को हिंदी में विकसित कर : इंटरनेट आज व्यवसाय जगत में तेजी से पांव जमा रहा है तथा इसमें भी हिंदी का प्रवेश हो चुका है । प्रथम वेब पोर्टल 'वेब दुनिया' का निर्माण हो चुका है । कई इंटरनेट साईट हिंदी में सूचना देकर व्यवसाय जगत को लाभ पहुँचा रही हैं, किंतु अभी इस क्षेत्र में काफी कार्य शेष है।
7. सरकारी संस्थाओं द्वारा हिंदी प्रसार हेतु कठोर नीति का प्रावधान : सरकार द्वारा पिछले पचास वर्षों में हिंदी के प्रति जो उपेक्षित व्यवहार किया गया वैसा उदाहरण अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति किसी अन्य राष्ट्र में दृष्टिगत ना होगा, किंतु अभी विलंब नहीं हुआ है । कठोर नीति अपनाकर हिंदी को उसका वास्तविक स्थान दे दिया जाए तो निश्चय ही व्यवसाय जगत में भी हिंदी का स्थान सुनिश्चित हो जाएगा।

उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण को रखकर व्यवसाय जगत में हिंदी को प्रसारित करना मुश्किल नहीं है ।

निष्कर्ष :

जब व्यवसाय जगत निज भाषा, जहाँ व्यवसाय स्थापित है, को छोड़कर विदेशी भाषा के प्रति मोह रखेगा तो उसके लिए यह कदम भाषायी आत्महत्या के समान होगा, जो उसे विनाश की ओर धकेल देगा, क्योंकि व्यवसाय जगत उस स्थान विशेष की भाषा की उपेक्षा नहीं कर सकता और यही पक्ष भारत के संदर्भ में हिंदी के प्रति सशक्तता प्रदान करता है । विदेशी भाषा यद्यपि कुछ बेहतर मूल्य दे, तो भी उसके द्वारा चिंतन एक खंडित चिंतन होगा और व्यवसाय भी खंडित होने का अभिशाप झेलने को बाध्य होगा ।

भारत में यद्यपि प्रतीक रूप में ही हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विराजित है किंतु यह राष्ट्रभाषा से ज्यादा जन भाषा के रूप में सर्वोपरि है, और इसका जन भाषा के रूप में होना ही व्यवसाय जगत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन भाषा साक्षरों की ही नहीं, निरक्षरों की भी संपर्क भाषा है । यही कारण है कि शनैः शनैः व्यवसाय जगत इसे समझने लगा है । परिणामस्वरूप व्यवसाय जगत में हिंदी का प्रयोग दिन – प्रतिदिन बढ़ता दिखाई दे रहा है।

सरकारी भाषा कुछ भी हो, हिंदी को चाहे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में कितनी ही देर लगे, समझौतावादी राजनीति उसमें कितनी ही अड़चनें डाले, पर व्यवसाय जगत ने जन भाषा हिंदी को अपनी ओर से राह देना प्रारंभ कर दिया है–क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ?

बुद्धिजीवी

एकता गिरी
हिंदी अनुवादक, भारतीय खान ब्यूरो, कोलकाता

'वाह क्या पटका है आज मिस्टर बनर्जी को । बगले झांकने लगे थे' एडवोकेट शुक्ला ने अपने ही मुहँ मियाँ मिट्ठू बनते हुए कहा

'हाँ भइया, आज तो मजा आ गया । आपने तो कमाल कर दिया' जुनियर वकील मिस्टर भानु मस्का लगाते हुए बोले ।

'अरे, कमाल तो मैं रोज ही करता हूँ लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मिस्टर बनर्जी मामले को ठीक से पढ़कर नहीं आए थे। कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, जज के सामने फैसला तो हमारे पक्ष में ही होना था" । मिस्टर शुक्ला अपने कॉलर ठीक करते हुए बोले। मिस्टर भानु अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए, "भईया आज तो पार्टी बनती है"।

'हाँ, हाँ क्यों नहीं चलते हैं शाम को डलहौजी क्लब में'

'अरविंद भईया को भी ले लेना ठीक रहेगा । वो रहेंगे तो किसी भी सामाजिक समस्या का विश्लेषण किया जा सकेगा, मेरा भी थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा' ।

'हाँ भाई, सब चलेंगे । मैं, तुम, मनीष और अरविंद । फिर वहीं पर विचार – विमर्श किया जाएगा' ।

'ठीक है, तो मैं दो घंटे में आपसे क्लब में मिलता हूँ' ।

'ओके' कहकर मिस्टर शुक्ला ने मिस्टर भानु से विदा ली ।

दो घंटे के पश्चात चारों अधिवक्ता डलहौजी क्लब में इकट्ठा हुए । वकालत के हिसाब से और उम्र से भी मिस्टर शुक्ला सबसे सीनियर वकील थे, उसके बाद अरविंद, फिर मनीष और उसके बाद भानु सबसे जुनियर जिन्हें अपनी वकालत प्रारंभ किए यही कोई दो साल हो रहे थे ।

चारों ने अपनी – अपनी कुर्सियाँ एक मेज के इर्द – गिर्द लगवा लीं । मेज पर चखना पहले से रखा जा चुका था ।

'और बताओं अरविंद क्या चल रहा है आजकल देश में' मिस्टर शुक्ला ने वार्ता का सिलसिला प्रारंभ किया ।

'अरविंद भईया तब बोलना शुरू करेंगे जब दो पैक अंदर जाएगी । लाओं भाई इधर भी' बैरा की ओर इशारा करते हुए मिस्टर भानु ने कहा ।

बैरा चार भरी गिला रखकर चला गया ।

'मेरे लिए कोल्डड्रिंक लाइएगा' मिस्टर मनीष ने अपने सामने रखी गिलास हटाते हुए कहा ।

मिस्टर भानु :' मनीष भईया कभी तो हमारा साथ दिया करिए। अच्छा नहीं लगता, आप हमेशा कोल्डड्रिंक तक ही रह जाते हैं' ।

'मैं पीता नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए कोल्डड्रिंक ही सही है' ।

'एक बार चखकर तो देखिए' ।

'अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो चख लेता हूँ' । गिलास मुहँ से लगाकर नीचे रखते हुए, 'बड़ी कड़वी है' ।

'ठीक है, फिर आप कोल्डड्रिंक ही पीजिए'।

'किसानों की हालत दिन व दिन बदतर होती जा रही है । आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं और हमारे नेता हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं । कृषि मंत्री को किसानों के मरने की खबर मीडिया से मिल रही है । कितने शर्म की बात है, हमारे अन्नदाता अन्न के बिना मर रहे हैं' मिस्टर अरविंद ने अपना गिलास खाली करते हुए कहा ।

अब तक बैरा उनके सामने दूसरी भरी गिलास रख कर जा चुका था ।

'मुझे तो लगता है कि यदि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए तो उनकी स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है' मिस्टर शुक्ला ने भी अपना गिलास खाली करते हुए कहा ।

'हमारे देश का सिस्टम ही खराब है । गरीबों की कोई सुनता ही नहीं' मिस्टर भानु को सुरूर चढ़ने लगा था ।

गिलास खाली होने के साथ–साथ चर्चा का विषय भी बदलता जा रहा था । अब जीवन कैसा होना चाहिए, इस पर विचार – विमर्श होने लगा था ।

'मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता । कभी – कभी मैं बिल्कुल अकेला हो जाता हूँ । मेरा आगे का जीवन कैसा होना चाहिए ? मिस्टर शुक्ला जो लगभग पैंतालीस बसंत पार कर रहे थे, अपनों के साथ बैठने पर जीवन के प्रति कुछ ज्यादा ही

चिंतित हो जाते हैं ।

'जीवन नदी की तरह निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि उसके किनारे नई सभ्यताओं का विकास हो सके' । मिस्टर अरविंद की जुबान थोड़ी – थोड़ी लड़खड़ाने लगी थी ।

'अगर साधु बनना है तो चौबीसो घंटे साधु ही बने रहना चाहिए ओर अगर भोग करना है तो हर समय भोग करना चाहिए। यदि आप तेईस घंटे साधु का जीवन जीकर एक घंटे भोग करेंगे तो वह एक घंटे का भोग आपके तेईस घंटों पर भारी पड़ सकता है' इस बार मिस्टर मनीष ने अपने ज्ञानामृत से सबको लाभान्वित किया ।

चर्चा का विषय राजनीति और खेलों से होता हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास पर आ चुका था ।

'हिंदी भाषा का अपना कोई साहित्य ही नहीं है । बंगला भाषा में प्रचुर लेखक हुए हैं, लेकिन हिंदी भाषा..... मिस्टर शुक्ला अपनी धुन में बोले जा रहे थे' ।

'आजकल कोई अच्छा लेखक है ही कहाँ ? सब तो अपने – अपने धनोपार्जन में लगे हुए हैं' मिस्टर अरविंद को हिंदी लेखकों की कमी खल रही थी ।

'जितने ज्यादा लेखक अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं उसका एक प्रतिशत भी हिंदी में नहीं लिखते हैं' । अंग्रेजी लेखकों के संबंध में मिस्टर भानु को ज्यादा समझ थी क्योंकि वे अपनी वकालत की डिग्री विदेश से लेकर आए थे।

अब तक मिस्टर शुक्ला और मिस्टर अरविंद तीन – तीन पैक और मिस्टर भानु चार पैक ले चुके थे । मिस्टर मनीष अपनी कोल्डड्रिंक लिए हुए ही बैठे थे । कोल्डड्रिंक से ज्यादा मजा उन्हें 'चखना' में आ रहा था ।

'भईया अब मुझे निकलना होगा। साढ़े ग्यारह बज रहे हैं' मिस्टर मनीष ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा ।

'हाँ ठीक है, तुम चलो । तुम्हें दूर जाना है । बाकी विचार–विमर्श किया जाएगा । इसी जगह पर, इसी समय । हम लोग भी अब निकलते हैं' मिस्टर शुक्ला कुर्सी का सहारा लेते हुए उठ खड़े हुए । मिस्टर अरविंद और मिस्टर भानु भी साथ हो लिए ।

'भईया मैं आप सबको घर छोड़ देता हूँ' मिस्टर भानु ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा । पहले मिस्टर अरविंद और मिस्टर शुक्ला को घर छोड़ा क्योंकि उन दोनों के घर क्लब के पास थे । फिर मिस्टर मनीष को ।

नशें में गाड़ी चलाने के कारण मिस्टर भानु ने रास्ते के कई सिग्नलों को नजर अंदाज कर दिया और एक कुत्ता उनकी गाड़ी के नीचे आते–आते बचा और अंत में एक मोड़ समय पास की दीवार से टकरा कर गाड़ी एक तरु से थोड़ी पिचक गई ।

मिस्टर मनीष जब घर पहुँचे तो उनकी पत्नी को नींद से उठकर दरवाजा खोलना पड़ा ।

मिस्टर शुक्ला की अस्सी साल की बूढ़ी माँ बेटे से बात करने के इंतजार में सोफे पर बैठी बैठी ही सो गईं ।

और मिस्टर अरविंद के बूढ़े माँ बाप उनके साथ खाना खाने के लिए अब भी इंतजार कर रहे थे ।

चर्चा के पश्चात पारिवारिक तथा सामाजिक मूल्यों और व्यवस्थाओं का उपहास करने को तत्पर चारों बुद्धिजीवी अगली शाम को फिर से ज्ञान के आदान–प्रदान और सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए क्लब में इकट्ठे थे ।

जादू

हम आपको मोबाईल नंबर से आपकी उम्र बताएँगे।

विश्वास नहीं हो रहा है न ?

चलो ट्राई कर लें ।

1. सबसे पहले अपने मोबाईल का आखिरी अंक सोचिए ।
2. अब उसको 2 से गुणा कीजिए ।
3. अब उसमें 5 जोड़ दीजिए ।
4. अब उसको 50 से गुणा कीजिए ।
5. अब उसमें 1765 जोड़िए ।
6. अब उसमें से अपना जन्म वर्ष घटा दीजिए ।
7. आपको 3 अंक प्राप्त होंगे । इसमें पहला अंक आपके मोबाईल का आखिरी अंक है और बचे 2 अंक आपकी उम्र है ।

है न मजेदार जादू ।

(प्रस्तुति व्हाट्स एप से साभार)

राजभाषा प्रश्नोत्तरी

असीम कुमार
हिंदी अनुवादक

1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी केंद्रीय सरकार की राजभाषा कब से बनी ?

   उत्तर : 26 जनवरी, 1950

2. संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं ?

   उत्तर : 22 भाषाएं

3. अष्टम अनुसूची में कौन–कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं ?

   उत्तर : कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, बंगला, उड़िया, असमिया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी ।

4. संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं । उनमें कितने लोकसभा से हैं तथा कितने राज्यसभा से ?

   उत्तर : 30, (20 लोकसभा से एवं 10 राज्यसभा से) ।

5. केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है ?

   उत्तर : प्रधानमंत्री

6. 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है ?

   उत्तर : 14 सितंबर, 1949 को केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया ।

7. राजभाषा किस मंत्रालय के अधीन है ?

   उत्तर : गृह मंत्रालय

8. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में क्या है ?

   उत्तर : धारा 3(3) के अनुसार जारी किए जाने वाले कागजात जैसे संकल्प, साधारण आदेश नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञ संसद के सदनों में प्रतिवेदन, संविदा करार अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, निविदा, सूचनाएँ, राजकीय कागज पत्र अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किए जाएंगे ।

9. राजभाषा नियम 1976 में हिंदी में प्रवीणता से क्या अर्थ है ?

   उत्तर : मैट्रिक या इसके बराबर या उच्च स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से प्राप्त करने या डिग्री और उच्च स्तर की परीक्षा में हिंदी वैकल्पिक विषय रहने पर कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा ।

10. राजभाषा नियम 1976 में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान से क्या अर्थ है ?

    उत्तर : मैट्रिक या इसके बराबर या उच्च स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय रहने पर या हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा प्राप्त करने पर कर्मचारी को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा ।

11. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है ?

    उत्तर : 04 बार

12. नगर राजभाषा कार्यानवयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है ?

    उत्तर : 02 बार

13. संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है ?

    उत्तरः गृह मंत्री

14. राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है ?

    उत्तर : 03 क्षेत्र (क, ख, ग)

15. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में कुल कितने दस्तावेजों का जिक्र है ?

    उत्तर : 14 दस्तावेज

जब से क्यों नहीं कहा

श्रीमती पदमा
पत्नी श्री डॉ. पी. के. जैन
अधीक्षण खनन भूविज्ञानी एवं
राजभाषा अधिकारी

एक नवजवान युवक अपने स्त्री को लाने के लिए ससुराल गया था । जब ससुराल पहुँचा तो वहाँ सास को बीमार देखा, सास के बीमार होने के कारण घर में खिचड़ी बनी थी, लाला जी के लिए उन्होंने विशेष खाद्य सामग्री बनाई । इस पर दामादजी ने पूछा कि हमारी माता जी क्या खाती हैं ? उन्होंने उत्तर में कहा कि वे तो खिचड़ी खाती हैं । तो हमारे लिए भी खिचड़ी हो जाया करेगी हम कौन घर से अलग हैं । ससुराल वालों ने बाध्य होकर दामादजी को खिचड़ी खिला दी । खिचड़ी में घी पड़ा होने के कारण दामादजी को बहुत स्वादिष्ट लगी । जब लाला जी अपने घर को चलने लगे तो उन्होंने खिचड़ी का नाम पूछा और रास्ते भर रटना शुरू कर दिया । भाग्यवश खिचड़ी–खिचड़ी कहते–कहते उनके मुहँ से खाचिड़ी निकलने लगी । रास्ते में एक किसान अपने खेत की रक्षा करते – करते परेशान हो गया था इस खाचिड़ी – खाचिड़ी शब्द को सुनकर इस युवक को बहुत पीटा और बोला मूर्ख खाचिड़ी नहीं 'उड़ चिड़ी बोल' । तब उसने 'उड़ चिड़ी – उड़ चिड़ी' कहना प्रारंभ कर दिया । आगे एक चिड़ी मार जाल बिछाये बैठा था । इन बातों को सुनकर चिड़ीमार ने इसे खूब पीटा और कहा 'सुबह से तो यह समय हो गया है अभी चिड़ियाँ नहीं फंसी है और तू कहता है कि उड़ चिड़ी' । युवक बोला तो महाराज मैं क्या कहूं चिड़ीमार ने उसे समझाया और कहा कि 'फंदे में आ चिड़ी' कह अब युवक इसी बात को रटते – रटते चलने लगा । कुछ दूर पर उसे कुछ चोर दिखाई दिया जो चोरी करने जा रहे थे चोरों ने जब यह सुना कि 'फंदे में आ चिड़ी' तो उन्होंने उसे खूब पीटा और यह कहा कि 'ले ले आओ और धर – धर जाओ' कह । बेचारे नवयुवक ने अब यह रट लगाना प्रारंभ कर दिया परंतु दुर्भाग्यवश आगे एक व्यक्ति का जवान पुत्र मर गया था । लोग उसके पीछे रोते जा रहे थे । इस युवक के यह शब्द उन सभी को बुरे लगे इस बात पर कुछ लोगों को क्रोध आ गया और उसे बहुत बुरी तरह से पीटा । कुछ समझदार लोगों ने उसे बचाकर कहा ऐसा नहीं कहा करते यही कहा करो कि ऐसा 'किसी के न हो' इसको रटते – रटते युवक ने फिर आगे की राह ली । आगे एक राज पुत्र का राज तिलक हो रहा था । जब यह शब्द राज्य कर्मचारियों ने सुने तो उन्होंने उसे पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया और राजा के सामने उपस्थित किया । राजा ने उदारता वश उसे मुक्त किया और कहा भाई यह कहा करो कि ऐसा सभी को हो। जब वह युवक अपने घर पर गया तो उसने अपनी स्त्री से कहा कि मेरे लिए ऐसा सभी के हो, बना दो । स्त्री ने कहा कि वो नहीं जानती । रूष्ट होकर उसने स्त्री की अच्छी तरह पिटाई की । तमाम औरतें इकट्ठा हो गई नवजवान की स्त्री बुरी तरह से रो रही थी। स्त्रियों ने पूछा अरी क्या बात है ? वह बोली कि मुझे बिना किसी बात के मारते–मारते खिचड़ी बना दी है । पति बोला जब से क्यों नहीं कहा बस खिचड़ी बना दो।

एक भैंस की व्यथा कथा

हम अभागिनों का रंग काला है न
इसलिए आप इन्सान लोग
हमेशा हमें जलील करते हो

आपका काम बिगड़ता है अपनी गलती से
और आप कहते हो गई भैंस पानी में
गाय को क्यों नहीं भेजते पानी में
क्या वह गल जाएगी

हमेशा यही कहा जाता है
काला अक्षर भैंस बराबर
माना कि हम अनपढ़ हैं
लेकिन गाय ने क्या पी.एच.डी. की है ?

जब आप में से कोई
किसी की बात नहीं सुनता तो

यही क्यों कहा जाता है
भैंस के आगे बीन बजाना
कोई यह क्यों नहीं कहता
गाय के आगे बीन बजाना

वाह रे इंसान
ये हाल तो तब है जब
आप में से ज्यादातर भैंस का ही दूध पीते हो
उस दूध का कर्ज चुकाना तो दूर
हमें ही टारगेट करते हो

यह अन्याय, ये अत्याचार क्यों ?

(प्रस्तुति व्हाट्स एप से साभार)

राजभाषा नीति के कार्यान्वियन के लिए जाँच बिंदु

(राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित)

1. राजभाषा अधिनियम व नियमों के उपबंधों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रशासनिक प्रधान का है । नियम(12)
2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत निम्न कागजात द्विभाषी जारी किए जाएं । सामान्य आदेश (जैसे परिपत्र, स्थायी प्रकार के सभी आदेश, अनुदेश पत्र, ज्ञापन, निर्णय, व्यक्तियों के समूह से संबंधित आदेश आदि), संविदाएं, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट, टेंडर मांगने के नोटिस आदि ।
3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले कागजात द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं और हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर, हिंदी में दिया जा रहा है । यह उत्तरदायित्व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का है । नियम(6)
4. कोड, मैनुअलों, फॉर्मों और गजट सामग्री का निश्चित रूप से द्विभाषी प्रकाशन । रजिस्टरों, फाइलों पर शीर्ष हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में हों ।
5. हिंदी पत्रों के आवक (डायरी) तथा जावक (डिस्पैच) रजिस्टर बनाए जाएं । कार्यालय से प्रेषित (डिस्पैच) किए गए पत्र की कार्यालय प्रति (ओ.सी.) पर, मूलपत्र अथवा जवाबी (उत्तर) लिखा जाए तथा जावक (डिस्पैच) रजिस्टर में भी मूलपत्र या जवाबी (उत्तर) लिखा जाए ।
6. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों पर पते हिंदी में लिखे जाएं ।
7. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दें । नियम(5)
8. रबड़ मोहर, नाम पट्ट, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में ही हों ।
9. समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों की सर्विस बुकों में प्रविष्टियाँ हिंदी में ही की जाएं ।

कार्यालयीन कार्य हिंदी में ही क्यों ?

असीम कुमार
हिंदी अनुवादक

- यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप है ।
- संविधान निर्माताओं की इच्छापूर्ति संभव होगी ।
- राष्ट्र की गरिमा और महिमा में वृद्धि सुनिश्चित है ।
- जन–जन में राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रतिष्ठा होगी ।
- हमारी कथनी और करनी का अंतर समाप्त होगा ।
- जन–जन की भाषा हिंदी में प्रभावी सार्थक सम्प्रेषण व पत्र व्यवहार संभव होगा ।
- राष्ट्र और जनभाषा के साथ ही हिंदी की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा होगी ।
- जटिल कार्य प्रक्रिया को सहज व सरल बनाना संभव होगा ।
- राजभाषा हिंदी की सेवा करने से राष्ट्र सेवा की गर्वानुभूति होगी ।
- हिंदी में काम करना हम सबका धर्म और कर्म है ।

हिंदी में कार्य कैसे शुरू करें ?

असीम कुमार
हिंदी अनुवादक

पहले हिंदी में हस्ताक्षर करना प्रारंभ करें ।

- छोटी–छोटी सभी टिप्पणी, नोट आदि हिंदी में लिखना शुरू करें ।
- सभी कार्यालयीन प्रपत्रों को हिंदी में ही भरें और अपने सहकर्मियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करें ।
- प्रयत्नपूर्वक सभी पत्र व्यवहार हिंदी में ही करें ।
- हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही प्रेषित करें ।
- अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों का प्रयोग करें यथा 567943 ।
- जैसा आप सोचते हैं या जो आप करना चाहते हैं, हिंदी में बिल्कुल वैसा ही लिख दें ।
- कठिन और साहित्यिक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए ।
- तकनीकी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखें जैसे–मेटल फर्नेस ।
- किसी भी प्रकार की कठिनाई या असुविधा की स्थिति में राजभाषा विभाग से सहयोग प्राप्त करें ।

राजभाषा संबंधी जानकारी

असीम कुमार
हिंदी अनुवादक

- लगभग 50 देशों में भारतीय मूल के लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं । 136 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है ।
- 14 सितंबर, 1949 – संविधान सभा द्वारा हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत ।
- 26 जनवरी, 1950 – भारतीय गणतंत्र में संविधान लागू ।
- 27 मई, 1952 –राष्ट्रपति का पहला आदेश (राज्यपाल, जज की नियुक्ति में हिंदी का प्रयोग, देवनागरी अंक की मान्यता)
- 03 दिसंबर 1955 – राष्ट्रपति का दूसरा आदेश (जनता के साथ पत्र व्यवहार,रिपोर्ट, संसद में रिपोर्ट प्रस्तुति हिंदी / अंग्रेजी में ।
- 1955 –बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय राजभाषा आयोग का गठन ।
- 1956 –संसदीय समिति अध्यक्ष (गृहमंत्री श्री पंत) के सन्मुख आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत ।
- 08 फरवरी 1959 – खेर आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत ।
- 27 अप्रैल 1960 –राष्ट्रपति का तीसरा आदेश (विधि मंत्रालय में राजभाषा विधायी (आयोग), शिक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग) का गठन ।
- 10 मई, 1963 – राजभाषा अधिनियम ।
- जनवरी, फरवरी 1965 – मद्रास राज्य में हिंदी विरोध आंदोलन ।
- दिसंबर 1967 – भाषा अधिनियम संशोधन विधेयक ।
- 18 जनवरी, 1968 –राजभाषा संकल्प (गृह मंत्रालय द्वारा) ।
- 1975 –गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन ।
- संसदीय राजभाषा समिति का अलग से गठन ।
- 1976 – राजभाषा नियम (देश को 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र में बांटना) 09 अक्तूबर, 1987 –संविधान में राजभाषा की स्थिति, राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प एवं राजभाषा नियम पर अधिसूचना ।
- 29 अक्तूबर, 1987 –राजभाषा विभाग द्वारा संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के संबंध में एक परिपत्र जारी (संकल्प के रूप में) ।
- 28 नवंबर, 1992 – केंद्रीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के चतुर्थ खंड पर संकल्प ।

वरदान (बोध कथा)

एक बार एक व्यक्ति ने घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया । भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जीवन में एक बार सच्चे मन से जो चाहोगे वही हो जाएगा । उस व्यक्ति के जीवन में अनेक अवसर आए, जब वह इस वरदान का इस्तेमाल कर अपने जीवन को सुखी बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया । कई बार भूखों रहने की नौबत आई, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ । अनेक ऐसे अवसर भी आए, जब वह इस वरदान का प्रयोग कर देश की काया पलट कर सकता था अथवा समाज को खुशहाल बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया । वह उस अवसर की तलाश में था जब मौत आएगी और वह अपने वरदान का इस्तेमाल कर अमर हो जाएगा तथा दुनिया को दिखा देगा कि अपने वरदान का उसने कितनी बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया । लेकिन मौत तो किसी को सोचने का अवसर नहीं देती । उसने चुपके से एक दिन उसे दबोचा । उसका वरदान धरा का धरा रह गया । मौत से पहले जी लेने का अर्थ है अपनी सामर्थ्य अथवा इन नेमतों का सदुपयोग कर लेना । यह बेहद जरूरी है और अभी करना जरूरी है । बाद में तो कोई अवसर मिलने से रहा । ये दौलत, ये बाहुबल, ये सत्ता की ताकत कुछ भी साथ नहीं जाने वाला । जिनके लिए ये सब कर रहे हो उनके भी काम नहीं आने वाला है ।

नजर का कांटा (ज्ञानकथा)

एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे और उन्हें योगाभ्यास सिखाते थे । वह सत्संग भी करते थे । एक शिष्य चंचल बुद्धि का था । बार–बार गुरू से कहता, आप कहां जंगल में पड़े हैं, चलिए एक बार नगर की सैर करके आते हैं । महात्मा ने कहा मुझे तो अपनी साधना से अवकाश नहीं है । तुम चले जाओ । शिष्य अकेला ही नगर चला गया । नगर में बाजार की शोभा देखी । मन अति प्रसन्न हुआ । इतने में एक भवन की छत पर निगाह पड़ी देखा कि एक परम सुंदरी छत पर कपड़े सुखा रही है । बस वह कामदेव के बाण से आहत हो गया । जब शिष्य आश्रम लौटा तो उसका चेहरा देखकर महात्मा जान गए कि यह बच्चा काम वासना का शिकार हो गया है । पूछने पर चेले ने उत्तर दिया–गुरूदेव, हृदय में असहनीय पीड़ा हो रही है । महात्मा बोले–क्या नजर का कांटा हृदय में गड़ गया ? चेले ने सारा वृतांत कह सुनाया । चेले से गुरूजी ने उस स्त्री का पता पूछा तो पता चला कि वह नगर के एक अमीर की पत्नी है । महात्मा ने एक पत्र के जरिए अमीर को अपनी पत्नी को लेकर आश्रम में एक रात के लिए आने के लिए कहा । अमीर आया तो उसे अलग बैठाकर महात्मा स्त्री को लेकर शिष्य के पास गए और कहा–यह स्त्री रात भर तेरे पास रहेगी, पर ध्यान रखना कि सूर्य निकलते ही तेरा देहांत हो जाएगा। उस स्त्री को सारी बात बताकर आश्वासन दिया कि तुम्हारे धर्म पर कोई आंच नहीं आएगी । इधर चेला रात भर कांपता रहा । सारी वासना काफूर हो गई । सुबह गुरूजी ने पूछा –तेरी इच्छा पूरी हुई ? शिष्य ने आपबीती सुना दी । स्त्री को सम्मानपूर्वक अमीर के साथ रवाना कर महाराज ने शिष्य से कहा – मृत्यु की चिंता और चिंतन सदा करते रहना चाहिए । यही तुझे बचाएगी ।

वाणी पर संयम (बोध कथा)

एक पहलवान रास्ते से जा रहा था । सामने से आते हुए मरियल से आदमी को पता नहीं क्या सूझा, बोल पड़ा 'सूजा हुआ ऐसा शरीर किस काम का । जहाँ बैठते हो, दो–तीन आदमियों की जगह घेर लेते हो । इतना सुनना था कि पहलवान का सधा हुआ हाथ उस व्यक्ति के जबड़े पर पड़ा और इसी के साथ उसकी बत्तीसी ढीली हो गई । मुँह से खून निकल आया । चुपचाप अपनी रोह पकड़ ली । तभी एक तीसरा व्यक्ति मिला, पूछा, 'यह क्या हुआ भाई, कहीं गिर पड़े क्या?' उस व्यक्ति ने मुँह से आ रहे खून को पोंछते हुए कहा, 'नहीं, गिरा नहीं, थोड़ी सी जबान चल गई और व्यर्थ का काम बढ़ा लिया' । उसने पूरी कहानी सुनाई । घर में और समाज में अधिकांश लड़ाई–झगड़े क्यों होते हैं? इसलिए कि वाणी का संयम नहीं है, जीभ पर नियंत्रण नहीं है । कुछ लोग तो आदी हो जाते हैं, कुछ न कुछ कड़वा – खारा बोलते रहते हैं और किसी न किसी से उनकी भिड़ंत होती रहती है । वाणी के दोनों पक्ष हैं, अच्छा और बुरा । कुछ लोग वाणी के इतने मधुर होते हैं कि सहज ही वे लोगों के आत्मीय बन जाते हैं । अच्छा बोलने में कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जिन्हें दुश्मनों की संख्या बढ़ाने में आनंद आता है । कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो दूसरों को कटु वचन तो नहीं बोलते, किंतु मुंह से अपशब्द निकालने की आदत होती है । सामान्य बातचीत में भी वे भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं । कुछ शब्द उनका तकियाकलाम बन जाते हैं । हम वाणी पर संयम करना सीखें ।

ज्ञान की कोई सीमा नहीं (लघुकथा)

स्वामी शंकराचार्य समुद्र के किनारे अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहे थे । एक शिष्य ने चापलूसी भरे शब्दों में कहा, 'गुरूदेव' आपने इतना अधिक ज्ञान कैसे पाया ? यह सोचकर मुझे आश्चर्य होता है। मेरे विचार से दुनिया में आपसे बढ़कर ज्ञानी दूसरा नहीं है ।' शंकराचार्य मृदु हंसे फिर बोले, 'गलत सोचते हो तुम, मुझे तो अभी अपने ज्ञान में दिन–प्रतिदिन वृद्धि करनी है।' उन्होंने अपने हाथ का दंड पानी में डुबोकर बाहर निकाला और उसके भीगे हुए छोर को शिष्य को दिखाते हुए आगे कहा, 'इस दंड को जल में डुबोने पर उसने मात्र इस बूंद को ही ग्रहण किया। यही बात ज्ञान को लेकर भी है । ज्ञान पूरा का पूरा किसी के भी हिस्से में कभी नहीं आता।' शिष्य उनका उत्तर सुनकर बड़ा लज्जित हुआ ।

सोचा देखूँ दर्पण आज

अक्षत याग्निक
कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

सोचा देखूँ दर्पण आज
निहारूँ खुद को थोड़ा आज
सामना हुआ जब खुद का खुद से चौंक पड़ा मैं अचानक आज
नज़रों ने जब नज़रों को देखा
प्रश्नवाचक एक तीर सा फेंका
पूछा मुझसे मेरी नज़रों ने
कहाँ है वो बचपन की चंचलता
आई कहाँ से तुझमें ये कुटिलता
उतार कर देख ज़रा अपना मुखौटा
अपना साफ मन का बचपन फिर लौटा
थी जिसमें एक सच्ची मुस्कान
था जो दिल से बेहद साफ
मैंने कहा वो है कहीं मेरे अंदर
पर है जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर
इसीलिए निकल कर वो आ नहीं पाता
और खुद को मैं ये हूँ समझाता
कि हो जाऊँ एक बार जिम्मेदारियों से मुक्त
फिर जिऊँगा खुल के हर वक़्त
हँसी निकल पड़ी नज़रों से
बोली ये ज़िम्मेदारी तो है समय की माया
जिससे कोई भी बच न पाया
है तुझे जिस दिन का इंतज़ार
आएगा वो दिन केवल एक बार
जिस दिन तू सांस लेगा अंतिम बार
इसलिए जी ले आज खुल कर
निकल जाएगा वक़्त हाथ से रेत बन कर।

तेरे जीवन की चादर में

राजेश कुमार
अवर श्रेणी लिपिक

तेरे जीवन की चादर में
साँसों के ताने–बाने हैं,
दुःख की थोड़ी सी सलवट है,
सुख के कुछ फूल सुहाने हैं
क्या सोचे आगे क्या होगा
अब कल के कौन ठिकाने हैं
ऊपर बैठा वो बाजीगर
जाने क्या मन में ठाने है
चाहे जो भी तुम करो जतन,
मन तो मन ही मन जाने है ।
झोली में वो ही आएंगे,
जो तेरे नाम के दाने हैं।

क्या खूब कहा है किसी ने

प्रदीप कुमार सिन्हा
हिंदी टंकक

बक्श देता है खुदा उनको ।
जिनकी किस्मत खराब होती है ।।

वो हरगिज नहीं "बक्शे" जाते हैं ।
जिनकी "नीयत" खराब होती है ।।

न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा ।
न तेरी "तारीफ" होगी न मेरा मजाक होगा ।।

जिन्दगी भर "ब्रांडेड–ब्रांडेड" करने वालो ।
याद रखना "कफ़न" का कोई ब्रांड नहीं होता ।।

कोई रोकर "दिल" बहलाता है ।
और कोई हँसकर "दर्द" छुपाता है ।।

जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है ।
और मुर्दा तैर के दिखाता है ।।
गज़ब की एकता "देखी" लोगों की जमाने में ।
जिन्दों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में ।।

जिन्दगी में न जाने कौन सी "बात" आखिरी होगी ।
न जाने कौन सी "रात" आखिरी होगी ।।
मिलते–जुलते बातें करते रहो एक दूसरे से
न जाने कौन सी "मुलाकात" आखिरी होगी ।।

दो गजलें

राजीव कुलश्रेष्ठ
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

(1) छलनी में जल लाए हैं
प्यासे को भरमाए हैं ।
हाल पूछने जो आए
अपने नहीं, पराए हैं ।
कितने छोटे कद उनके
कितने लम्बे साए हैं ।
जल बनकर जो बहा किए
बादल बन फिर छाए हैं ।
जिन्हें लहू से सींचा था
जख्म उन्हीं से पाए हैं ।

(2) हर हथेली पर बताशा है
जिंदगी क्या है, तमाशा है ।
फूल पर काँटों का पहरा है
हर्ष रत्ती, दर्द माशा है ।
दिन चढ़े यों नींद का आना
रात का उनकी खुलासा है ।
गाल पर सूखे कई आँसू
तब कहीं पाई ये आशा है ।
याद आई, दर्द मुस्काया
हाथ आई बस हताशा है ।
हाय, उनसे प्यार की उम्मीद
रेत में जो जल तलाशा है ।

ग्रीष्म, सावन और शिशिर

श्रीमती मिताली चटर्जी
हिंदी अनुवादक

जेठ की सुलगती तपन से
चित्त हुआ बेचैन
उत्तुंग शिखर पर बैठा सूर्य
कहाँ किसी को चैन ।
सकल पशु पक्षी आकुल
निर्जल तल ताल हुए
रैन दिन सब आस लगाए
कब घटा आए जल लिए ।
काँटों सी लग रही
ग्रीष्म की चुभन
चलें किसी कुंज में
कह रहा है मन ।
उमड़ता–घुमड़ता सावन आया
नभ में लगे मेघ गरजने
योम से धरा पर
टप–टप बूँदे लगी हैं बरसने ।
पड़ी फुहार जब डाल पर
कूकने लगी कोयलें
दादुर मोर पपीहे झूमे
खिल उठी कोपलें
सानी लागी माटी में
बीज स्फटित होने लगे
नवागत अंकुर बनकर
जहाँ–तहाँ उगने लगे ।
नए–नए पात आकर
डाली डाली छा रहे
कई रंगों में भरे
कलियों को लुभा रहे ।
हरी भरी वसुधा भई
शीतल मंद समीर चली
तरू पल्लव भी निखर गए
रंगत गगन की लगी भली ।
सुमन वाटिका में मधुप
रह रहकर आने लगे
संग संग में डोल डोल के
मंगल स्वर में गाने लगे ।
हर शृंगार झर झर के
चिरमंडल में बिखर रहे
प्रसुप्त से खेत खलिहान
उत्फुल्ल होकर संवर गए ।
नीलगगन में विहग
पंख फैलाए उड़ रहे
तिनका तिनका लाकर
बना अपना नीड़ रहे ।
ठिठुरती सी शीत ऋतु आई
तपिश हो गई कम
हिम से पट गए
मेखलाकार पर्वत और वन
पड़ी रवि की राश्मियाँ
हिम कण हैं मचलने लगे
सतरंगी आभा के साथ
होकर पुलकित ढुलकने लगे ।
प्रकृति ने कैसी घटा बिखेरी
निर्मल झरने बहने लगे
जैसे नवेली दुल्हन के
आंचल में मुक्ता टंगे ।

कौन करे आज के युग में ?

अक्षत याग्निक
कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

भीष्म जैसी भीषण प्रतिज्ञा
कौन करे आज के युग में ?
भोग– विलास है सबसे अहम
योग–संयम है बस एक वहम ।
श्री कृष्ण जैसा धर्म पालन
कौन करे आज के युग में ?
हर तरफ अधर्म का बोलबाला है
जो सच बोले उसी का मुँह काला है ।
कर्ण जैसा दान – धर्म
कौन करे आज के युग में ?
"मैं" की माया ने सबको अंधा किया
"हम सब" के अर्थ को ही नकार दिया।
एकलव्य जैसी गुरु–भक्ति
कौन करे आज के युग में ?
ज्ञान का स्वरूप ही है बदला हुआ
मानव अपने ही अंश से अलग हुआ ।

जीवन-एक अनुभूति

श्रीमती विजया सिन्हा, नागपुर

फूल की पंखुडियों सा
कोमल जो हाता जीवन,
ऑकती गुलाब का फूल
रंग देती सुगंध की अनुभूति से.....
मन –प्राण को करके आहलादित, आच्छादित,
किंकर्तव्यविमूढ,विमुग्ध सहज, सरल अभिव्यक्ति,
हौले से चलती जो पुरवाई
चादर की ओट टॉग आती
कर में समेट ढँक लेती
कोमल , सुकुमार पत्तियॉ.....
पर , कल्पना ही तो है यह
हाथों में चुभते हैं जब
गुलाब के कॉटे
अनायास, अकस्मात
लहू की बूँदों की उष्मा
कराती है अनुभूति सत्य की, यथार्थ की
जीवन पीडा है, संघर्ष है,
अनवरत प्रयास है, निरंतर प्रयास है .....

मनहर मुक्तक

श्रीमती अलका कुलश्रेष्ठ
पत्नी श्री राजीव कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

उर में उन्मादित भाव कई,
ठहरे जल में हैं बहाव कई
यों शब्द एक से लगते हैं
भावों में हैं उलझाव कई ।।
ज्ञात क्या ज्ञातव्य क्या था,
प्राप्त क्या, प्राप्तव्य क्या था
कश्मकश में रात बीती
बात क्या, मन्तव्य क्या था।।
दर्दों गम की हवा चली,
वर्षों तक फिर दवा चली
हुई मोहब्बत ख्वाबों में
जीवन भर फिर दवा चली ।।
सादी सूरत, भोली आँखें,
सपनों की हमजोली आँखें
पलकें झुकीं, साँझ घिर आई
भोर हुई, जब खोली आँखें ।।

अंतर परिवर्तन

प्रवीण डी. गजभिये
अवर श्रेणी लिपिक, लेखा अनुभाग

श्री माता का दरबार है ।
सभी को प्यार यहाँ मिलता है
श्री माता का दरबार है ।
ओ ओ ओ, ओ ओ ओ
मेरा मन व्याकुल था माँ के दर्शन पाने को
दर्शन पाने को

कवि कह रहा है कि मैं बचपन से ही दुर्गा माँ का भक्त था और हमेशा यही सोचता रहता था कि क्या मुझे माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन हो पाएँगे या मैं यूं ही इस अभिलाषा को लेकर इस दुनिया से चला जाऊँगा । परंतु जब मैं सहजयोग में आया और आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त किया उसके बाद

मेरा मन माँ के दर्शन पाने को व्याकुल हुआ
मिल गया मुझे द्वार सहज ही माँ के दर्शन को
माँ के दर्शन को
बहने लगी लहरें .....
सिर से और हाथों के हथेलियों से .....
श्रीमाता का दरबार है
श्रीमाता का दरबार है .....
जीवन मेरा आँधी और तूफानों से घिरा था
तूफानों से घिरा

कवि कह रहा है कि मैं इतना गुस्सैल था कि किसी से कुछ कहासुनी होती तो मैं पहले उसे मारता–पीटता फिर बात करता लेकिन बाद में मुझे पश्चाताप होता और मन दुःखी हो जाता । इसी कारण लोग मुझसे दूर भागते ओर मैं अकेला हो जाता । परंतु जब से मैं श्रीमाँ की शरण में आया मेरा जीवन धन्य हो गया.....

मिलते ही श्रीमाता की कृपा हो गया मन संतों का ऋणी हो गया
अब आनंद ही आनंद है, मिला जब से सहज परिवार
मिला जब से सहज परिवार
श्रीमाता का दरबार है ।
निर्मल माता का दरबार है ।।

लोग निराले

राजीव कुलश्रेष्ठ
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

(नोट :– गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु शल्य चिकित्सा (दिनांक 31/08/1996) के लिए नडियाद (गुजरात) प्रवास की दिनांक 26/06/1996 से 22/09/1996 तक की अवधि के दौरान हुए अनुभवों पर आधारित कविता)

कैसे कैसे लोग मिले हैं, कैसी उनकी बातें हैं ।
कैसे कैसे फूल खिले हैं, कैसी कैसी घातें हैं ।।
जिनसे हमको थीं उम्मीदें, काम नहीं वे आए हैं ।
जिनसे कुछ उम्मीद नहीं थी, ढाढ़स वही बंधाए हैं ।।
कुछ ने संकट की ज्वाला में, संशय का घी डाल दिया ।
कुछ ने उलझन में उलझाया, कुछ ने बस बेहाल किया ।।
किसी किसी ने साहस करके, दुर्लभ जीवनदान दिया ।
कुछ ने श्रम का दान दिया, तो कुछ ने धन का दान दिया ।।
कुछ ने दे आवाज बुलाया, नदिया तट पर खड़े – खड़े ।
कुछ थे आतुर धक्का देने, नैया में ही पड़े पड़े ।।
कुछ ने चिकनी चुपड़ी बातें की कुछ ने सहयोग दिया ।
कुछ ने कोरा आश्वासन देकर ही, अपना योग दिया ।।
कुछ ने भ्रमित किया, तो कुछ ने सही राह दिखलाई है ।
कुछ ने हिम्मत दी, तो कुछ ने दिल में आग लगाई है ।।
कुछ की आँखों में आँसू थे, कुछ चेहरे भर्राए थे ।
कुछ ने प्रभु के आराधन में, घी के दिए जलाए थे ।।
कुछ ने शुभ की आशीषों के पत्र–पुष्प भिजवाए थे ।
कुछ तो प्रेम–डोर से बँधकर मिलने को भी आए थे ।।
'राज़' हुआ जो भी होना था, भले बुरे का भान हुआ ।
कौन भला कितने पानी में इसका कुछ तो ज्ञान हुआ ।।

एक सुंदर विचार

पिता बेटी के सिर पर हाथ
रखते हुए बोले मैं तेरे लिए
ऐसा पति खोज कर लाउँगा
जो तुझे बहुत प्यार करे
तेरी भावनाओं का सम्मान करे
तेरी आँखों में आँसू न आने दे
तेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके ।
बेटी ने मासूमियत से पूछा
क्यों पापा ?
पिता बोले बेटी हर पिता का
सपना होता है कि उसकी बेटी को
राजकुमार जैसा पति मिले
जो उसे बहुत प्यार दे और हमेशा सुखी रखे
बेटी बोली लेकिन पापा
नानाजी ने भी आपको
मम्मी का हाथ यही सोचकर
दिया होगा न कि आप भी
राजकुमार हो !
फिर आप मम्मी को हमेशा
क्यों रूलाते हो ?
कहीं बाहर भी नहीं ले जाते
और प्यार भी नहीं करते
और हमेशा डाँटते रहते हो
आप तो अच्छे वाले राजकुमार
नहीं निकले हैं न पापा
यह सुन पिता को
अहसास हुआ कि
मैं खुद तो राजकुमार बना रहा
पर अपनी पत्नी को कभी
राजकुमारी नहीं समझा
आज यह अहसास हुआ कि

अपने जिगर के टुकड़े को
यदि सही हाथों में नहीं सौंपा
तो उसके दिल के टुकड़े हो जाएँगे
और यह कोई पिता नहीं चाहेगा
इसलिए जैसा आप अपनी
बेटी के लिए सोचते हैं
वैसा ही अपनी पत्नी
के लिए भी सोचिए
क्योंकि वह भी तो
किसी की बेटी है
किसी के जिगर का टुकड़ा है !

– (प्रस्तुति व्हाट्स एप से साभार)

क्या भूलूँ, क्या याद करुँ

श्री चंद्रशेखर तिवारी
खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)
भारतीय खान ब्यूरो

क्या भूलूँ क्या याद करुँ,
बचपन का वह समय सुहाना,
रेत के किले, महल बनाना,
मिट्टी की सोंधी सुगंध को,मेरे मन कैसे बिसरुँ।। क्या भूलूँ...

कल के भूले पृष्ठ पलटना,
बीती हुई यादों से गुजरना,
सम, अनगढ़ दोनों रस्तों को,
यूँ ही मै कैसे तज दूँ ।। क्या भूलूँ...

खेल खेलना और झगड़ना,
फिर माँ के आँचल में सिसकना ।
उस ममत्व की टूटी डोरी को,
कैसे मैं फिर से पकड़ूँ ।। क्या भूलूँ...

अनुशासन के उस पितृत्व में,
जिसमें भरा हुआ था प्यार ।
जिसने जीवन राह दिखाई,
उस ऋण से कैसे उबरुँ ।। क्या भूलूँ...

दादी की आँखों का तारा,
उनकी लाठी, उनका सहारा,
उन हाथों के स्नेहाशीष को,
कैसे मैं विस्मृत कर दूँ।। क्या भूलूँ...

त्यागी थे सब अपने गुरुजन,
ज्ञान से भरा था उनका जीवन।
उन गुरुओं के चरण कमल में,
कौन सा धन अर्पण कर दूँ।। क्या भूलूँ...

हरियाली के बीच अवस्थित,
बाग–बगीचों वाला गाँव।
फल–धान्य भरपूर जहाँ पर,
कैसे मैं निर्धन कह दूँ ? क्या भूलूँ...

सावन के जब मेघ बरसते,
भर जाता सारा आंगन।
मोती सी गिरती लड़ियों को,
प्राणों की संज्ञा दे दूँ ।। क्या भूलूँ...

रजत मेखला से हो शोभित,
कल – कल बहती गंगा – धार।
जननी अमृतपान कराती,
माँ को कैसे नदी कह दूँ ।। क्या भूलूँ...

जीवन चक्र चला करता है,
ऊँची – नीची राहों से ।
सबको एक समान समझकर,
उर में खुशियाँ सब भर लूँ ।। क्या भूलूँ...

कवि और सेठ

मुजीब उद्दीन सिद्दीकी
उप खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)

मैं सुनाऊँ दास्तां, आपको सच्ची मुच्ची
झूठ इसमें कुछ नहीं, सब सच है सच्ची मुच्ची

सेठ जी ने एक दिन कविता सुनाने के लिए
एक कवि महाराज को सादर आमन्त्रित कर लिया
वह कवि आमंत्रण की बात सुनकर खुश हुआ
अपनी डायरी, अपना झोला लेकर, वह हाजिर हुआ

पहले प्रणाम, फिर आराम से वह बैठकर कहने लगा
गर्मी अधिक है आजकल, चल के बोझल मैं हुआ
उसका मतलब भाँपते ही सेठ जी ने दी सदा
आए हैं मेहमान, बाहर भेज दें, कुछ ठंडा जरा

इतना सुनते ही कवि की बाँछें खिल उठीं, जनाब
कुछ न सोचा और विचारा, कर दिया फर्शी आदाब
ठंडा पीकर, आई तबीयत में थोड़ी शायरी
हाथ थैले मे डाला और निकाली डायरी

डायरी के पेज पलटे, ढूँढा पन्ना पाँचवां
जिसमें सिर्फ तारीफ के दोहे लिखे थे, बाअदब

पहला दोहा, सेठ की तारीफ में था कुछ इस तरह
आप तो राजा हैं, यहाँ पर तारों में जैसे चन्द्रमा
दूसरा सेठानी के लिए और तीसरा औलाद पर
चौथा उनके अम्मी – अब्बा, पाँचवां परिवार पर
सुनके तारीफें भला, कौन मानेगा बुरा
सेठ जी के मुँह में मीठा, कानों में घुली थी शक्कर
अब कवि थे मुंतजर कि सेठ जी खोलेंगे हाथ
अपने रुतबे के मुताबिक देंगे कुछ ज्यादा ही थात

सेठ जी ने भी जवाबी खत के जैसा कह दिया
आप तो गालिब के चचा हैं या निराला के सखा
आपकी तारीफ मैं क्या कर सकता हूँ भला
मैं तो बस गेहूँ, चावल, दाल, शक्कर मे हूँ पला

अब कवि जी सकते में आते हुए कहने लगे
तारीफें साहब एक तरफ, बदले मे मुझको कुछ मिले

सेठ जी ने फिर उसी अंदाज में हँसकर यह कहा
आपके मन में भला विचार यह कैसे आ गया
आपने तारीफ की, मैंने भी तो बस तारीफ की
लेना – देना है बराबर, बात है व्यापार की

जिन्दगी

सुनील कुमार शर्मा
सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)
भारतीय खान ब्यूरो

जिन्दगी काटते सभी हैं, पर जीता कोई नहीं ।
जो जिन्दगी जीता है, मर कर भी जिन्दा रहता वही ।।
जिन्दगी जियो इस तरह कि नाम हो जाए ।
मरने के बाद जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए ।।
काम करते सभी हैं, पर परिश्रम कोई नहीं ।।
जो परिश्रम करता है, अपने लक्ष्यों को पाता वही ।।
इच्छाएँ रखते सभी हैं, पर इच्छाशक्ति कोई नहीं ।
जो इच्छाशक्ति रखता है, नित नए आयामों को पाता वही ।।
जिन्दगी को सार्थक बनाने के लिए एक दृढ़ संकल्प चाहिए ।।
जैसे मधुमक्खियाँ शहद जमा कर लेतीं, बस उनको एक फुलवारी चाहिए ।
परिश्रम, इच्छाशक्ति एवँ दृढ़ संकल्प की त्रिवेणी का मन में समन्वय करना होगा ।
जिन्दगी बहुत काट चुके, अब तो इसे जीना होगा ।।
क्योंकि जिन्दगी काटते सभी हैं, पर जीता कोई नहीं ।
और जो जिन्दगी जीता है, मर कर भी जिन्दा रहता है वही ।।

राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हें नमन

विनय कुमार सक्सेना
वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक

मेरे राष्ट्र की वाणी तुम
राष्ट्रीयता की सहभागिनी तुम
तुझको करता वंदन, भारत का जन – मन – गण
राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हें नमन .....

इतिहास की स्वर्णिम ध्वनि तुम
रसखान, तुलसी की रमणी तुम
तुमसे ही राष्ट्र–संस्कृति का हो चिर स्पंदन
राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हें नमन .....

जिनको दिए प्रथम स्वर तुमने
अपमान करें वे तेरे अपने
पर भाषा को शीश नवा स्वयं को छलते क्षण – क्षण
राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हें नमन .....

विश्व में जिसका समृद्ध साहित्य
निज घर में यूं क्यों होता अहित
न्यायोचित स्थान दे निज मन में प्रायश्चित करें भारत जन
राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हें नमन .....

राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का है सम्मान
राष्ट्रभाषा का हो क्यों अपमान?
सशक्त राष्ट्र निर्माण में शुभ नहीं है ये, मेरे मन
राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हें नमन .....

एक हो सदैव राष्ट्रभाषा
राष्ट्र निर्माताओं की यही अभिलाषा
कश्मीर–कन्याकुमारी एक स्वर कब हो साकार स्वप्न
राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हें नमन .....
भारत की प्रांतीय भाषायें
मिलकर सुंदर हार बनायें
हिंदी को मध्य दे मणिस्थान वर दें यही चिर यौवन
राष्ट्रभाषा हिंदी तुम्हें नमन .....

जीवन - संदेश

चंद्रशेखर तिवारी
खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)

मानव जीवन बहुरंगी है,
सुख–दुख, तो आते–जाते।
उल्लास निरन्तर बना रहे,
अनुभव हमको यह सिखलाते ।।
टेढी– मेढी, ऊँची – नीची,
राहों पर सबको है चलना ।
थककर, कुछ रुक जाते हैं,
रुकता नहीं, कुछ का बढना ।।
बढ़ते कदमों ने है नापा,
गहरी खाई व उच्च शिखर ।
गिर – गिरकर उठे, बढ़े आगे,
गतिवान हुआ पर अग्रसफर ।।
सफलता की प्रत्येक सीढ़ी,
संदेश हमें दे जाती है ।
अपने तक सीमित मत रहना,
कुछ और तुम्हारे साथी हैं ।।
परिवेश तुम्हारा जग सारा,
परिजन, परिचित, कुछ अनजाने ।
कुछ का अवलम्बन तुम्हीं बनो,
तब अच्छी सी कुछ बात बने ।।
बाँटो तो खुशियाँ ही बाँटो,
वाणी, सेवा के उपक्रम में ।
अपनों सा अपनापन बाँटो,
निःस्वार्थ भाव रहे मन में ।।

जागो माँ, जागो माँ

डी. कुमार स्वामी
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

माँ, क्या तुम जिन्दा हो ?
तुम्ही हों ना शिवाजी की जिजिए बाई ?
भरत की शकुन्तला या प्रहलाद की लीलावती भी तुम ही हो ना ?
लग रहा है मैं भूल गया हूँ तुम्हारा कर्तव्य ।
तुमको लगता नहीं है क्या ?
मुम्बई के आतंकी हमले में जान अर्पित करने वाले लोग या
आगरा की आग में झुलसते लोग या
गोकुल में चाट खाने वाले बच्चे
क्या किसी माँ के प्यारे बच्चे नहीं थे ।
इनकी माँ ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा
इनकी माँ के आंसू आनंदाश्रु नहीं है ।
तुम्ही को ही प्रथम गुरू से संबोधित किया जाता है ।
परंपरानुसार सदाचार क्या तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं है ?
तुम्ही को स्वर्ग में अग्रस्थान दिया गया है ।
मगर, तुम सिर्फ मौन साक्षी रही हो इस आंदोलन की ।
लगता है कि तुमको बाकी दुनिया से फुर्सत नहीं मिल रही है ।
या तुमसे संबंधित नहीं है पड़ोसी के परिवार की सुरक्षा ।
लेकिन ध्यान दीजिए, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोडेगा
तुमको भी नहीं छोड़ेगा यह सांप्रदायिक अत्याचार ।
पश्चाताप से कुछ लाभ नहीं है
जागो माँ, जागो माँ ।
रोको माँ, रोको इस अत्याचार को ।
तुम्हारे बच्चे को
देश के नवनिर्माण में भाग लेना है ।
और देश को तोड़ने वालों को सही उत्तर देना है ।
जागो माँ, जागो माँ, समाज को उद्धारो ।
तुम्हारे स्थान को मजबूत करो ।
जागो माँ जागो ।
मुर के चन्द्रगुप्त ने स्थापित किया है मौर्य साम्राज्य ।
तुम्हारे बच्चे को भी स्थापित करना है प्यार का साम्राज्य ।
जागो माँ जागो । जागो माँ जागो ।

फलसफा-ए- जिंदगी

श्रीमती कृष्णा मुरिया
आशुलिपिक ग्रेड –।, मुख्य खान नियंत्रक कार्यालय

कभी हँस के कभी रो के समां वो आज बाँधेंगे ।
मेरे अशआर तुमको जिंदगी का आईना दिखायेंगे ।।
बहुत खुशनुमा है जिंदगी, समेटो और संवरने दो ।
खुशी के पल बहुत कम हैं, उन्हें न यूं बिखरने दो ।।
जरूरी नहीं कि दौलते–ऐशो–मसर्रत ही मिल जाए ।
किसी रोती हुई आँख में सपने तुम संवरने दो ।।
उन आँखों की हालत क्या, जो आँसू पी ही लेती है मगर ।
औरों के गम को देखकर यूं छलक भी जाती हैं ।।
दुनिया में शौक परस्ती पर पैसा बहाएंगे ।
मगर उस माँ के दूध का कभी क्या कर्ज चुकाएंगे ?
कभी हँस के कभी रो के समां वो आज बाँधेंगे ।
मेरे अशआर तुमको जिंदगी का आईना दिखायेंगे ।।
सागर को पार करने का जज्बा बनाकर देख अरे,
भँवर में तिनके को भी तू सहारा बना के देख ।।
इस दिल में किसी के वास्ते इज्जत तो पैदा कीजिए ।
न फिर आप कभी इस दुनिया में जिल्लत उठायेंगे ।।
युगों–युगों से बस यही एक बात करते हैं ।
जीना वही है मर कर भी जो याद आएंगे ।।
घर का दीया तो खुद का सबने जलाया बदस्तूर ।
उन बूढ़ी आँखों के चिराग रौशन कराएंगे ।।
कुछ इस तरह से जिंदगी इम्तहान लेती है ।
कि अपने पराये की कुछ पहचान कराएंगे ।।
कभी हँस के कभी रो के समां वो आज बाँधेंगे ।
मेरे अशआर तुमको जिंदगी का आईना दिखायेंगे ।।
हर पल को समेट कर उस पल को जी ले तू ।
बहुत छोटी है ये जिंदगी, सबक इसका भी ले ले तू ।।
अगर कुछ कर न सके तो खुदाया इतना कर ले तू ।
गैरों के वास्ते हाथ दुआ के अपने उठा दे तू ।।
न फिर तू अकेला होगा इस तनहा जमाने में ।
देख कारवां होगा तेरा तेरे जनाजे में ।।
उन आँखों में आंसू कभी अब आने न पाएंगे ।
जिन आँखों के आंसू पोछकर हम मुस्कुराएंगे ।।
कभी हँस के कभी रो के समां वो आज बाँधेंगे ।
मेरे अशआर तुमको जिंदगी का आईना दिखायेंगे ।।

तीन लाईनें

मुजीब उद्दीन सिद्दीकी
उप खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)

1. आस्तीनों में खंजर
   लेके साथ चलते हैं
   वह भी मेरे अपने हैं..2
2. गर कभी जो मिल जायें
   नाप कर ज़रा देखो
   उनके दिल की गहराई..2

3. बदगुमां ना हो हमसे
   वह गले मिलें आकर
   यह भी कोई सपने हैं..2

4. रेत के घरौंदों को
   *मौज कैसे छोड़ेगी
   खूब हम समझते हैं..2

5. तीर उनकी बातों के
   मेरे हित पे चलते हैं
   ज़ख्म दिल के रिसते हैं.....2

6. अपने हिस्से में आखिर
   दो ही गज़ तो मिलती है
   नाप कर जमीं देखो.....2

7. वह **मुजीब है बेशक
   और जवाब देता है
   पूछ कर जरा देखो.....2

*मौज:– लहर,
**मुजीब :– ईश्वर का नाम

भारतीय खान ब्यूरो में 'खनिज दिवस' का आयोजन (रिपोर्ट)

भारतीय खान ब्यूरो के नागपुर स्थित मुख्यालय में 01 मार्च, 2016 को ब्यूरो के स्थापना दिवस को 'खनिज दिवस' के रूप में समारोहपूर्वक मनाया गया । समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (मध्य क्षेत्र) के अतिरिक्त निदेशक डॉ. कुटुंबा राव उपस्थित थे । उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय खान ब्यूरो और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परस्पर संबंधों पर प्रकाश डाला । विशिष्ट अतिथि के रूप में सी.आई.एम.एस. के निदेशक न्यूरो सर्जन डॉ. लोकेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई । उन्होंने मानव मस्तिष्क और खदान की समानता के बारे में बताया । इस दौरान हुए काव्यपाठ ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया । कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महानियंत्रक महोदय श्री आर. के. सिन्हा ने सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थापना दिवस की बधाई दी । कार्यक्रम की संयोजिका निदेशक, अयस्क प्रसाधन, डॉ. इंदिरा रविन्द्रन ने भारतीय खान ब्यूरो के इतिहास पर प्रकाश डाला । समारोह का संचालन कु. श्रुति विश्वकर्मा तथा आभार प्रदर्शन डॉ. डी. आर. कानूनगो ने किया ।

बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सम्मान (रिपोर्ट)

भारतीय खान ब्यूरो के बेंगलुरू क्षेत्रीय कार्यालय की गृह पत्रिका 'श्रीगंधा' के पंचम अंक को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बंगलुरू द्वारा वर्ष 2015 के लिए उत्तम गृह पत्रिका का सम्मान प्राप्त हुआ है । न. रा. का. सं., बेंगलुरू द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला में आयोजित समारोह में दिनांक 22/12/2015 को यह शील्ड श्री एस. टियू, खान नियंत्रक (द.आ) तथा श्री पुखराज नेणिवाल, उप खान नियंत्रक एवं हिंदी संपर्क अधिकारी ने ग्रहण की । उल्लेखनीय है कि बेंगलुरू क्षेत्रीय कार्यालय को यह सम्मान बेंगलुरू स्थित लगभग 165 केंद्रीय कार्यालयों के प्रधानों के समक्ष दिया गया, जो भारतीय खान ब्यूरो के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ।

हिंदी कार्यशाला का आयोजन

असीम कुमार
हिंदी अनुवादक

मुख्यालय (नागपुर)

भारतीय खान ब्यूरो के नागपुर स्थित मुख्यालय में दिनांक 07/07/2016 से 08/07/2016 तक दो दिवसीय पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रभागों / अनुभागों से नामित 21 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिनांक 07/07/2016 को प्रथम सत्र के प्रारंभ में डॉ. पी. के. जैन, राजभाषा अधिकारी ने 'राजभाषा नीति' विषय पर व्याख्यान दिया । इसी सत्र में श्री प्रमोद एस. सांगोले, उप–निदेशक (राजभाषा) ने 'हिंदी तिमाही रिपोर्ट' विषय पर व्याख्यान दिया । दिनांक 07/07/2016 को ही द्वितीय सत्र में श्री सुनील कुमार शर्मा, सहायक खनिज अर्थशास्त्री ने, 'भारतीय खान ब्यूरो की खान एवं खनिजों के डाटा बैंक के रूप में भूमिका' विषय पर तकनीकी व्याख्यान दिया । इसके बाद 'वाक्य संरचना' विषय पर श्री असीम कुमार, हिंदी अनुवादक ने व्याख्यान दिया ।

दिनांक 08/07/2016 को पहले सत्र में श्री प्रमोद एस. सांगोले, उप–निदेशक (राजभाषा) ने 'राजभाषा निरीक्षण' विषय पर व्याख्यान दिया । तत्पश्चात प्रशासन अधिकारी श्री संजय सिंह ने 'सेवापंजी में इंद्राज' विषय पर व्याख्यान दिया । द्वितीय सत्र में श्री असीम कुमार, हिंदी अनुवादक ने 'हिंदी वर्तनी' विषय पर व्याख्यान दिया । हिंदी कार्यशाला का समापन सहायक अनुसंधान अधिकारी, खनिज प्रसंस्करण प्रभाग, श्री जे. पी. मिश्रा के 'तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली में अंतर' विषय पर व्याख्यान से हुआ ।

उदयपुर

उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 09/12/2015 से 10/12/2015 तक दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । क्षेत्रीय खान नियंत्रक श्री जे. आर. चौधरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन किया । इस कार्यशाला में कार्यालय के 19 कर्मियों के साथ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा नामित अन्य कार्यालयों के 09 प्रतिभागियों ने भाग लेकर लाभ प्राप्त किया । कार्यशाला में हिंदी उपयोग : मानकीकरण, शुद्ध लेखन, राजभाषा निरीक्षण प्रश्नावली, कार्यालयीन टिप्पणी लेखन, पत्राचार आदि विषयों पर छः व्याख्यानों का आयोजन हुआ जिसमें सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

कार्यशाला के समापन पर चर्चा के दौरान हिंदी संपर्क अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र गौड़ द्वारा व्याख्यानों का सारगर्भित ब्यौरा प्रस्तुत किया गया ।

गोवा

गोवा क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 01/12/2015 से 04/12/2015 तक चार अर्द्धदिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । दिनांक 01/12/2015 को डॉ. इशरत बानों खान, प्राध्यापक, गोवा विश्वविद्यालय, पणजी, ने 'राजभाषा नीति क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ व समाधान' तथा 'हिंदी वर्तनी एवं वाक्य संरचना' विषयों पर व्याख्यान दिए। दिनांक 02/12/2015 को हिंदी अनुवादक श्री आर. सी. महतो ने 'सामान्य आदेश' विषय पर तथा ओ.एन.जी.सी. के हिंदी अधिकारी श्री विकास शर्मा ने 'टिप्पण एवं आलेखन' तथा 'शासकीय पत्राचार' विषयों पर व्याख्यान दिए । दिनांक 03/12/2015 को हिंदी संपर्क अधिकारी श्री जी. राम ने 'यूनीकोड' विषय पर तथा श्री जी. के. जांगिड, उप खान नियंत्रक ने 'विभागीय कोर्ट केस संबंधी पत्राचार' विषय पर व्याख्यान दिया । कार्मेल कॉलेज, गोवा, में हिंदी प्राध्यापिका डॉ. लता शिरोडकर ने 'वाक्य रचना' तथा 'वाक्य शुद्धि' विषयों पर दो व्याख्यान दिए । इसी के साथ हिंदी कार्यशाला का समापन हो गया ।

कोलकाता

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 14/10/2015 से 15/10/2015 तक दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । मुख्य अतिथि श्री राम नारायण सरोज, उप निदेशक (पूर्व क्षेत्र), हिंदी शिक्षण योजना, ने 'टिप्पणियों के प्रकार' व 'कार्यालयीन पत्रों के रूप' विषयों पर दो व्याख्यान दिए तथा विभिन्न पत्रों के प्रारूप का अभ्यास करवाया । श्री शरद चन्द्र झा, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, ने हिंदी व्याकरण पर बल देते हुए 'वचन', लिंग तथा 'कारक' विषयों पर दो व्याख्यान दिए। कार्यालय अध्यक्ष श्री ए. बी. पाणिग्रही ने हिंदी कार्यशाला की उपयोगिता पर बल दिया । श्री बी. पी. केरकेट्टा, वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक एवं हिंदी संपर्क अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हिंदी कार्यशाला का समापन हो गया ।

राजभाषा की राह में बढ़ते कदम (रिपोर्ट)

प्रस्तुति संजय आर. डोंगरे
हिंदी अनुवादक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर द्वारा वर्ष 2015–16 में आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में भारतीय खान ब्यूरो के नागपुर स्थित मुख्यालय के अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा दिनांक 19/01/2016 को आयोजित समारोह में नौ अधिकारियों/कर्मचारियों ने पुरस्कार प्राप्त कर भारतीय खान ब्यूरो को गौरवान्वित किया । पुरस्कृत प्रतियोगियों के नाम निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	प्रतियोगी का नाम व पदनाम	प्रतियोगिता का नाम एवं दिनांक	पुरस्कार
1	श्री मुजीब उद्दीन सिद्दीकी, खनिज अर्थशास्त्री	हिंदी भाषण प्रतियोगिता	तृतीय
2	श्री विनय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	तात्कालिक कविता लेखन प्रतियोगिता	द्वितीय
3	श्री असीम कुमार, हिंदी अनुवादक	हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता (हिंदी भाषी)	प्रथम
4	श्री अजय कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता (हिंदी भाषी)	तृतीय
5	श्री विनय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	प्रथम
6	श्री मुजीब उद्दीन सिद्दीकी, खनिज अर्थशास्त्री	स्वरचित मधुर हिंदी कविता प्रतियोगिता	सांत्वना
7	श्री जगदीश अहरवार, आशुलिपिक ग्रेड–।	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	सांत्वना
8	श्री विभूति नंदन तिवारी, अवर श्रेणी लिपिक	निबंध प्रतियोगिता (हिंदी भाषी)	सांत्वना
9	श्री अजय कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	शब्द ज्ञान (हिंदी भाषी)	सांत्वना

भारतीय खान ब्यूरो में हिंदी पखवाड़ा - २०१५ का आयोजन

भारतीय खान ब्यूरो के तत्कालीन महानियंत्रक श्री के. थॉमस ने सिविल लाइन्स, नागपुर स्थित भारतीय खान ब्यूरो के मुख्यालय में दिनांक 01/09/2015 को दीप प्रज्ज्वलित कर हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आर. टी. एम., नागपुर विश्वविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. वीणा दाढ़े उपस्थित थीं । समारोह में मंच पर खान नियंत्रक श्री रंजन सहाय एवं राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन भी उपस्थित थे ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री के. थॉमस, तत्कालीन महानियंत्रक, ने कार्यालयीन कार्य अधिकाधिक हिंदी में ही करने पर बल दिया । उन्होंने कहा कि हिंदी में कार्य करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। समारोह की मुख्य अतिथि डॉ. वीणा दाढ़े ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिंदी एक ताकतवर भाषा ने समय के अनुरूप अपने को ढाला है तथा हिंदी में ही सभी भाषाओं को साथ लेकर चलने का गुण है ।

इसके पूर्व सभा को संबोधित करते हुए खान नियंत्रक श्री रंजन सहाय ने हिंदी में ही कार्य करने की महत्ता प्रतिपादित की । राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन ने भारतीय खान ब्यूरो की राजभाषा संबंधी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत वर्ष भर का लेखा–जोखा पढ़कर सुनाया गया ।

महानियंत्रक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14 सितंबर, 2015 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आर. टी. एम., नागपुर विश्वविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष श्री भागचन्द्र जैन उपस्थित थे । साथ ही तत्कालीन मुख्य खान नियंत्रक श्री आर. के. सिन्हा एवं राजभाषा अधिकारी डॉ. पी. के. जैन भी उपस्थित थे । कार्यक्रम के प्रारंभ में राजभाषा अधिकारी द्वारा माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के संदेश का वाचन किया गया तथा पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी दी गई । इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री के थॉमस ने कहा कि यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम राजभाषा हिंदी में ही अधिकाधिक कार्य करें । सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री भागचन्द्र जैन ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाने का कारण यह था कि यह चारों दिशाओं में फैली हुई थी तथा यह विचारों के आदान – प्रदान का सशक्त माध्यम थी । मुख्य खान नियंत्रक ने सभा को संबोधित करते हुए कार्यालय द्वारा गृह – पत्रिका के प्रकाशन की आवश्यकता पर बल दिया ।

दिनांक 14/09/2015 को हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह का आयोजन किया गया । इस अवसर पर मंच पर आसीन महानुभावों ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया ।

राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन (रिपोर्ट)

भारतीय खान ब्यूरो के नागपुर स्थित मुख्यालय में दिनांक 16/05/2016 को 'खनन क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में भारतीय खान ब्यूरो की भूमिका' विषय पर एक दिवसीय पूर्णकालिक राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया गया । दो सत्रों में आयोजित इस सेमिनार की अध्यक्षता महानियंत्रक श्री आर. के. सिन्हा ने की । सेमिनार हेतु अनेक आलेख प्राप्त हुए जिनमें से 13 आलेख चयनित कर उन्हें एक स्मारिका के रूप में प्रकाशित किया गया,

जिसका विमोचन सेमिनार की मुख्य अतिथि श्रीमती गुंजन मिश्रा, प्रधान महानिदेशक (प्रशिक्षण), राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर ने किया । उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर राजभाषा तकनीकी सेमिनार का उद्घाटन किया । उन्होंने अपने उद्बोधन में सेमिनार के आयोजन पर आश्चर्य एवं खुशी व्यक्त की । कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महानियंत्रक महोदय ने यह इच्छा व्यक्त की कि आने वाले समय में हम एक राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी सेमिनार आयोजित करें ।

राजभाषा तकनीकी सेमिनार में दो सत्रों में निम्नलिखित आलेखों का प्रस्तुतिकरण किया गया :–

क्र. सं.	आलेखों के शीर्षक	लेखक
1	निम्न श्रेणी ताम्र अयस्क (कॉपर ओर) का सज्जीकरण	प्रथमा दिवाकर पी.पी. पाठक भाविका रामटेके डॉ.वी.ए.जे. करूणा डॉ. संध्या लाल इंदिरा रवीन्द्रन
2	अवैध खनन एवं परिवहन के प्रतिबंध, नियंत्रण तथा अवरोधन में भारतीय खान ब्यूरो का योगदान	गिरीष मनोहर बढे
3	औद्योगिक खनिज (चूना पत्थर)	जे.पी. मिश्रा एम.जी. राऊत डॉ संध्या लाल इंदिरा रवीन्द्रन
4	खनिज एवं खनन क्षेत्र का बदला स्वरूप	डॉ. पी. के. जैन
5	खनिज क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग की भूमिका	गौरव कुमार शर्मा सुनील कुमार शर्मा विनय कुमार सक्सेना
6	खनिज क्षेत्र के बदलते परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतीय खान ब्यूरो: चुनौतियाँ एवं उपाय	विनय कुमार सक्सेना सत्यानंद पाण्डेय
7	जस्ता धातु का उत्पादन – भारत में बदलता परिदृश्य	मुजीब उद्दीन सिद्दीकी जयपाल पडोले
8	जस्ता अयस्क भंडारों के लाभकारी दोहन हेतु न्यूनतम ग्रेड	डॉ. शैलेन्द्र शमी सुनील कुमार शर्मा
9	भारत का क्रोमाइट भंडार एवं उसका आकलन	डी.डब्ल्यू बेक, डॉ. शैलेन्द्र शमी
10	राष्ट्रीय खनिज सूची का महत्व एवं विश्लेषण	चन्द्रशेखर तिवारी सुनील कुमार शर्मा
11	लोह अयस्क एवं इस्पात की मांग एवं मूल्य से संबंधित मुद्दे	डॉ. पी. के. जैन
12	सुकिंदा क्रोमाइट – विहंगावलोकन	महेंद्र कुमार सोमानी
13	खनन एवं खनिज सांख्यिकी प्रभाग की कार्यप्रणाली	एस. के. देशपांडे

इस दौरान हुए सार्थक विचार–विमर्श ने सेमिनार को जीवंत बना दिया । ऐसे आयोजन समय – समय पर होते रहें, इसी संकल्प के साथ सेमिनार संपन्न हो गया ।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा वर्ष २०१५-१६ के दौरान भारतीय खान ब्यूरो के कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण

1. संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप–समिति द्वारा दिनांक 22/08/2015 को भारतीय खान ब्यूरो के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के साथ हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा के संबंध में विचार विमर्श किया गया ।

2. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा दिनांक 27/01/2016 को भारतीय खान ब्यूरो के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया गया तथा राजभाषा के प्रयोग के संबंध में उचित सलाह दी गई ।

3. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा दिनांक 19/02/2016 को भारतीय खान ब्यूरो के अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया गया तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में उचित मार्गदर्शन दिया गया ।

भारतीय खान ब्यूरो के प्रकाशन (संग्रह)

		कीमत रू.
(ए)	वार्षिक	
1.	इंडियन मिनरल ईयर बुक 2012 (भाग 1,2 व 3)	5000/–
2.	इंडियन मिनरल इंडस्ट्री–एट ए ग्लैन्स (2012–13)	280/–
3.	बुलेटिन ऑफ माइनिंग लीजेज एण्ड प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेज 2013	860/–
4.	स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल्स ऑफ मिनरल (2013–14)	465/–
(बी)	बुलेटिन	
1.	एप्लीकेशन ऑफ रॉक मैकेनिक्स इन सरफेस एंड अंडरग्राउंड माइनिंग	550/–
2.	बुलेटिन ऑन एब्रेसिव्स इन इंडिया	80/–
3.	केबल बोल्टिंग प्रैक्टिसेज इन अंडरग्राउंड माइंस	205/–
4.	माडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन माइंस	160/–
5.	स्लारी ट्रांसपोर्टेशन इन इंडियन माइंस	110/–
6.	बुलेटिन ऑन ऑकर	110/–
(सी)	पीरियोडिकल्स	
1.	मंथली स्टेटिस्टिक्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन (जनवरी–दिसंबर, 2014) (वार्षिक सबस्क्रिप्शन) (प्रति कॉपी रू. 420/–)	5040/–
2.	बुलेटिन ऑफ मिनरल इन्फारमेशन (अर्ध वार्षिक) (अप्रैल 2013–मार्च 2014) (रू. 460/– प्रति अंक)	920/–
(डी)	मोनोग्राफ	
1.	मोनोग्राफ ऑन क्रोमाइट	630/–
2.	मोनोग्राफ ऑन चायना क्ले	480/–
(ई)	मार्केट सर्वे रिपोर्ट	
1.	मोर्केट सर्वे ऑन मैग्नीज ओर	1010/–
2.	कॉपर ए मार्केट सर्वे	800/–
3.	लीड एंड जिंक– ए मार्केट सर्वे	1125/–
4.	मार्बल, फ्लैगी लाइमस्टोन एंड स्लेट–ए मार्केट सर्वे	270/–
(एफ)	मिनरल लैजिस्लेशन	
1.	माइंस एंड मिनरल्स (डवलपमेंट) एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (1957 की सं. 67) (10 मई 2012 तक यथासंशोधित)	130/–
2.	मिनरल कनसैशन रूल्स, 1960 (26 जुलाई, 2012 तक यथासंशोधित)	270/–
3.	मिनरल कंजर्वेशन एंड डवलपमेंट रूल्स, 1988 (2 अगस्त, 2012 तक यथासंशोधित)	340/–
4.	मिनरल टैक्सेशन रिजीम इन इंडिया	160/–
5.	मार्बल डवलपमेंट एंड कंजर्वेशन रूल्स 2002 (15 मई, 2002 को)	60/–
(जी)	अन्य प्रकाशन	
1.	मैग्नीज ओर विजन 2020 एंड बियौंड	835/–
2.	आयरन एंड स्टील विजन 2020	1950/–
3.	मैनुअल ऑफ प्रौसीजर फॉर कैमिकल कैमिकल एंड इन्स्ट्रमेंटल एनेलिसिस ऑफ ओर्स, मिनरल्स, ओर ड्रेसिंग प्रोडक्टस एंड एनवायरनमेंटल सेम्पल	750/–
4.	नेशनल मिनरल इन्वेन्ट्री–एन ओवरव्यू (दिनांक 01/04/2010 को)	1240/–
5.	सकुलर्स इश्यूड टू रिकाग्नाइज्ड क्वालिफाइड पर्सन्स (दिनांक 25/03/1991 से 01/10/2007 तक)	155/–

ब्यौरे के लिए कृपया संपर्क करें

'मुख्य संपादक, भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाइंस, नागपुर 440001'
फोन : 0712–255044/2560645/2562847 एक्सटेंशन 1120/1112 एवं 1123
ई–मेल – ce.press@ibm.gov.in

खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम-२०१५ की प्रमुख विशेषताएँ:

डॉ वाई. जी. काले
क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, गोवा क्षेत्रीय कार्यालय

1.0 प्रस्तावना:

भारत वर्ष में खान तथा खनिज क्षेत्रों के विकास तथा विनियमन के प्रति 'खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957' का विशेष महत्व है। खनिज क्षेत्रों का गवेषण तथा खनिजों के दोहन हेतु यह अधिनियम महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यह अधिनियम, भारत के संघ द्वारा संविधान के सातवीं अनुसूची के क्रम सं–। के प्रविष्टि–54 में दिए गए प्रदत्त अधिकार द्वारा संसद द्वारा बनाया गया हैं तथा इसका अधिपालन संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हैं ।

12 जनवरी 2015 को एक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव, संशोधन किए गए। तदोपरांत इस अधिसूचना को संसद द्वारा मान्यता दी गई तथा इन संशोधनों को 'खान और खनिज संशोधन (विकास तथा विनियमन) 2015 – अधिनियम' के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत लेख में, लेखक द्वारा इन संशोधनों की प्रमुख विशेषताओं की ओर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

2.0 खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 को मुख्य रूप से निम्नलिखित सैद्धान्तिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया–

- खनिज संसाधनों के आवंटन में अधिक पारदर्शिता लाना।
- सरकार के राजस्व में खनिज संसाधनों के अनुकूल बढ़ोतरी करना।
- खनिज क्षेत्र में निजी निवेश तथा नवीनतम प्राद्योगिकी को आकर्षित करना।
- देश के खनिज संसाधनों का तेजी से तथा उचित विकास हेतु प्रयास करना तथा विलंब को हटाना।

उपरोक्त सैद्धांतिक उद्देश्यों के अलावा, खान और खनिज (विकास तथा विनियम) संशोधन अधिनियम 2015 के अन्य उद्देश्य इस तरह हैं:–

2.1 भारतीय खनिज संसाधनों को (क) प्रचुर मात्रा में तथा ऊपरी सतह में पाए जाने वाले खनिज तथा (ख) गहरी सतह से प्राप्त तथा जिन्हें प्राप्त करना आसान नहीं है ऐसे खनिजों के वर्ग में बाँटना । इसका उद्देश्य यह है कि इनके गवेषण तथा दोहन हेतु भिन्न–भिन्न तरह के तकनीकी का प्रयोग होता है, इसलिए इन दोनों खनिजों के वर्ग में अलग–अलग मापदंड लगाने की आवश्यकता होती है । इन विभिन्न खनिज वर्ग को 'घोषित (Notified)' खनिजों के तौर पर घोषित करना ।

2.2 खनन पट्टा क्षेत्र के बारे में दुविधा समाप्त करना। स्पर्द्धत्मक नीलामी का प्रयोग, खनिज संसाधन के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाने, तथा सरकार के राजस्व में खनिज संसाधनों के अनुकुल बढ़ोतरी करना। इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार ने निलामी की शर्ते तथा नियम जारी किए है।

2.3 खनन क्षेत्र से प्रभावित प्रत्येक जिले में जिला खनिज संस्थान (District Mineral Foundation) की स्थापना करना। जिला खनिज संस्थान का कार्य खनन क्षेत्र से प्रभावित लोगों की भलाई तथा उनके फायदे के लिए कार्य करना, साथ ही साथ खनन क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र में सुधार लाना । जिला खनिज संस्थान को खनिज स्वामित्व में उगाही (levy) लगाकर इन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना । केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा नये खनन पट्टा क्षेत्र (जो निलामी प्रक्रिया द्वारा दिए गए) के लिए खनिज स्वामित्व का 10 तथा पुराने खनिज पट्टाधारियों को खनन स्वामित्व का 30 मूल्य जिला खनिज संस्थान में देय होगा ।

2.4 भारत वर्ष में प्रादेशिक तथा विस्तृत गवेषण हेतु राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (National Mineral Exploration Trust) की स्थापना करना :

इस राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास में प्रत्येक खनिज पट्टाधारीयों को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार खनिज स्वामित्व का 2% मूल्य देय होगा।

2.5 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टा दो स्तरीय नीलामी द्वारा आवंटन करने की संकल्पना लाना। इस संबध में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित तथा अघोषित खनिजो के लिए नियम तथा शर्तो को

अधिसूचित किया गया।

2.6 गैर कानूनी खनन की रोकथाम करना। इस दिशा में दण्ड तथा सजा के प्रावधानों को बढ़ाया गया है। इस संबंध के फौजदारी दावों को जल्द से जल्द निपटान के लिए राज्य सरकार को विशेष न्यायालय की स्थापना करने के अधिकार दिये गये हैं।

2.7 खनिज संसाधनों के रक्षण संबंधी, खनिज संबंधी नीति जिसमें राष्ट्रीय हित हो तथा वैज्ञानिक एवं संधारणीय विकास हेतु राज्य सरकार को निदेश देने हेतु केन्द्र सरकार को पर्याप्त अधिकार देना।

3.0 महत्वपूर्ण संशोधन :

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम–2015 के तहत निम्नलिखित प्रमुख संशोधन किये गये हैं। इस संशोधन की विस्तृत चर्चा निम्नानुसार है:–

3.1 धारा 5 : खनिज रियायत का आवंटन :

इस संशोधन के अनुसार राज्य सरकार को अभी केन्द्र सरकार द्वारा खनिज रियायत आवंटन हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी। अब पूर्व अनुमति केवल हाइड्रोकार्बन उर्जा तथा परमाणु खनिज के लिए ही लेनी पड़ेगी। 12 जनवरी 2015 के पश्चात सभी खनिज रियायत केवल नीलामी की प्रक्रिया द्वारा ही आवंटित किए जा सकेगें। इन खनिज रियायतों के क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धि के संबध में नियम बनाए गए है। जिसके तहत यह आवश्यक है कि खनिज रियायत आवंटन के पहले वहाँ खनिजो का उपलब्ध होना तथा इसका सत्यापन करना आवश्यक है।

3.2 धारा 8 एवं (8 क) :

खनिज रियायत की अवधि के संबंध में इस संशोधन के अनुसार खनन पट्टा के नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। नवीनीकरण केवल हाइड्रोकार्बन एवं परमाणु उर्जा खनिजों के लिए ही संम्भव होगा। परन्तु इस संशोधन के अनुसार सभी नये खनन पट्टा 50 वर्षो के लिए आवंटित किये जाएँगे। साथ ही जो पुराने खनन पट्टा है उनकी अवधि 50 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। पुराने खनिज पट्टा उनकी खनन पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात निलामी द्वारा आवंटित किये जाएँगे।

इस संशोधन के अनुसार अब खनिज पट्टो की अवधि निम्नानुसार होगी :

नये खनन पट्टा :

50 वर्ष की अवधि तक आवंटित किये जाएंगे। नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

यदय केपटिव खनन पट्टा :

इसकी अवधि अब 31 मार्च 2030 या उनके नवीनीकरण अवधि समाप्त होने तक या खनन पट्टा आवंटन के पश्चात 50 वर्ष तक इसमें से जो भी बाद में आएगा तब तक लागू रहेंगे।

पुराने यदय नॉन–केपटिव खनन पट्टा :

इसकी अवधि अब 31 मार्च 2020 या उनके नवीनीकरण अवधि समाप्त होने तक या खनन पट्टा आवंटन के पश्चात 50 वर्ष तक इसमें से जो भी बाद में आएगा तब तक लागू रहेंगे।

3.3 धारा 9 (ख) : जिला खनिज संस्थान :

इस प्रावधान के अनुसार प्रत्येक जिले में जो खनन कार्य से प्रभवित हुआ है उसमें 'जिला खनिज संस्थान' का गठन करने का प्रावधान है। यह संस्थान गैर–लाभांवित संस्थान के तौर पर कार्य करेगा। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्र तथा लोगों के कल्याण और लाभ के लिए कार्य करना होगा। जिला खनिज संस्थान में पुराने पट्टाधारियों को खनिज स्वामित्व के समकक्ष तक योगदान करने का प्रावधान किया गया है। नये पट्टाधारियों को जो नीलामी के द्वारा आवंटित किए गए है उनके खनिज स्वामित्व का 30 प्रतिशत योगदान जिला खनिज संस्थान को करने का प्रावधान है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पुराने खनन पट्टाधारियों के खनिज राजस्व का 30 प्रतिशत योगदान जिला खनिज संस्थान को देय होगा। तथा नये खनन पट्टाधारियों को खनिज राजस्व का 10 प्रतिशत योगदान जिला खनिज संस्थान को देय होगा।

3.4 धारा 9 (घ) : राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास :

धारा 9 (घ) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक खनन पट्टाधारियों तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टाधारियों को खनिज राजस्व के 2 प्रतिशत का मूल्य राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को देय होगा। यह न्यास केन्द्र सरकार द्वारा प्रचालित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रादेशिक रूप से विस्तृत खनिज गवेषण को बढ़ावा देना तथा वित्तीय सहायता देना है। इस न्यास के कारण यह आशा व्यक्त की जाती है कि देश में खनिज गवेषण के कार्य में वृद्धि होगी तथा खनिजों के नये भण्डारों की खोज होगी।

3.5 धारा क 10 : पुराने खनिज रियायत आवंटन के आवेदनों को निरस्त करना:

इस धारा में प्रावधान किया गया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम–2015 के अमल के पूर्व के खनिज रियायत के लिए प्रस्तुत समस्त आवेदन निरस्त समझे जाएँगे। परन्तु निम्निलिखित अवस्था में इन आवेदनों को निरस्त नहीं माना जाएगा।

1. जहां भूभीक्षण अनुज्ञा पत्र अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति 12/01/2015 के पूर्व में आवंटित हो चुके है तथा पट्टधारियों द्वारा भूभिक्षण अनुज्ञा पत्र अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति में खनिज भण्डारों के पता करने के लिए कार्य किया गया है।
2. जहाँ भूभिक्षण अनुज्ञा पत्र अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के कोई भी शर्त या नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
3. ऐसे पट्टाधारियों द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनिज पट्टा आवंटन के लिए भूभिक्षण अनुज्ञा पत्र अथवा पुर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात 3 माह पूर्व आवेदन किए गए है।
4. जहां खनिज रियायत आवंटन के संबंध में केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त हुई है।
5. जहां राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायत आवंटन के सम्बंध में आशय पत्र जारी किया गया हो।

3.6 धारा 10 (घ) : गैर अनन्य भूभिक्षण :

धारा 10 (घ) के अन्तर्गत गैर अनन्य भूभीक्षण अनुज्ञा पत्र के आवंटन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत हाइड्रोकार्बन एवं परमाणु उर्जा खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों के लिए गैर अनन्य भूभिक्षण अनुज्ञा पत्र क्षेत्र पर एक से अधिक व्यक्ति एक ही साथ भूभिक्षण कार्य कर सकते हैं। परन्तु पुर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनिज पट्टा अथवा खनिज पट्टा आवंटन के लिए ऐसे गैर अनन्य भूभिक्षण अनुज्ञापत्रधारी द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

3.7 धारा 2 (ई) क : के अंतर्गत घोषित खनिज चतुर्थ अनुसूची में दर्शाये गए खनिजों को बताया गया है। वर्तमान में चतुर्थ अनुसूची में निम्नलिखित खनिज को घोषित खनिज के तौर पर मान्यता दी गई है:

1. बॉक्साइट
2. लौह अयस्क
3. लाईमस्टोन
4. मैगनिंज अयस्क

3.8 धारा ख 10 के अंतर्गत सभी घोषित खनिजों के खनिज रियायत आवंटन निलामी द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं । इस संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक प्रणाली बताई गई है:–

1. जहां खनिजों के अंतर्वस्तु का साक्ष्य पर्याप्त उपलब्ध नहीं है– राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टा का आवंटन केंद्र सरकार के पूर्व अनुमति के पश्चात निलामी द्वारा दिया जा सकेगा।
2. जहां खनिज के अंतर्वस्तु का साक्ष्य पर्याप्त राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र का आबंटन को निलामी द्वारा जारी करने हेतु राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है।

3.9 धारा 11 :

गैर घोषित खनिजों के खनिज रियायत की नीलामी द्वारा आवंटन करना– इस संबंध में गैर घोषित खनिजों के खनिज रियायत आवंटन के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक प्रणाली बनाई गई है।

1. जहां खनिजों के भणडार की उपलब्धता प्राप्त नहीं है– राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टा के संबंध मे नीलामी द्वारा आबंटित करने हेतु अधिसूचना जारी कर सकती है। इस संबंध में यह लेख है कि गैर घोषित खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टा रियायत जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
2. जहां खनिज के अंतर्वस्तु का पर्याप्त साक्ष्य की उपलब्ध है राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र नीलामी द्वारा जारी करने हेतु राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है।

3.10 धारा (10) 11 : पूर्वेक्षण अनूज्ञप्ति के पश्चात खनन पट्टा रियायत जारी करना :

इस संशोधन में यह बताया गया है कि जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनिज पट्टाधारी, पूर्वेक्षण संबंधी कार्य समाप्त कर लेता है और पूर्वेक्षण संबंधी ऐसे मापदण्ड द्वारा खनिज के भण्डार की उपलब्धता की खोज करता है वह पट्टाधारी खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे पट्टाधारी खनन पट्टा मिलने के पश्चात खनन कार्य शुरू कर सकता है।

3.11 धारा क (12) : क खनिज रियायत का अंतरण:

इस संशोधन के अनुसार खनिज रियायत का अंतरण उन्हीं खनिज रियायतों में सम्भव होगा जो रियायतें नीलामी द्वारा प्राप्त की हो। तथापि 6/5/2016 की अधिसूचना द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम–1957 में फिर संशोधन किया गया। इन संशोधनों के अनुसार कैप्टिव खनन पट्टाओं का हस्तांतरण सम्भव हो पाएगा। पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टाधारी अपने खनिज रियायत राज्य सरकार के पूर्व अनुमति से केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशानुसार हस्तांतरण कर पाएंगे।

3.12 धारा 21 : अधिनियम का उल्लघंन :

इस धारा के अनुसार गैर कानूनी खनन को रोकने के लिए प्रावधानों को अधिक सक्षम किया गया है। इस संशोधन द्वारा कोई भी व्यक्ति जो गैर कानूनी रूप से खनन प्रकिया में शामिल हो उसके विरूद्ध दण्डात्मक तथा सजा का कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है तथा साथ ही रू 5 लाख प्रति हेक्टर दण्डात्मक कार्यवाई हो सकती है। उसी प्रकार अधिनियम के अतंर्गत बनाए गए कोई भी नियम के उल्लंघन के लिए भी सजा तथा दण्डात्मक कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब यह सजा दो वर्ष तक अथवा रू 5 लाख तक दण्ड के साथ अथवा दोनों प्रावधानों के साथ हो सकता है।

3.13 धारा 30 (ख) : विशेष अदालतों का निर्माण करना:

इस संशोधन द्वारा गैर कानूनी खनन जैसे अपराधों के शीघ्र गति से निपटान हेतु राज्य सरकार विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है।

4.0 संशोधन अधिनियम–2015 के पश्चात निम्नलिखित नये नियमों को बनाया गया है:–

1. खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम–2015 जो कि 17 अप्रैल 2015 से प्रभावी है।
2. खनिज (नीलामी) नियम–2015 जो कि 20 मई 2015 से प्रभावी है।
3. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम 2015 जो कि 14 अगस्त 2015 से प्रभावी है
4. खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम–2015 जो 12 जनवरी 2015 से प्रवृत माने जाएँगे।
5. खनिज (गैर विशिष्ट सर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र) नियम 2015 जो 29 जून 2015 से प्रभावी है।
6. खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम 2015 जो 3 दिसम्बर 2015 से प्रभावी है।
7. खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 जो 4 मार्च 2016 प्रभावी है।
8. खनिज (कैप्टिव प्रयोजनार्थ निलामी के माध्यम से अन्यथा अनुदत्त खनन पट्टा का अंतरण) नियम 2016 जो 30 मई 2016 से प्रभावी है।

ऐसी आशा की जा सकती है कि खान और संशोधन अधिनियम–2015 के पश्चात भारतीय खनिज उद्योगो में एक नई चेतना संधारणीय विकास हेतु आ सकती है। इन संशोधनों के अनुरूप कई राज्य सरकारों ने खनिज रियायत का आबंटन निलामी द्वारा शुरू कर दिया है। इस निलामी प्रक्रिया द्वारा आबंटन में पारदर्शिता बढ़ी है साथ ही राज्य सरकार को उनके खनिज संसाधनों के अनुरूप राजस्व भी प्राप्त हो रहा है।

आभार:– इस आलेख के प्रस्तुतिकरण हेतु लेखक, भारतीय खान ब्यूरो के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता है; इस आलेख में खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम–2015 के ऊपर सरल भाषा में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। इस आलेख द्वारा कोई भी, अंतिम निर्णय या परामर्श बाध्य नहीं होगा।

भूकम्प और आपदा प्रबंधन

जितेंद्रिय प्रधान
वरिष्ठ तकनीकी सहायक (खा.अ.), भारतीय खान ब्यूरो, गोवा

प्रकृति की सबसे बड़ी विपदाओं में भूकम्प सबसे विनाशकारी है। भूकम्प की पूर्व सूचना के लिये हमारे पूर्वज पशु पक्षियों के असामान्य व्यवहार पर निर्भर करते थे। आज स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। कई मशीनें बन गई हैं। नई तकनीक का सहारा लिया जाने लगा है। इससे भूचाल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है।

भूकम्प के लक्षण :

दुनिया में हर साल लगभग पाँच लाख भूकम्प आते हैं। इनमें से कोई एक हजार के बारे में ही जानकारी हम तक पहुँचती है। असल में ज़मीन के अन्दर लगातार टूट–फूट होती रहती है। बाहर से वह दिखाई नहीं देती। धरती पर बाहरी परतों का दबाव पड़ता रहता है। भीतरी ताकतें भी अपना ज़ोर लगाती हैं। दबाव अधिक होने पर चट्टानें अचानक टूट जाती हैं। वे टूट कर या तो अन्दर धँस जाती हैं अथवा ऊपर की ओर उभरने लगती हैं। उनके इसी ज़ोरदार धक्के से पृथ्वी काँपने लगती है। तकनीकी शब्दों में पृथ्वी की इन विभिन्न प्रकार की सतहों का परस्पर टकराव ही भूकम्प का कारण होता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूकम्प एक प्राकृतिक विपदा है। ज़मीन की ऊपरी परत आमतौर पर सख़्त और स्थिर होती है। अन्दर से पृथ्वी प्रायः काँपती रहती है। यह कम्पन इतना मामूली होता है कि हमें पता ही नहीं लगता। कभी–कभी यह कम्पन इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि पहाड़ों की चट्टानें टूट कर गिरने लगती हैं। जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। नगर के नगर ध्वंस हो जाते हैं। पानी के स्रोत अपना स्थान बदल लेते हैं। कहीं पर नए चश्मे फूट पड़ते हैं और कहीं पर पानी से भरे चश्मे सूख जाते हैं। गहरी खाईयाँ गुम हो जाती हैं और नई घाटियाँ बन जाती हैं। इन सब कारणों से जान–माल का बहुत अधिक नुकसान होता है। यह नुकसान कम से कम हो उसके लिये अब तकनीक और समझदारी ही एक सहारा है।

भारत में 30 सितम्बर, 1993 को महाराष्ट्र के लातूर नामक स्थान पर आए भूकम्प में 28,000 लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया था। इसके प्रभाव को 12 किलोमीटर तक महसूस किया गया था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज इलाके में एक भयंकर भूकम्प आया, जिसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए और दो लाख से अधिक लोग घायल हुए। चार लाख घर तबाह हो गए। कई ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का अस्तित्व ही मिट गया।

गत दिनों ऐसे ही भूकम्प जम्मू–कश्मीर के उरी क्षेत्र में और उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में आए थे। वहाँ पर बहुत अधिक जान–माल की हानि हुई। वहाँ के लोगों के काम–काज ठप्प हो गए। अधिकतर आदमियों और जानवरों की मौतें मकानों के ढह जाने और बड़े–बड़े पत्थरों के नीचे दब जाने के कारण हुई। लोग अपने घरों की खिड़कियों से कूदे जिसके कारण बुरी तरह घायल हो गए। घरों में फँसे हुए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में भी बहुत लोग ज़ख़्मी हुए। खेतों में काम कर रहे लोगों पर भी बड़े–बड़े पत्थर आकर गिरे जिसके कारण काफी लोग मर गए। सड़कों पर चल रहे वाहन मलबे में दब गए, उनके भीतर बैठे लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। चरने के लिये गए पशु अपने घर लौट कर नहीं आ सके। कई रास्ते बंद हो गए।

लोगों ने घरों से बाहर निकल कर अपने परिवार सहित खुले आसमान के नीचे रातें बिताई। राहत कार्य दो–तीन दिन बाद ही शुरू हो सके। बाद में लोगों को आवश्यक राहत सामग्री वितरित की गई। राहत शिविरों का प्रबंध किया गया। ग़ैरसरकारी संस्थाओं ने भी सहायता की परन्तु उनमें आपसी तालमेल नहीं था। आमतौर पर सड़कों के किनारे–किनारे अधिक राहत पहुँच गई और भीतरी इलाके इससे वंचित रह गए। इस अवसर पर इन क्षेत्रों में तैनात सेना ने उल्लेखनीय कार्य किए और अनेक लोगों की जान माल की रक्षा की। सेना के जवानों ने गाँव–गाँव तक राहत सामग्री पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भूकम्प के बाद कई जगहों पर धरती का पानी सूख गया। खेती तबाह हो गई थी। आज भी घरों के नाम पर केवल खंडहर बचे हैं। कितने ही बच्चे यतीम हो गए हैं। अभी तक लोग रात में चैन से सो नहीं पाते हैं। वहाँ के निवासियों का पारिवारिक, सामाजिक और सामुदायिक जीवन अस्त–व्यस्त हो गया। आज भी वहाँ के लोगों का जीवन सामान्य नहीं हो पाया है। इस विपदा का गहरा प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर विशेष रूप से हुआ।

भूकम्प के प्रभाव को कम करने वाले कार्यक्रम :

सरकार इस बात पर पूरे–पूरे प्रयास कर रही है कि यदि

कहीं पर भूकम्प आ ही जाए तो उससे होने वाली हानि कम से कम हो। इसके लिये सरकार ने कई कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं। भारतीय मानक संस्थान ने देश के भूकम्प प्रभावित इलाकों को कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया है। ऐसे मापदंड निश्चित कर दिए हैं, जिनके अनुसार उन क्षेत्रों में मकान बनाए जाएँ तो वह बहुत कम क्षतिग्रस्त होगें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में भवनों का निर्माण स्थानीय अधिकारियों की देखरेख के नियमानुसार होता है। परन्तु इन नियमों में कई बार भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों को शामिल नहीं किया जाता है। कई स्थानों पर नियम लागू किए जाते हैं परन्तु उनकी ठीक–ठीक जानकारी वहाँ के भवन बनाने वालों को नहीं होती। देहातों में तो यह समस्या और भी गम्भीर है।

सरकार ने इसके लिये निम्नलिखित प्रयास किए हैं :

1. भूकम्प के जोखिम को कम से कम करने के लिये एक कोर ग्रुप का गठन।
2. भवन निर्माण के नियमों की समय–समय पर जाँच पड़ताल करना और नियमों का सख़्ती से पालन करवाना।
3. राज्यों में आपातकाल की स्थिति में काम करने वाली इकाइयों का गठन।
4. भवन निर्माताओं और इंजिनीयरों की क्षमता में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना।
5. देहाती क्षेत्रों में काम करने वाले राजमिस्त्रियों को मानकों के अनुसार मकान बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करना। शहरी क्षेत्रों में भी भूकम्परोधी निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण देना।
6. स्कूलों और कॉलेजों में भूकम्प इंजीनियरिंग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना।
7. चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अस्पताल में आपातकालीन तैयारियाँ करने की शिक्षा देना।
8. पुराने बने हुए भवनों की समय–समय पर जाँच पड़ताल करना।

इन कार्यों के लिये सरकार ने 1132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना आयोग ने इसे मंजूरी दे दी है। इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से भूकम्प संभावित चार और पाँच की श्रेणी में आने वाले क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों, स्कूलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सार्वजनिक भवनों को शामिल किया गया है।

9. शहरी क्षेत्रों में भूकम्प से कम क्षति हो, इसके लिये अनेक प्रकार के कार्यक्रम बनाना।
10. देहाती क्षेत्रों में होने वाले निर्माणों में भूकम्प से संबंधित मानकों का समावेश।
11. भूस्खलन वाले क्षेत्रों के लिये भी राष्ट्रीय कोर ग्रुप का गठन।
12. रेडियो, टी.वी., अख़बार जैसे संचार के माध्यमों से लोगों को ज़रूरी जानकारी देने का प्रबंध करना।
13. उत्तरी पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान देना।

भूकम्प आने से पहले उठाए जाने वाले क़दम :

1. स्थानीय प्रशासन से यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि क्या आपका भवन भूकम्प वाले क्षेत्र में है?
2. स्थानीय अधिकारियों की सहायता एवं उपलब्ध साधनों द्वारा अपने घरों को अधिक सुरक्षित बनाएं।
3. अपने घर में ऐसा स्थान पहले से ही चुन लें जो अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हो। जहाँ आपके ऊपर कुछ भी न गिरे। किसी भी दशा में सिर पर कोई चोट न लगे इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। भूकम्प के कारण सिर पर चोट के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं।
4. ऐसी विपदा में पूरी तरह से हौसला रखना चाहिए। घर के अन्य सदस्य ऐसी विपदा में घबरा न जाएँ, इसके लिये समय–समय पर उनके साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। संभव हो तो परिवार के सदस्य समय–समय पर भूकम्प से बचाव के उपायों का अभ्यास करें।
5. सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि हर भवन के निर्माण में भूकम्परोधी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए।
6. प्लास्टिक का प्रयोग कम करें। इससे आग लगने की संभावना रहती है।
7. भवन निर्माण में खोखली ईंटों का प्रयोग अच्छा रहता है। इन ईंटों के साथ स्टील की रॉड का प्रयोग किया जाए तो और भी अच्छा रहता है। स्टील में अधिक तनाव सहने की क्षमता होती है।
8. जहाँ पर जापान की तरह बहुत अधिक भूकम्प आते हों,वहाँ प्लाईवुड जैसी हल्की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। बाँस से बनने वाले घर बेहतर भूकम्परोधी होते हैं। ये सस्ते भी बनते हैं। महानगरों में ऐसे मकान बनाना संभव न लगता हो तो कम से कम छोटे शहरों और कस्बों में तो बनाए ही

जा सकते हैं। आख़िर भूकम्प तो कहीं भी आ सकता है। ऐसे मकानों के गिरने से अधिक जान माल की हानि नहीं होती।

9. यदि संभव हो तो भवनों के दरवाज़े और खिड़कियाँ लकड़ी के बनाए जाए। उनके चौखट और फ्रेम लोहे अथवा पत्थर के हो सकते हैं। राजस्थान के आम घरों में ऐसे पत्थरों का प्रयोग देखा जा सकता है। आज कल एल्यूमिनियम का प्रयोग भी अच्छा रहता है। एल्यूमिनियम हल्का भी होता है और मज़बूत भी।

10. कई मकानों के निर्माण के समय उनके बीच खाली जगह ज़रूर रखना चाहिए। ऐसे में आग लगने का ख़तरा कम होता है। आग लग जाए तो आग बुझाने में आसानी होती है।

11. भवन निर्माण सावधानीपूर्वक किए जाएं। बिजली की फिटिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। शार्टसर्किट का भय कम से कम हो। यदि इन बातों को ध्यान में रख कर अग्निरोधी भवन बनाए जायेंगे तो भूकम्प आने की स्थिति में भी नुक़सान कम से कम होगा।

12. भवन निर्माण के मानकों का अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। त्रिकोण सिद्धांत के आधार पर बनाए गए मकान अच्छे रहते हैं। छत, खंबों और दीवारों का निर्माण इस तरह से करना चाहिए कि कड़ेपन के साथ उनमें लचीलापन भी हो। वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। छत का भार सामान रूप से विभाजित हो तो वह जल्दी से नहीं गिरती।

13. आपदा के समय जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उन्हें ऐसे स्थान पर रखें जहाँ आप आसानी से पहुँच सकें। इन वस्तुओं में प्राथमिक चिकित्सा किट, दवाइयां, नकदी धनराशि, बैटरी से चलने वाला रेडियो, खाने–पीने का सामान, मज़बूत जूते और चप्पलें, प्लास्टिक शीट, सीटी, रस्सी, टार्च, बैटरी, माचिस और मोमबत्ती इत्यादि।

भूकम्प के समय क्या करें?

1. घर के भीतर हों तो घबराएं नहीं। बच्चों और बूढ़ों का ख्याल रखें। सावधानी रखते हुए घर के और सदस्यों के साथ खुले मैदान में आ जाएं।

2. जिस सामान के ऊपर गिरने की संभावना हो उससे दूर ही रहें।

3. यदि आप घर से बाहर हैं तो पेड़ों, विशेष रूप से अकेले पेड़ से, खंबों और भूस्खलन वाले क्षेत्रों से दूर खड़े हों।

4. यदि आप सड़क पर किसी गाड़ी में हैं तो गाड़ी से उतर कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाएँ।

भूकम्प के बाद क्या करें?

1. अपनी चोटों की जाँच करें। पहले छोटे बच्चों पर ध्यान दें कि उन्हें कोई चोट तो नहीं आई। यदि चोट लगी हो तो तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करें।

2. ज़रूरी हो तो करीबी अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा के लिये जाएँ।

3. जल–मल व्यवस्था और बिजली की लाइनों में हुई क्षति को देखें।

4. घर में हुई टूट–फूट पर ध्यान दें। ख़तरनाक मलबे को हटाने का प्रबंध करें। सबसे पहले देखें कि मलबे के नीचे कोई व्यक्ति अथवा जानवर दबा हुआ तो नहीं है।

   यदि कोई हो तो तुरन्त मलबा हटा कर उन्हें बाहर निकालें। घायल का इलाज करें। मलबे में दबे हुए शवों को बाहर निकाल कर उनकी अन्तिम क्रिया का प्रबंध करें। लाशों के सड़ने से बहुत तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, जिनसे जीवन दूभर हो जाता है।

5. स्थानीय अधिकारियों, पुलिस अथवा सेना, अग्निशमन कर्मियों की हिदायतों की प्रतीक्षा करें। जहाँ तक संभव हो उनके साथ सहयोग करें। उनके काम में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। ऐसी सहायता के आने के लिये रास्ते साफ़ करने का प्रयास करें।

6. स्वच्छ पानी और आवश्यक भोजन सामग्री का प्रबंध करें।

नानी-दादी से सुनी कहानी

आर सी महतो
हिंदी अनुवादक, भारतीय खान ब्यूरो, गोवा

आज तकनीकी के विकास ने हमें साधन संपन्न बनाया है, सर्वमुखी सुविधा प्रदान किया है। आज की पीढ़ी के संवेदनशील जन अपने बुजुर्गों, सगे–संबंधियों से वंचित है वे यह अवश्य अफसोस करते है कि काश! हमारे बुर्जुग हमारे साथ (जीवित) होते तो उन्हें वह सब सुख देकर अपने आपको भाग्यशाली समझता जिनके लिए वे आँखों में उम्मीद लिए काल के क्रुर गाल में समा गए।

वेदना तब और बढ़ जाती है जब उनकी गोद में बिताए स्वर्णिम समय का एहसास होता है। सुविधापूर्ण एवं सुखपूर्ण बिस्तर उन गोदों की याद आते ही बेहद कम आरामदायक प्रतीत होने लगते हैं, मनोरंजन के सारे साधनों से मिलने वाले मनोरंजन नानी–दादी, नाना–दादा, बुआ–मौसी–माँ की लोरियाँ और कहानियों के आस्वादन के सामने फीके लगने लगते हैं।

नानी–दादी से सुनी हुई कहानियों में से एक को आपसे कहना चाहता हूँ हालाँकि परिस्थितयों और पात्रों के भिन्नता यानि हम आप और हमारे बीच के संबंधों में अंतर होने से इस कहानी के प्रभाव में अंतर होना अवश्यनभावी है। या मैं यह कहूँ कि प्रभाव कदाचित कम होगा तो अतिशयोक्ति न होगा। तथापि मुझे लगता है कि इस कहानी को मेरे द्वारा कहे जाने की प्रभावशीलता कदाचित कम होना मेरे लिए सफलता का संदेश होगा, क्योंकि उनकी रमनीय आँचल और उनकी कहानियों में खो जाने से मिले असीम आनंद को भविष्य के किसी भी सुख से भरपाई होना संभव नहीं है। इसीलिए उनके प्रति श्रद्धा स्वरूप उनके भावों/शब्दों के सुमन को आपके समक्ष समर्पित करता हूँ–

पंपापुर के राजा पवनचंद की प्रजा उनके प्रशासन में प्रसन्न थी, परन्तु प्रजा इसका श्रेय राजा को देने के बजाए उनके मंत्री मनीषी महाराज को देती थी। मनीषी महाराज के विवेक, बुद्धि, राजनीति और कूटनीति की चर्चे सारे देश में होती थी। जहां प्रजा उन्हें आपार इज्जत देती थी वहीं राजा स्वहित हेतु मंत्री पर महा नाराजगी एवं क्रोध भी प्रकट करता और कड़े अंजाम भुगतने की कभी–कभी धमकी भी देता था। एक दिन मनीषी महाराज की धर्मपत्नी इस अफवाह को सुनकर कि नाराज राजा उनके पति को फांसी देनेवाले हैं, संदमित होकर हृदयाघात का शिकार हो स्वर्गवासी हो गई थी। सर्वगुण संपन्न प्रति अनुरागी अपनी धर्मपत्नी के वियोग में मनीषी महाराज आंतरिक रूप से टुटन और घुटन महसूस करते लगे; उपर से मंत्री पद की महान जिम्मेदारी निभाने से उब चूके मनीषी महाराज सोचते थे कि ज्योंहि उनका पुत्र मनोमय पढ़–लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक हो जाएगा तो वे संन्यस्त जीवन में संर्पित हो जीवन रहस्य को जानने में अपना समय लगाएंगे।

मनोमय का लालन पालन मनीषी महाराज बड़े लाड़–प्यार और मनोयोग से करते थे स्वयं ही उसे शिक्षा देते थे, सोते समय मनीषी महाराज अपने सुपुत्र को स्मरण दिलाते थे, पुत्र मनोमय, संगत और सेवा (नौकरी) करना तो बड़े व्यक्ति के पास और शादी करना तो खानदानी घर में। जी पिताजी, मनोमय सहमति जाहिर करता। समय बीतता गया मनोमय वयस्क हो गया, बुद्धिमान एवं विवेकशील बन गया। मनीषी महाराज को पुत्र की प्रवीणता को महसूस कर मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि की उपलब्धि हुई किन्तु धर्मपत्नी द्वारा किए गए उपकारों की याद प्रबल होने लगी। काश! कामिनी अपने सुपुत्र की शिक्षा, शिष्टता और सुंदर स्वास्थ्य को देखने के लिए हमारे पास होती। इन्हीं यादों मे खोए रहने के कारण राजकीय कार्य में भूलें होने लगी। आदेश–निदेश, डांट–फटकार का असर न होते देख राजा ने सलाह दी, अपने बेटे को लाकर राजकाज संबंधी कार्य समझाइए, सिखाइए ताकि आगे आपकी जगह वह मंत्रीपद के काबिल बन जाए। मनीषी महाराज ने पुत्र को राजा की सलाह समझाई तो मनोमय अपने पिता को सहयोग करने और उनकी छत्रछाया में राजकाज संबंधी बातों को सीखने के लिए सहर्ष तत्पर हो गया। स्नेहिल पिता की देखरेख में शीघ्र ही मनोमय राजकीय कार्य स्वतंत्ररूप से संभालने मे सक्षम हो गया। राजा उसकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मंत्री के स्थान पर उसे नियुक्त कर मनीषी महाराज के मन मुताबिक उन्हें अवकाश दे दिया।

अवकाश पाकर मनीषी महाराज दिन–रात, चौबीस घंटे धर्मपत्नी की यादों में खोये रहने लगे या यूँ कहें कि अवसाद ग्रस्त होने लगे– न स्नान–ध्यान की याद न खाने पीने की सुध। मनोमय शाम को जब घर आता तो पिता द्वारा खाना न बना पाकर, पिता की अवस्था पर तरस खाने के बजाय यह सोचकर कि मैं दिनभर कड़ी मेहनत से काम करता हूँ और ये दो समय का भोजन भी नहीं बना सकते, क्रोध से कुद उठता। प्रत्यक्ष में कुछ न बोलकर पिता के प्रति अनादर के शब्द बड़बड़ाता।

अनियमित रहन–सहन खान–पान तथा मानसिक उद्विग्नता के वजह से कुछ ही दिनों में मनीषी महाराज इस मायारूपी संसार से शाश्वत स्वर्ग सिधार गए। किसी व्यक्ति या वस्तु की अहमियत उसके खो जाने पर ही सही तौर पता चलता है। पिता के प्रति सोचे/बोले कडवे वचन को याद कर मनोमय कष्ट से कराह उठता। पिता की प्रथम पुण्य तिथि आनेवाली थी। यदिप अनायास उसकी नौकरी भी लग गई थी और शादी भी हो गई थी और वैसे दोनों चीजों के बड़प्पन में शक की कोई गुंजायश भी नहीं थी क्योंकि शादी राजा के वरिष्ठ अधिकारी की बेटी से हुई थी तथापि अपने पिताश्री के

प्रथम पुण्यतिथि पर उनके उपदेश के आलोक में उन दोनों की जाँच कर अपने पिता को श्रद्धांजलि देने की मनोमय ने ठानी।

राजा ने एक तोता पाल रखा था। यह पक्षी राजा को बेहद प्रिय था। वह प्रातः ही राजा की प्रशंसा में गीत गाया करता था जिसे सुनकर राजा गदगद हो जाया करता था। मंत्री मनोमय को तोते के साथ कुछ करना अपने उद्देश्य के लिए उत्तम और आसान मालूम पड़ा। उसने तोते के खाने की अच्छी व्यवस्था के साथ राजमहल में कहीं छुपा दिया। किसी अन्य पक्षी का मांस लेकर शाम को घर पहुंचा तथा अपनी पत्नी सुनंदा से बोला, प्रिये यह मांस राजा के तोते का है, चूँकि यह तोता बेहद होशियार था अतः मुझे ज्योतिषी ने बताया था कि इसका मांस जो व्यक्ति खाएगा उसकी बुद्धि बढ़ेगी तथा तीक्ष्ण होगी; वैसे भी यह बुढ़ा तोता कुछ दिन में मर ही जाता, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपनी बुद्धि और बढ़ा लूँ ताकि राजकाज अत्यधिक कुशलता से करके राजा का प्रिय पात्र बना रहूँ। किन्तु यह तोता तो राजा को अत्यंत प्यारा था इसके बिना राजा कैसे रह पाएंगे? सुनंदा ने नाराजगी प्रकट की। लोग माँ बाप आदि प्रियजनों से बिछड़कर–खोकर भी जी लेते है यह तो मात्र एक पक्षी का मामला है, दो चार दिनों में राजा इस चिड़िया को भूल जाएंगे; तुम सोचो मत इसको खूब स्वदिष्ट बनाओ, मनोमय ने समझाया।

अपनी पत्नी की गतिविधि जानने के लिए खाना खाकर मंत्री तुरंत बिस्तर पर लेट गया और खर्राटे भरने का नाटक करने लगा। इसी की ताक मे छटपटाती सुनंदा ने पति को सोता देखकर दबे पांव अपने पिता सुखवीर के पास मुखबीरी के लिए दौड़ पड़ी. 'प्रणाम पिताजी', सुनंदा ने अभिवादन किया। सदा सुखी रहो, बाप ने आशीर्वाद दिया। क्या कहूँ बेटी राजा का प्यारा पालतु पक्षी तोता चोरी हो गया है और हम जैसे उच्चाधिकारियों पर गाज गिरनेवाली है अगर चौबीस घंटे में तोते का पता हम नहीं लगा पाए तो। तो अब चिंता मुक्त हो जाइए पिताजी, आपकी बेटी ने पता लगा लिया है। तोता कहाँ है मेरी लाड़ली जल्दी बताओ, अधीर होते हुए सुखवीर ने पूछा। बताती हूँ पिताजी, आपके दमाद ने उस तोते को मारकर मुझसे मांस बनवाया कुछ बचा हुआ मांस भी अपने साथ लायी हूँ लीजिए। मेरी दुलारी युग–युग जियो अब तो मेरा ओहदा भी बढ़ जाएगा और राजा मुझे स्वर्ण मुद्राओं से भी तौल देंगे। मै जाता हूँ यह शुभ समाचार अपने अन्नदाता को शीघ्र सुनाता हूँ। जल्दी जाइए पिताजी', बेटी विजयी स्वर में बोली।

मंत्री मनोमय को पुलिस आकर पकड़कर ले गई। सुनंदा घडियाली आंसू बहाने लगी। राजा ने क्रोधभरी नजरों से मंत्री की ओर देखा और तुरंत उसे फांसी दे देने का आदेश दिया।

मंत्री– सेनापति महोदय मुझे क्यों फांसी दिया जा रहा है?

सेनापति– इसलिए कि तुमने महाराजा के अजीज तोते को मारा ही नहीं बल्कि उसका मांस पकाकर खा गए हो।

मंत्री– सेनापति यह झूठ है। एक बार मैंने तोते को पिंजड़े से निकालकर राजभवन के एक खास स्थान पर छुपते देखा था यदि वह वहाँ छुपा होगा तो मिल जाएगा तब मुझे मार देने का पाप आप सभी को लगेगा और पछतावा होगा।

सेनापति– रूको सैनिकों अगर मंत्री की बात सच्ची हुई तो तोते को पाकर राजा खुश होगें और मंत्री की जान बच जाएगी अन्यथा मंत्री के लिए मृत्यु दंड तो सुनिश्चित है ही। रुको, मैं महाराज को यह बात बताकर उनकी आज्ञा फिर से ले लूँ, सेनापति ने आदेश दिया।

मंत्री मनोमय ने तोते को कथित स्थान से लाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा प्रसन्न होकर मंत्री को माफी दे दी।

मनोमय के सामने अब यह बात साफ हो चुकी थी कि न तो वह बड़े की सेवा में है और न ही उसकी शादी खानदानी घर में हुई है । अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी को प्रणाम किया और घर–बार ही नहीं, बल्कि उस राज्य को ही छोड़ने के लिए चल पड़ा।

मनोमय कई दिनों की लगातार यात्रा के बाद प्रतापगढ़ राज्य में पहुंचा, जहाँ का राजा परमानंद बड़ा ही प्रतापी व लोकप्रिय था। शीघ्र की मनोमय ने राजा के समक्ष अपनी प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर भी पा लिया। बात यह थी कि किसी राजकीय समस्या के समधान के लिए राजा द्वारा पुरस्कार युक्त खुले आमंत्रण की घोषणा की गई थी। मनोमय ने उस समस्या को सुना और सुलझा दिया। राज्य भर के विद्वान से न सुलझने वाली उस समस्या को मनोमय द्धारा अतिशीघ्र सुलझाने के कारण राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ, उसका परिचय आदि पूछा और अपना मंत्री बना लिया। विगत अनुभव के आधार पर मनोमय ने राजा के आशीर्वाद से विवाह कर लिया और अपनी नौकरी और पत्नी को परखने की प्रक्रिया की शुरूआत कर दी। राजा परमानंद का एकलौता पुत्र प्रणजय सुगठित, सुंदर और सुशील था। वह अपने माता–पिता की आँखों का तारा था। उसका कष्ट मात्र माँ–बाप के लिए असह्य हो जाया करता था। मंत्री ने इसी बालक को अपने परिक्षण का मोहरा बनाने को सोचा। प्रणजय मंत्री के साथ मिलनसार था राजा ने भी अपने किशोर को प्रशासनिक कौशल सीखने के लिए मंत्री के सानिध्य मे रहने के संकेत देते थे।

मंत्री मनोमय ने युवराज प्रणजय को शिकार करना सीखने के लिए उकसाया और महाराज से अनुमति लेने के लिए बहकाया। इस मसले में महाराज ने मंत्री से मशविरा किया और प्रणजय की जिद के सामने समर्पण करते हुए शिकार के दौरान पूरा एहतियात बरतने का परामर्श देते हुए मंत्री के हाथों में प्रणजय की सुरक्षा का सारा जिम्मा सौप दिया। मनोमय को मानो मन की मुराद मिल गई। जंगल में सभी सैनिकों आदि के कैंप लग गए और बीच में युवराज का कैंप लगा। कैंपों के बाहर बाड़ लगाए गए और युवराज के कैंप के बाहर बेहद मजबूत बाड़ लगा दिए गए। इतना ही नहीं युवराज के कैंप के बाहर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यस्था की गई। मंत्री ने सेनानायक को सख्त निर्देश दिया कि वह खुद युवराज के कैंप में रहे और यूवराज को

खरोंच तक न आ पाए। दूसरे दिन सेनानायक को यह बतलाकर कि वह महाराज से कुछ मशविरा करने के लिए राजभवन जा रहा है और उसके आने तक युवराज को कैंप से बाहर न जाने दिया जाए।

रोता बिलखता मनोमय अपने घर में घुसा और धड़ाम से बिस्तर पर गिर कर विलाप करने लगा।

"क्या हुआ प्राणनाथ", पत्नी पार्वती ने अधीर होकर पूछा?

"प्रिये अब मैं चंद घंटो का मेहमान हूँ"।

"ऐसा मत कहिए स्वामी, मुझे बताइए, बात क्या है," आह भरती हुई पार्वती ने पूछा?

"बात क्या होगी प्रिये, मेरी लापरवाही और नादानी से युवराज की जान चली गई"।

क्या कह रहे है! आह! (माथा पकड़कर पार्वती जमीन पर बैठ गई) थोड़ी देर बाद उठी और घर के छोटे–मोटे मूल्यवान समान संभालने लगी।

"क्या कर रही हो प्रिये"?

"स्वामी जान है तो जहान है हम लोग शीघ्र इस देश से बाहर भाग चलें"।

"ठीक है तुम सामान संभालो मै अभी आया"।

मनोमय अपने ससुर के चरणों में गिर कर रोते–रोते बताने लगा। सारे संदर्भ सुनकर मनोमय के ससुर सन्न रह गए। उसने मनोमय को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएँ दी और पत्नी के साथ जल्दी से जल्दी इस देश की सीमा से परे चले जाने को कहा। "किन्तु हमारे ऐसे भाग जाने से आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी", मनोमय ने अपनी अहसहमति की मुद्रा बनाई। "मेरे प्राण और मेरी जान तो अब तुम लोग हो, तुम लोगों को कुछ हो गया तो मै जीते जी मर जाऊंगा, तर्क–वितर्क में वक्त बर्बाद मत करो; जितना बन पडेगा मैं अपने को को बचाने की कोशिश करूँगा", ससुर शिवसागर ने मनोमय को समझाया।

मन ही मन संतुष्ट होता हुआ मनोमय महारानी के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिरकर क्षमा के लिए गिड़गिड़ाने लगा। "क्या हुआ मंत्री जी, आप क्यों रो रहे है और क्षमा क्यों मांग रहे है", महारानी ने पूछा? "युवराज को लेकर हमलोग जंगल में शिकार के लिए गए थे"।

'हाँ, तो क्या हुआ मेरे लाल को"?

'युवराज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा था।

'क्या हुआ युवराज को रोना बंद करो और बताओ?

'युवराज को शेर ने मार दिया महारानी।

रानी गश्त खाकर गिर गई। सेविकाओं ने महरानी को होश में लाया।

"सुनो मंत्री, हमें तो जीते जी तुमने मार दिया पता नहीं तेरे साथ महाराज क्या करेंगे? किन्तु यह बात तुम महाराज को मत बताना वे बर्दाश्त नहीं कर पाएँगें, और तेरी भी जान ले लेंगे, मै उन्हें यत्नपूर्वक बताउँगी", महारानी बिलखती हुई बोली।

जो आज्ञा अन्नदाता यह कहकर मनोमय वहाँ से राजा के पास जाने लिए चल पड़ा।

मनोमय राजा के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, "महाराज मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए महाराज' क्या हुआ मंत्रीजी युवराज कहाँ है?" राजा ने व्यग्रता से पुछा। शेर द्वारा युवराज को खा जाने की बात सुनकर राजा बेहोश होते होते बचा, पानी पिया और रूआंसी स्वर में बोला– "विधि का विधान कौन टाल सकता है",! "होनी के आगे सभी हार जाते हैं"! यह बात महारानी तक न पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाए। मै खुद रानी को इस न सुननेवाली दुर्घटना को सुनने के लिए उन्हें तैयार करूँगा। मुझे एकांत में छोड़ दिया जाए।

एक वे थे एक ये है, मृत्यु जीवन का अंतर है, अब न गम है न अहं है बस जीवन का आसान हुआ सफर है, एक वे थे एक ये है अब न कोई फिकर है —— —— गीत गाता हुआ जंगल से राजकुमार को लाने, मनोमय जंगल की ओर चला।

मंत्री ने युवराज प्रणजय को लाकर राजा–रानी के सामने खड़ा कर दिया। अपने बेटे, प्रणजय को पाकर राजा–रानी फूले न समाय! क्षमा याचना के साथ मनोमय ने अपने मन की बात बताई। राजा ने कहा कि एक राजा के लिए भी तुमने परीक्षा का अवसर दिया कि क्या अपनी प्रिय से प्रिय चीज़ को खोकर अपनी मानसिक स्थिति क्या मैं स्थिर रख सकता हूँ या नहीं। "आप सफल हुए सरकार", मंत्री ने कहा। "और तुम भी", राजा मुस्कुराए।

पत्नी पार्वती का रोते रोते बुरा हाल देखकर मनोमय का दिल पिघल गया उसने पार्वती को उठाकर गले लगाया और सुखद समाचार सुनाया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, स्वर्गीय पिता को श्रद्धासिक्त सुमन श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया।

मंत्री मनोमय की मेहनत और सुझबुझ के बदौलत राज्य की कीर्ति बढ़ी, यश बढ़ा, युवराज प्रणजय राजा बने, मनोमय का मंत्री पद कायम रहा। वह सुखी संपन्न और सानंद रहने लगा क्योंकि वह बड़े के यहाँ काम कर रहा था और विवाह में उसे बहू मिली थी खानदानी घर की।

नोटः इस कहानी के पात्र और इसकी परिस्थितियाँ सभी काल्पनिक है, जिसका किसी से मेल मात्र एक संयोग होगा।

एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा की परमावश्यकता

अभिनय कुमार शर्मा
सहायक संपादक

"यह मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय है कि किसी व्यक्ति को अपने साथी का अपमान करके कैसे शान्ति मिलती है।"
"राष्ट्रपिता महात्मा गांधी"

उपरोक्त वाक्य के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि जिस क्षण से वैज्ञानिकों से एच.आई.वी. और इसके परिणामस्वरूप होने वाले एड्स की पहचान की है तभी से इसके साथ डर, मनाही, कलंक और भेदभाव जैसे शब्दों का जुड़ाव ठीक वैसे ही हो गया है जैसे शरीर के साथ उसकी परछाईं। एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के साथ होने वाले तिरस्कार और भेदभाव के व्यवहार ने एड्स व्याधि को महामारी का रूप प्रदान कर दिया है। इस स्थिति में एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की स्थिति बहुत शोचनीय हो जाती है और यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रत्येक मानव के लिए उसके मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। बिना उनके मानवाधिकारों की रक्षा किए, एच.आई.वी./एड्स जागरूकता की दिशा में उठाए गये कदम सार्थक सिद्ध नहीं होंगे।

आज भारत विश्व का तीसरा देश है जहाँ एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्तियों की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या है (दक्षिण अफ्रीका एवं नाइजीरिया के पश्चात) के कारण एड्स भारतीय समाज में एक विभीषिका बन चुकी है। एड्स के मरीजों को दो तरह के दंश झेलने होते हैं, पहला मृत्यु का और दूसरा तिरस्कार एवं भेदभाव का। एड्स की व्याधि के इलाज हेतु होने वाले अद्यतन अनुसंधान एवं विकास एवं एंटीरिट्रोवायरल थैरेपी के कारण पहले डर को एक सीमा तक नजरंदाज किया जा सकता है और एड्स के मरीज का जीवन अपेक्षाकृत आसान और आशायुक्त हो गया है। लेकिन तिरस्कार और भेदभाव के कारण एड्स के मरीजों का जीवन अत्यधिक विषम हो गया है और इस कारण उनके मानवाधिकार दयनीय अवस्था में हैं।

एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के साथ अलग–अलग प्रकार से भेदभाव किया जाता है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से वंचित किया जाता है, घर से निष्कासित कर दिया जाता है, शिक्षा से वंचित किया जाता है, रोजगार से निकाला जाता है और प्रायः मित्रों एवं गृह सदस्यों के द्वारा उनके साथ बहुत नकारात्मक व्यवहार किया जाता है। तिरस्कार एवं भेदभाव पुरूष, महिला बच्चों और वृद्धों सभी को प्रभावित करता है। विशेष रूप से यदि कुछ सीमांत समूह (Marginalised) जैसे– यौन कर्मी या नशीली दवाओं का सेवन करने वाले एच.आइ.वी./एड्स से प्रभावित हैं, तब उन्हें समाज और भी हेय दृष्टि से देखता है।

भारतीय समाज जहाँ अभी भी थोड़ी रूढ़ीवादिता मौजूद है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वहां एच.आइ.वी./एड्स से ग्रसित लोगों की स्थिति और अधिक गंभीर है। इसलिए एच.आइ.वी./एड्स के मरीजों के साथ होने वाले तिरस्कृत व्यवहार को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी तकनीक की आवश्यकता है। हमें अपने हृदय की गहराई से यह समझना होगा कि एच.आइ.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्ति भी समाज का अभिन्न अंग होते हैं।

तकनीकें– बहुत सी ऐसी सहायक तकनीकें हैं, जिन्हें प्रयोग करके एच.आइ.वी./एड्स के मरीज अपनी सामाजिक स्थिति मे सुधार ला सकते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एवं राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के द्वारा कुछ हेल्पलाईन सेवाऐं आरंभ की गई हैं जिस पर कोई भी व्यक्ति बिना अपनी निजी जानकारी दिए, एच.आइ.वी./एड्स के बाबत जानकारी ले सकता है। साथ ही कुछ हॉटलाइन भी बनाई गई हैं जिन पर एच.आइ.वी./एड्स से ग्रसित मरीज अपने विरूद्ध हाने वाले तिरस्कृत व्यवहार की शिकायत गुप्त रूप से कर सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी व्यवस्था, ओंबुड्समैन आदि का भी प्रबन्ध किया गया है जो एच.आइ.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के विरूद्ध होने वाले नकारात्मक व्यवहार की जाँच करते हैं।

एच.आइ.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों (PLWHA) के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निर्मित किए गये कानून, नियम–अधिनियम :– सरकार को चाहिए कि वो उन कानूनों की समीक्षा करे जो PLWHA के साथ होने वाले गलत व्यवहार को जायज ठहराते हैं। न्याय प्रणाली को इन समीक्षाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए और मौजूदा कानूनों का विश्लेषण करना चाहिए (जो इस विषय से संबंधित हैं)। उचित कानून एवं नीतियां बनाकार उन्हें लागू करना होगा। उदाहरणार्थ– मुंबई में वकीलों के एक समूह ने

उन कामगारों का बचाव किया जिन्हें एच.आइ.वी. पॉजिटिव बताकर नौकरी से निकाला जा रहा था।

– 1996 में गोआ पब्लिक हेल्थ एक्ट (सेक्शन 531 vii) जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं व पुलिस कोएच.आइ.वी./एड्स से ग्रसित लोगों के साथ अलगाव व्यवहार के लिए अनुमति देता था, को रद्द कर दिया गया।

– 1989 का रेलवे प्रशासनिक बोर्ड का नोटिस जिसके तहत एच.आइ.वी./एड्स को 'संक्रामक बीमारी' का दर्जा दिया गया और इससे प्रभावित लोगों को रेलवे पास देने से मना किया गया, को 1996 में रद्द कर दिया।

– 1992 में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक प्रषासनिक निर्देष जारी किया जिसके द्वारा यह सुनिष्चित किया जाना था कि च्ॅस्भ्। के साथ विभेदकारी व्यवहार तो नहीं हो रहा है।

– मई 1997 में मुंबई उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि एच.आइ.वी. पॉजिटिव के आधार पर किसी कर्मचारी को नौकरी से निष्कासित नहीं किया जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एच.आइ.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कुछ संधियाँ अथवा समझौते विभिन्न देशों द्वारा किए गये हैं, कुछ दिशानिर्देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा भी पारित किए गये हैं। ये सभी दिशा–निर्देश, नीतियां, विधान विशेषज्ञों एवं सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं तक पहुँचनी होंगी ताकि कानून निर्माण में इनका प्रभाव परिलक्षित हो। सभी अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, क्षेत्र, संपत्ति, जन्म, भाग्य के आधार पर मानव जाति के बीच होने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं (UNAIDS 2001 के अनुसार) UNHCR इस तथ्य को पुष्ट करता है कि एच.आइ.वी./एड्स के साथ तिरस्कार व भेदभाव उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा।

राजनीतिक नेताओं को चाहिए कि वे एच.आइ.वी./एड्स विषय पर स्पष्ट चर्चा के माध्यम से ऐसे खुले समाज का निर्माण करें जो कलंक व भेदभाव से मुक्त हो। इसके अलावा राजनेतागणों को ऐसे विधानों एवं नीतियों का निर्माण करना होगा जो तिरस्कार एवं भेदभाव के प्रभाव को कम करें। अनुभवों से पता चलता है कि एच.आइ.वी./एड्स पर यदि मुक्त रूप से और संवेदनशीलता से चर्चा की जाए और इनका हनन करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए, तब राजनेतागण समाज में भारी परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरणार्थ – भारत में एड्स विषय पर एक संसदीय समिति का निर्माण किया गया जो एच.आइ.वी. /एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु राजनेताओं की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है।

उपरोक्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अतिरिक्त हमें सामुदायिक स्तर पर भी यह सोचना होगा कि एच.आइ.वी./एड्स कलंक व भेदभाव का विषय नहीं है। ये केवल एक व्याधि है जो कभी भी और किसी को भी हो सकती है। हमें इस पूर्वाग्रह युक्त मानसिकता को त्यागना होगा। समुदाय में लोगों के बीच इस भावना को स्थापित करना होगा कि एच.आइ.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्ति भी समाज की मुख्यधारा में शामिल हैं, वे समान दृष्टि से देखें जाएं। कोई कानून, कोई नीति इस समस्या को सुलझा नहीं सकती जब तक कि हम स्वयं अपनी मानसिकता में सकारात्मक बदलाव PLWHA के प्रति न लाएं। इस हेतु फिल्म निर्माताओं को इस विषय से संबंधित फिल्में व टी.वी. कार्यक्रम बनाने होंगे जिसे समाज में PLWHA के प्रति सकारात्मक संदेश जाए जैसे "निखिल माई ब्रदर" और "फिर मिलेंगे" जैसी फिल्में इस दिशा में उठाए गये साहसिक कदम थे।

अन्ततः यह भी कहना प्रासंगिक होगा कि PLWHA को भी स्वयं अपने हितों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। उन्हें मन में साहस एवं आत्मशक्ति का संचार करना होगा। वे ए.आर.टी. का प्रयोग करके अपने भविष्य को पूर्व की तरह उज्जवल बना सकते हैं। उन्हें अन्यों को दिखाना होगा कि वे एच.आइ.वी. होने के बावजूद किस तरह सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ सेलेब्रेटी एच.आइ.वी. पाजिटिव इस संदर्भ में अपना सटीक प्रभाव समाज पर डाल सकते हैं, उदाहरणार्थ– अमरीका के बास्केटबाल खिलाड़ी 'मैजिक जॉनसन' 1991 से एच.आइ.वी. पॉजिटिव हैं और सफलतापूर्वक अपना खेल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के कथन के साथ उपरोक्त विवरण को निष्कर्ष पर ला सकते हैं –

"आइए हम एड्स के कलंक के स्थान पर सहारा देने, भय के स्थान पर आशावान बनने और खामोशी के स्थान पर एकता का संकल्प करें।"

हिंदी हम सबकी परिभाषा

कोटि-कोटि कंठों की भाषा, जन - गण की मुखरित अभिलाषा।
हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी परिभाषा ।।

आज़ादी के दीप्त भाल की, बहु भाषी वसुधा विशाल की।
सहृदयता के एक सूत्र में, यह परिभाषा दिक् - काल की ।।

निज भाषा जो स्वाभिमान की, आम आदमी की जुबान की।
मानव - गरिमा के विहान की, अर्थ दे रही संविधान की ।।

हिंदी आज बुलाती हमको, हम सब निष्ठावान अंत:स्थल से।
सहज विनम्र अथक यत्नों से, करें न्याय आज से, कल से ।।

विश्व पटल पर अकल्पित आभा, विश्व-धरा पर विश्व गगन में।
उदित मुदित हिंदी की छवि अब, सबके मन में और नयन में ।।
दुनिया के अधरों पर हिंदी, शोभित हिंदी सृष्टि नयन में ।।।

- डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी

तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन (दिनांक 28 से 30 अक्टूबर, 1983) के अवसर पर नई दिल्ली में महीयसी डॉ. महादेवी वर्मा ने डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा रचित इस गीत को विश्व हिंदी का भारती बोध गीत के रूप में प्रतिष्ठित किया।

राजभाषा नीति के निष्ठापूर्वक अनुपालन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ।
।। हिंदी है हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा ।।
खान
भारती